Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

POLICY OF DISASTER MANAGEMENT IN INDIA: INTROSPECTING THE PROVISIONS FOR DIFFERENTLY ABLED

Dr. Sanjay Sharma
Assistant Professor & Head
Deptt.of Political Science
Army Cadet College, IMA, Dehradun

Introduction

Disaster is generally understood as an event causing loss of life, destruction of infrastructure and creating social stress. Having its origin in the French word Desaster , being the combination of two terms-des, meaning "bad," and aster, meaning "star,"-thus disaster in its root meaning refers to a "bad star," the calamities caused by bad fortune. Disaster renders people disable in large numbers. But what about the person who are already disable? Disaster management is expected to recognise that differently able cannot respond to disaster as quickly as other can. Therefore, disaster preparedness, mitigation, response, recovery, rehabilitation should be inclusive of needs of differently able. This paper deconstructs the various dimensions of policy framework, institutional structure and potential reforms of disaster management in India from the hitherto under researched perspective of differently able.

Defining Disaster

Disaster is generally considered as a phenomenon having a catastrophic impact on human life. While disaster is usually understood as natural, in this highly industrialised world manmade disaster is also a recurrent problem.D. K. Smith addresses disaster as "a catastrophic consequence of natural phenomena or a combination of phenomena resulting in injury, loss of life or input in a relatively large-scale and some disruption to human activities." One finds an interesting definition of disaster in the Disaster Management Act, 2005 of India. It says that "disaster means a catastrophe, mishap, calamity or grave occurrence in any area, arising from natural or manmade causes, or by accident or negligence which results in substantial loss of life or human suffering or damage to, and destruction of, property, or damage to, or degradation of, the environment, and is of such a nature or magnitude as to be beyond the coping capacity of the community of the affected area." On the other hand, the World Bank has defined disaster as a natural phenomenon of limited span, but causing severe destruction to a country's economy. Harold D. Foster has defined disaster in terms of the "social stress rating." This is an important methodological tool to assess disaster from the perspective of the people involved rather than counting on the infra structural loss.

Management of Disaster: Analysis of

Framework

Until recently, different forms and types of disasters were treated generally in terms of research, development, and the management of "shocks" in isolation. There was hardly any coordinating agency and regulatory institution regime to standardise policy and secure execution. In fact, in a way, disaster management is a late entry in the governance of natural crises and calamities. Therefore, it is crucially important to simplify disaster management as concepts and programmes of action. It stands for the integrated activities undertaken both by the government and voluntary agencies aiming to avoid disaster, and to meet the infrastructure need once disaster actually occurs. It is a continuous process requiring multidimensional and multi-institutional activities aiming to rehabilitate the affected people and the region. In other words, disaster management includes anticipation, assessment,and rehabilitation.

In brief, disaster management is a multi-stage process of:

(1) Mitigation, i.e. mitigating the causes responsible for disaster. It is a stage in planning that either checks the causes of disaster or reduces the effects.

(2) Infra-structural preparedness, i.e. the stage of alert to cope with the actual occurrence of disaster. This involves administrative and economic preparedness, an advance outlay of resources, which can reduce the loss of sufferings, both human and infra structural.

(3) Rehabilitation, Reconstruction and Resettlement, i.e. saving lives, restoring infrastructure and communications, and normalising life as soon as possible.

Differently Able in India: An overview

According to the United Nations, "Disability" results from the interaction between persons with impairments, conditions or illnesses and the environmental and attitudinal barriers they face. Such impairments, conditions or illnesses may be permanent, temporary, intermittent or imputed, and include those that are physical, sensory, psychosocial, neurological, medical or intellectual.

Presently, there are 2.6 million differently able in India. From the perspective of gender around 14 million are male and 11 million are female. It is surprising to note down that in the 1991Census there was no mention of differently able as a different social group. In the census of 2001 only four types of disability was covered. However, it was in the census of 2011 that on the basis of 'Person with Disabilities Act (PWD) 1995' and 'National Trust Act 1999'eight categories of disabilities are listed.

Differently able population with eight categories (Table1)

Types of Disability	Persons	Male	Female
Total	26,810,557	14,986,202	11,824,355
In Seeing	5,032,463	2,638,516	2,393,947
In Hearing	5,071,007	2,677,544	2,393,463
In Speech	1,998,535	1,122,896	875,639
In Movement	5,436,604	3,370,374	2,066,230
Mental Retardation	1,505,624	870,708	634,916
Mental Illness	722,826	415,732	307,094
Any other	4,927,011	2,727,828	2,199,183
Multiple Disability	2,116,487	1,162,604	953,883

Source: Census of India 2011

Disaster Vulnerability of India

India, after Russia,is the second largest country in Asia. It is the seventh largest country in the world. In fact, India for its vast territory is known as sub-continent. India is one of the most disaster prone countries. India's large population, geo-climatic conditions are primarily responsible for it. Industrialisation and unplanned urbanisation in Indiaare primarily responsible for manmade disasters. Besides, climate change is also increasing the frequencies of natural calamities. Himalayan Tsunami of Uttarakhand 2013, Flood in Jammu and Kashmir 2014, and massive rain run flood in Chennai 2015 are believed to be climate change induced natural calamities.According to an estimate 59 percent land in India is prone to earthquake, 12 per cent of land is vulnerable to flood and soil erosion, 76 per cent coastline is prone to cyclone and tsunami, 68 per cent cultivable area is prone to draught, around 78.29 million hectare of forest area is prone to forest fire and there is India is vulnerable to Chemical, Biological, Radiological and Nuclear (CBRN) disasters (CAG Report: 2013).[1] Under the backdrop of India's vulnerability to disaster one cannot deny the fact that differently able are most vulnerable in the event of disaster.

Therefore, needs of differently able require special address in policy formation and its execution.

High Powered Committee on Disaster Management

Disaster management is a late entry in India. Disaster does not find any place in the Lists of the 7th schedule of the Indian constitution. It was as late as 1999 that the Government of India for the first time constituted a High-Powered Committee on Disaster Management: "(i) to review existing arrangements for preparedness and mitigation of natural and manmade disasters, including industrial, nuclear, biological and chemical disaster; (ii) to recommend measures for strengthening organisational structures, (iii) and to recommend a comprehensive modal plan at national, state and district levels."[2]

It was perhaps the first official attempt to systematically approach the issue of disaster management. It undertook a comprehensive study on various aspects of disaster management in India, such as nature and type of disasters, vulnerability profile, new culture of disaster management, organisational framework, and planning and finance. It aptly described its objective as framing a new culture of disaster management, characterised as: "(i) a culture of preparedness (presence of a well-functioning warning system and the preparedness of vulnerable communities); (ii) a culture of quick response (to promote an appropriate response to the crisis); (iii) a culture of strategic thinking (the creation of a knowledge network); and (iv) a culture of prevention (instilling a culture of prevention in disaster managers and all communities)."[3]

HPC, under the chapter Needs of Special Group, covered disabled and aged in common heading. It says that proportion of disabled people is high among aged people therefore, both are taken together. HPC maintains that people with disabilities are neither understood nor properly responded by government, nongovernmental organisations and international agencies. It notes down that mechanisms for disaster managements, disaster preparedness and other relevant administrative structures are grossly inadequate for responding disabled.

HPC recommends that vulnerable population should be focused under the culture of quick response. Vulnerable population includes children women, aged and disabled. It also adds that vulnerable state and district should take care of socio-cultural needs of vulnerable in its relief supply.

HPC maintains that community participation is an important role player in mitigation. It gives due importance to disables in mitigation strategies. It acknowledges that though disabled are termed as dependent but they are more vulnerable in reality and therefore require attention in mitigation strategies. It writes "Disaster mitigation strategies aimed at reducing the scale of destruction need to focus on the section of the population that is vulnerable and at a greater risk of being exposed to the adverse impact of disasters. Socio-economic, cultural practices etc. have made them weak and have put them in a disadvantaged position. Women, children, aged and the disabled are termed as the dependent population though facts aremuch different than what are projected otherwise (HPC: 2002)."

HPC also recommended that measures for vulnerable section of population including disabled should not only at the relief stage rather their concern must be addressed at different stages of disaster management i.e. prevention, preparedness, relief and reconstruction stages.

In its chapter Planning Process HPC recommends that minimum standard and equity

in relief must be taken care of. It suggests that "When addressing the relief requirements of the disaster victims, focus should beplaced on the special needs of the vulnerable population that is, children, women, aged and the disabled. At the same time equity of relief distribution amongst beneficiary groups must be maintained."

Disaster Management Act 2005

It is in this backdrop that Disaster Management Act 2005 has been enacted that aims a vibrant management of disaster. This act provides a broad framework for disaster management to be followed by Union and States. The act lays down the procedures for constitution of National and State Disaster Management Authorities, establishment of National and State Disaster Response Force and setting up of National and State disaster Response Funds and National and State disaster Plans.However, despite the recommendations of High powered Committee there is no provision or guidelines for differently able in the Act.However, Section 6 of the Disaster Management Act,2005 provides for effective, efficient and comprehensive community baseddisasters management in India. It doesn't clearly spell out any specific provision for differently able.

The National Disaster Management Authority (NDMA)

Based on the recommendation of the High Powered Committee and provisions of National Disaster Management Act 2005, the Union government constituted the National Disaster Management Authority in 2005. The NDMA is headed by the Prime Minister. It comprises a vice chairman having the status of cabinet minister, and eight members with the status of minister of state. The authority has been organisationally designed, based on the disaster divisions-cum-secretariat system. Each member heads a specific division. The authority meets, "as and when necessary and at such time and place as the chairperson, the National Authority, may think fit."[4]

The NDMA is vested with the responsibility to "lay down policies on disaster management; approve the National Plan; approve plans prepared by the Ministries or the Departments of the Government of India in accordance with the National Plan; lay down guidelines to be followed by the State Authorities in drawing up the State Plan; lay down guidelines to be followed by the different Ministries or Departments of the Government of India for the purpose of integrating the measures for the prevention of disaster or the mitigation of its effects in their development plans and projects; coordinate the enforcement and implementation of the policy and plan for disaster management; recommend the provision of funds for the purpose of mitigation; provide such support to other countries affected by major disasters as may be determined by the Central Government."[5]

NDMA has prepared "**Handbook for Training and Capacity Building of Civil Defence and Sister Organisation**" in 2012. In this handbook it maintains that in Community Based Disaster Management priority should be given to the most vulnerable that includes differently able. In one of the case study on JagannathPuriStamped it also received the suggestion that doctors/paramedics/volunteers should be sensitized and trained to give physical and emotional support to distressed people including differently able. As a matter of fact, the NDMA, in no uncertain terms, enjoys considerable authority in the management of disasters. Itlaid down National policy on Disaster Management that somehow considers that differently able need special treatment during the event of disaster.

National Institute of Disaster Management (NIDM)

Disaster Management Act, in chapter 7, provides for the constitution of the National Institute of Disaster Management by the Central government. It provides that NIDM shall function within the broad guidelines of National Disaster Management Authority. Section 42(8) of the Act has made the Institute responsible for "planning and promoting training and research in the area of disaster management, documentation and development of national level information base relating to disaster management policies, prevention mechanisms and mitigation measures (DMA: 2005)."

NIDM believes in inclusive disaster risk reduction framework. It supports the inclusive disaster management. It has organized following training programs for inclusive disaster management

- A five-day training programme on Persons with Disabilities in Disasters for the government stakeholder was conducted in July 2011.
- NIDM had observed the Disaster Risk Reduction Day on 12th October 2011 and schools for children with disabilities also participated in painting, poster and slogan competition on the occasion.
- Launched a 5-day training programme for teachers of special schools
- Developed a massive Disaster Risk Reduction (DRR) awareness campaign framework for school children with disabilities
- Pursued the participation of schools with disabled children in the DRR Day next year and similar such activities.[6]

Its 2013-14 annual report maintains that in its training programs it is covering the issue of disabilities and disaster management. Therefore, NIDM considers inclusive disaster management and sensitises its target groups in this regard.

Second Administrative Reform Commission

"**Crisis Management: From Despair to Hope**" is the third report of Second Administrative Reforms Commission (ARC-2006). This report recommends the legal and administrative reforms in disaster management. It recommends, under Chapter 7 on Recovery, that minimum standard should be followed for vulnerable including physically challenged. Its para 7.1.12 suggests that "Minimum standards of relief should be developed to address the requirements of food, health, water and sanitation shelter requirements. Focus should be placed on the special needs of the vulnerable population that is, children, women, the elderly and the physically challenged." Furthermore, under chapter 10 on Gender Issues and Vulnerability of Weaker Section, it recommends that rescue and relief operation of disaster management should focus the most vulnerable group including physically challenged.

Second ARC has also conducted several regional workshops. Working groups, at regional workshops, have given many valuable suggestions. In its regional workshop on Disaster Management (Cyclone and Floods) in Chennai Working Group 2 has suggested that Wheel Chairs and special toilets should be provided for physically challenged at relief camp. In addition to it, regional conference on Disaster Management (Drought) at Jaipur working group 1 has suggested that there should be a provision of food supply and pension for physically challenged and elderly persons.

National Policy on Disaster Management (NPDM) 2010

The NDMA adopted a "mission-mode approach" towards the formation of the

National Policy on Disaster. This policy framework is also in tune with the provisions of the International Strategy for Disaster Reduction, the Rio Declaration, the Millennium Development Goals, and the Hyogo Framework 2005–15. The National Policy lays stress on the 5Cs principle of disaster management. This comprises:

(1) Community-based disaster management, including last mile integration of the policy, plans and execution.

(2) Capacity development in all related areas.

(3) Consolidation of past initiatives and best practices.

(4) Cooperation with agencies at national, regional and international levels.

(5) Compliance and coordination to generate a multi-sectoral synergy.[7]

In line with the above principles, one of its objectives of disaster management says "Ensuring efficient response and relief with a caring humane approach towards the ***vulnerable sections of the society***."[8]

Policy recognises that differently abled are vulnerable section and exposed to higher risks in the event of disaster. National Policy on Disaster Management,in tune with the recommendation of High Power Committee, also recognises that in community based disaster preparedness the needs of differently able require special attention.

Ministry of Home Affairs

Ministry of Home Affairs is the nodal ministry to manage disaster. It has a **National emergency Operation Centre**. This centre operates 24x7 to monitor disaster. It receives inputs from various agencies Indian Meteorological Department, Central Water Commission, and Snowand Avalanche Study Establishment and so on. On the basis of these inputs it advises the concerned state and district to keep watch on the development of the event and carry out necessary actions including evacuation of the vulnerable persons.

In 2004 and 2011Ministry of Home Affairs prepared a report on "**Disaster Management in India**." In its 2004 report it notes down the need of special attention to differently able at different stages of disaster management. In its community level initiatives it lays down that "Within a vulnerable community, there exist groups that are more vulnerable like women and children, aged and infirm and physically challenged people who need special care and attention especially during disaster situations. Efforts are required for identifying such vulnerable groups and providing special assistance in terms of evacuation, relief, aid and medical attention to them in disaster situations." In its second report it maintains that National Policy on Disaster Management (NPDM) takes adequate care differently able in disaster management. It notes that "The NPDM addresses the concerns of all the sections of the society including differentlyabled persons, women, children and other disadvantaged groups in terms of granting reliefand formulating measures for rehabilitation of the persons affected by disasters. The issue ofequity and inclusiveness has been accorded due consideration. It aims to bring in transparency and accountability in all aspects of disaster management through involvement of community,community based organisations, Panchayati Raj Institutions (PRIs), local bodies and civil society."

In 2013 MHA has constituted a "**Task Force to review the Disaster Management Act, 2005**." In its report the task force has mentioned the views received by stakeholders during consultation. One of the views is that Disaster management act lack the mentioning of vulnerable group therefore stakeholders

suggested that "The Act should specifically mention women, children, the disabled, and the weaker sections, so that they receive special attention during relief and rehabilitation in the context of disasters." On the basis of this suggestion the task force has recommended that the DM Act should be amended and besides other things "There should be a specific mention of protection of the interests of women, children, the disabled, and the weaker sections."

Conclusion

What emerges from the above discussion is that the disaster management is principally a constitutional obligation of the Union government. It has powers to lay down framework legislation; accordingly, the state government has to comply with it by taking the necessary legal measures to manage disasters. Though the Union government has the power to issue directions, its role is mainly confined to laying down policy guidelines and coordinating the activities of the state/local authorities in the management of disasters. Powers are distributed vertically. Therefore, inclusion of differently able in the central legislation will trickle down to the state laws and institution. Task force to review the Disaster Management Act also recognises the fact that presently there is no provision related to differently able in the Act and therefore it requires amendment in which concerns of differently able along with other vulnerable groups are clearly mentioned. Besides, Second Administrative Commission also suggests that relief and recovery work should focus vulnerable groups including differently able. Besides, it also received the views that in relief camps accessibilities of basic amenities like toilets and mobility (absence of Wheel Chair) are not differently able friendly.Therefore, it suggests that inclusion of differently able should not only take place in paper rather it is required to be followed in letter and spirit.

END NOTES

1. Comptroller Auditor General (2013): *Performance Audit of Disaster Preparedness in India*, New Delhi: Government of India, p.3.
2. Government of India (2002): Report of the High Power Committee on Disaster Management, New Delhi: Ministry of Agriculture.
3. Government of India,*High Powered Committee on Disaster Management*, p.4.
4. Gazette of India, *Disaster Management Act*, 2005.
5. Role of National Disaster Management Authority, viewed on 20 March 2016, http://ndma.gov.in/ndma/roles.htm.
6. Recent Activities of National Institute of Disaster Management, viewed on 28 March 2016, http://nidm.gov.in/recent2.asp
7. Guidelines of National Disaster Management Authority, viewed on 20 March, 2016 http://ndma.gov.in/ndma/guidelines.
8. Ibid.

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

ROLE OF WOMEN IN HARYANA PANCHAYATS: AN ANALYSIS OF 2016 PANCHAYAT ELECTIONS

Dr. Sanjay Sharma
Assistant Professor & Head
Deptt.of Political Science
Army Cadet College, IMA, Dehradun

Introduction

Women are not part of conventional politics in Haryana. It is reprehensible to say that India ranks 108 in Gender Gap Report, 132 in Gender Development Index and 127 on Gender Equality Index. Women empowerment can take place by various means and one of the means is women representation. There are 61 women in representatives in Lok Sabha and 31 in Rajya Sabha which constitutes around 11 per cent of the both Houses. However, women representation is comparatively better in local governance as Panchayati Raj Amendment Act provides 33 per cent reservation to women. This reservation of seats for women has brought a tremendous participation of women in Panchayati Raj Institutions. Presently, there are around 13 lakhs women representatives which constitute roughly 43 percent of local representatives. It indicates that with such a strong presence in decision making should have brought improvement in women's conditions. However, it has not happened at least in Haryana. Women are still struggling with many problems and challenges like female foeticide, illiteracy, honour killing and many more. Therefore, something has to be added with representation to bring improvement in their ability to comprehend the complexities of governance and provide effective solution for it. Haryana government, under this background, has brought the educational qualifications for women representatives in the state. The importance of education cannot be contested.

In most of the places women representatives have shown their skill and commitment for the development of society like Chavvi Rawat sarpanch of Soda village, district Jaipur is known for her extraordinary developmental work in the village. She, because of her work, has been invited for panel discussion in two days meet of the United Nations. She participated on the issue of role of civil society in removing poverty and bringing development. Besides, these achievements she is also known as the women sarpanch with MBA degree. Aarti Devi, is a woman sarpanch of Dhunkapada, district Ganjam in Orissa, she has been recognized as a leader in international platform. International Visitors Leadership Program, U.S.A has acknowledged her leadership out of her work. She also holds post graduate having MBA degree. Whether, there is a success or failure story education plays a

major role in both. Inter-Parliamentary Union's report Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments, maintains that lack of education is a major deterrent to women's representation in politics.

Democratic decentralization in form Panchayati Raj is inspired by Mahatma Gandhi. He believed that women can acquire its rightful place in society with education backed by political representation. He wrote in Harijan that "With the backing of education and the discriminating use of their political rights, they could affect the process of decision making in the nation and initiate appropriate changes at all levels to promote the values of social and economic equality. Though laws by themselves had not much meaning, they were very important for setting norms, so politically and socially conscious women should agitate for the framing of legislation, which accorded them equal status in society. Simultaneously, strong and continuous agitation through the press and other platforms was necessary to rouse public opinion, which was the best sanction of law (Harijan: 1939)." Besides,healsomaintained"As for illiteracy among the women, its cause is not mere laziness and inertia as in the case of men. A more potent cause is the status of inferiority with which an immemorial tradition has, unjustly branded her. Man has converted her into a domestic drudge and an instrument of his pleasure, instead of regarding her as his helpmate and 'better half'! The result is a semi-paralysis of our society. Woman has rightly been called the mother of the race. We owe it to her and to ourselves to undo the great wrong that we have done her(Harijan: 1939)."

Mary Wollstonecraft, in Vindication of the Rights of Women, has strongly advocated education of women. She wrote "till women are more rationally educated the progress in human virtue and improvement in knowledge must receive continental checks (Vindication of the Rights of Women: 1792)."

J.S Mill in Subjection of Women has given due importance to educatin as it enables them to participate in political life and compete with intelligence of man. He wrote "This great accession to the intellectual power of the species, and to the amount of intellect available for the good management of its affairs, would be obtained, partly, through the better and more complete intellectual education of women, which would then improve paripassu with that of men. Women in general would be brought up equally capable of understanding business, public affairs, and the higher matters of speculation, with men .... In this way, the widening of the sphere of action for women would operate for good, by raising their education to the level of that of men, and making the one participates in all improvements made in the other (Subjection of Women: 1869)."

Therefore, it is acknowledged by various philosophers and scholars that to emancipate women from her bondages education is very important. Education enables her to claim her right in the society. Education not only makes her employable, it also widens her perspective and allows her to articulate her political interests and motivates her for political actions. A brief analysis of condition and problems of women in Haryana prove helpful to understand the rationale behind the initiative of Haryana government to apply education as a qualification for women representatives.

Problems and Challenges of Women in Haryana

(1) Crime against Women

Dowry is widely practiced in India. It is mandatory gifts like gold ornaments, household stuffs and money given to the groom by family of bride at the time of marriage (Dube: 2011). Crime Report of National Crime Report

Bureau reveals that 300 dowry deaths took place in Haryana in 2014. (NCRB: 2014). Even after marriage women are tortured for demand of more dowries. Almost majority of North Indian states are having the custom of dowry in which Bridegroom are priced on the basis of their qualifications, job profile, family history and so on. Interestingly, in states like Bihar grooms are kidnaped and released after marriage. Dowry is so much prevalent that there is a website http://www.dowrycalculator.com/ which can calculate dowry for a groom.

There are many cases in India as well as in Haryana where women after marriage are killed or commit suicide because of torture by in laws. According to National Crime Record Bureau's report on suicide1, 31,666 people have committed suicide in 2014. Report says that 1 out of 6 suicides are committed by a housewife (NCRB: 2014). Under section 498-A of Indian Penal Code 119358 incidents are registered for cruelty by husband and relatives in 2014. Haryana's share in this category is 3478 which is pretty high (NCRB: 2014). Cases of rape and molestation of girls are increasing in Indian society. Haryana, under section 354 of Indian Penal Code, has registered 1688 incidents in which1699 were victims under assault on women with intent to outrage her modesty in 2014. Besides, 1174 incidents of rape are reported in Haryana in 2014. Table 1 illustrates the increasing number of crime against women in Haryana over the years.

Table 1 Crime against Women in Haryana from 2008 to 2014

S.No	**Nature of Crime**	**2008**	**2009**	**2010**	**2011**	**2012**	**2013**	**2014**
1.	Rape IPC 376	631	603	720	733	688	971	1174
2.	Kidnapping & Abduction of women to compel her for Marriage, etc. IPC-366	644	659	714	733	900	1957	886
3.	Sexual Harassment	447	389	436	490	434	643	599
4.	Stalking	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	N.A	284
5.	Cruelty by Husband & Relatives	2435	2617	2720	2740	3137	3617	3478
6.	Dowry	302	281	284	255	258	263	13
7	Immoral Trafficking	77	90	57	57	69	63	43
8.	Total							

The above table of crime against women clearly shows that crimes against women are on rise in Haryana. Crimes like rape, kidnapping and abduction and cruelty by husband are increasing year by year and somewhere poor sex ratio is responsible for it. United Nations in its report "Sex Ratios and Gender Biased Sex Selection: History, Debates and Future Directions" notes that there is no place for girls in India.

(2) Literacy of Women

Haryana is having a poor record and performance in terms of women's literacy rate. Haryana's overall literacy rate is 76.6 per cent. As compared to men it is quiet poor as men's literacy rate is 85.04 per cent while women literacy rate is 66.80. A comparative analysis of their literacy is given in the following table

Table 2 Literacy Rate 1971-2011, Haryana

Year	Persons	Male	female
1971	25.71	38.9	10.32
1981	37.13	51.86	20.04
1991	55.85	69.1	40.47
2001	68.59	79.25	56.31
2011	76.6	85.04	66.80

Source: Census of India

Its neighbouring states like Punjab, Rajasthan, Delhi, and Uttarakhand have better record of women literacy in comparison to Haryana. Patriarchal society and unfavorable environment for women are responsible for this poor literacy among women in Haryana.

(3) Poor Sex Ratio

Sex ratio can be defined as number of females per 1000 males in the population (Census: 2011). A balanced sex ratio is required for a healthy society. If sex ratio is skewed in favor of male or female it may cause various problems like problems in marriages, increase number of crime against women, human trafficking and so on. India presents a case of poor sex ratio. Haryana presents a unusual example of poor sex ratio as state is economically advance having one of the worst sex ratio in India. This paradox is also reported in a report 'Understanding Gender Equality in India-2012' jointly prepared by The United Nations Women and National Commission for Women. It notes down that "Delhi, Chandigarh and Haryana have adverse sex ratio interestingly, Delhi, Chandigarh and Haryana are economically quite progressivebased on the per capita Net State Domestic Product (NSDP) which shows thatHaryana has a per capita NSDP of Rs 78781 while Delhi and Punjab have per capita NSDP of Rs 116886 and Rs 62153 respectively"

Table 3 Sex Ratio in India and Haryana

State/Districts	Sex Ratio				
	1971	1981	1991	2001	2011
INDIA	930	934	927	933	940
HARYANA	867	870	865	861	877
Panchkula	819	833	839	823	870
Ambala	882	902	885	868	882
Yamunanagar	848	855	883	862	877
Kurukshetra	859	872	879	866	889
Kaithal	843	848	853	853	880
Karnal	856	856	865	865	886
Panipat	852	849	854	829	861
Sonipat	866	866	841	839	853
Jind	860	856	838	852	870
Fatehabad	870	881	877	884	903
Sirsa	865	885	885	882	896
Hisar	859	861	861	851	871
Bhiwani	878	897	880	879	884
Rohtak	878	869	851	847	868
Jhajjar	903	891	861	847	861
Mahendragarh	910	939	910	918	894
Rewari	927	926	871	899	898
Gurgaon	886	880	871	850	853
Mewat	N.A	N.A	N.A	899	906
Faridabad	810	811	828	826	871
Palwal	N.A	N.A	N.A	862	879

Source: Census of India

The above data of sex ratio reveals that sex ratio in Haryana is below 73 points with national average. Haryana has registered a growth of 1.86 per cent which is higher than 0.75 per cent growth of India. However, states like Mizoram, Nagaland, Kerala, Assam and Punjab have also registered positive growth. States like Jammu & Kashmir, Bihar and Gujarat have shown negative growth. Even within Haryana it is interesting to note that apart from Mahendergarh and Rewari all districts have registered positive growth which is a good sign. A decade earlier form 1991 to 2001 almost 13 out of 19 districts have shown negative growth 2 remained same and only 4 have registered positive growth. However, situation is altogether different in India as well as in Haryana if one examines their child sex ratio. Table 2 shows the Child Sex Ratio

Table 4 Child Sex Ratio in India and Haryana From 1991 to 2011

State/Districts	Years		
	1991	2001	2011
INDIA	945	927	914
HARYANA	879	819	830
Panchkula	890	829	850
Ambala	888	782	807
Yamunanagar	888	806	825
Kurukshetra	868	771	817
Kaithal	854	791	821
Karnal	871	809	820
Panipat	889	809	833
Sonipat	878	788	790
Jind	858	818	835
Fatehabad	873	828	845
Sirsa	883	817	852
Hisar	864	832	849
Bhiwani	885	841	831
Rohtak	868	799	807
Jhajjar	886	801	774
Mahendragarh	892	818	778
Rewari	894	811	784
Gurgaon	895	807	826
Mewat	N.A	893	903
Faridabad	884	847	842
Palwal	N.A	854	862

Source: Census of India

India as a whole is registering a gradual decline from 1991 to 2011 while Haryana initially declined from 1991 to 2001 but showing a marginal improvement of 11 points from 2001 to 2011. However, its 5 out of 21 districts namely Bhiwani, Jhajjar, Mahendergarh, Rewari and Faridabad are showing a negative growth. Furthermore, its six districts Jhajjar, Mahendergarh, Rewari, Sonipat, Ambala and Rohtakare figured in the list of ten bottom district of child sex ratio in India. In fact Jhajjar and Mahendergarh are top on the list. Child sex ratio was comparatively better in 1991 and deteriorated in 2001. Collective efforts of civil society and government have marked minor improvement from 2001 to 2011. Still, Haryana is far behind than national average and requires remarkable improvement to save the girl child.

(4) Female Foeticide

United Nations International Children's Emergency Fund (UNICEF) in its report "The Missing Girl Child in India" notes down that female foeticides is one of the major reason behind the skewed sex ratio in India. States like Haryana has registered 50 points decline in sex ratio due to the practice of female foeticides.

Initially the implementation of this act was not very strict. In 2000 Center for Enquiry into Health and Allied Themes and Others have filed a petition in the Supreme Court against Union of India and Others for proper implementation of the Act. The apex court has given strong direction to Union and state governments as well as Union Territories to implement this Act strictly. It is followed by the amendment in the PNDT Act in 2002. Following the amendment it is renamed as Pre Conception and Pre Natal Diagnostic Techniques Act (PCPNDT) after the amendment. The amendment has made it mandatory for every clinic having ultrasound or other sex detection facility to register and keep all the record of patients. It also gives suomoto power to appropriate authority to search, seizure or accessibility of any clinic registered under it. It also banned the advertisement relating to sex selection (Section

22). It has also enhanced the penalty of violation of the provisions of the Act (Section 23). Despite having amendment in the act and court order for strict implementation of the act a social network between the people and medical practitioner facilitate them to escape from law and sex ratio is still poor. This reality of nexus has been raised in the Bollywood movie Jalpari: The Desert Mermaid in 2012. Nila Madhab Panda, director of this movie, has shown that how daughters are been killed in the womb itself. Poor child sex ratio has been taken seriously by the Fourteenth Lok Sabha. It has decided to give Rs. 5 lakh to Member of Parliament (MPs) office states, including 15 MPs Haryana, and two union territories having poor child sex ratio. The fund is given to create awareness in their respective constituencies by way of organizing exhibitions, seminars, nukkad natak, training/orientation programme of Panchayti Raj Institutions or by any other means. Table 5 provides data for cases of Foeticide in Haryana in last seven years.

Table 5 Cases Reported for Foeticide in Haryana

Years	Incidence reported for Infanticide	Incidence reported for Foeticide
2008	4	5
2009	0	3
2010	7	2
2011	0	5
2012	0	28
2013	0	21
2014	3	6
Total	14	70

(5) Trafficking of Women

One of the major drawback of poor sex ratio is grooms in Haryana as well as Punjab are finding it hard to have brides. Therefore, frustrated youth is moving for human trafficking. A number of girls from Assam, Jharkhand, West Bengal and other states are purchased and got married to grooms in Haryana. Vrinda Sharma in her article in "Bride Purchased, then exploited in Haryana, Punjab" has noted down that purchasing of bride has become a lucrative trade in Haryana and Punjab. Poor sex ratio has made it difficult for grooms to have brides in Haryana. Therefore, brides are purchased from poor states and thereafter exploited and denied their basic rights (The Hindu: 2011). These girls are known as molki (one for whom price is paid) or paro. These women are not given equal status and subjected to physical and mental exploitation. United Nations Office on Drug and Crime has prepared an assessment report in 2013 on human trafficking in India. Under its Section of State Report in Haryana it note

"....Victimsare lured from Assam, West Bengal, Jharkhand, Odisha, Bihar, Madhya Pradesh, Uttar Pradesh, Uttarakhand and Himachal Pradesh through deceit for a better living or have been bought through the traffickers or sold by their poor parents. Although trafficking in women and girls has become a lucrative and expanding trade in these regions, it routinely escapes effective administrative and social sanctions and the general response is to deny the existence of any such problem.The widespread unemployment especially in Haryana and the low status accorded to women has only added to the problem."

A Non-Government Organization Dristhi Stree Adhyayan Prabodhan Kendra has conducted a field study on impact of sex ratio on marriages in 2010. It found that in 10000

household 9000 women are brought from other states. Therefore, girls in Haryana are deprived of their rights inside and outside of the womb.

Legal Investigations

Directive Principles of State Policy, under part 4 of Indian constitution, provides for organization of Panchayati Raj (Article 40). It provides that "The State shall take steps to organize village panchayats and endow them with such powers and authority as may be necessary to enable them to function as units of self-government." This is substantiated by article 263 (3) with entry 5 of State List. It read as-

"Local government, that is to say, the constitution and powers of municipal corporations, improvement trusts, districts boards, mining settlement authorities and other local authorities for the purpose of local self-government or village administration."

The above mentioned two provisions stats those even before 73rd Constitutional Amendment Act state governments were competent to set up local governance. In fact many states like Karnataka, Madhya Pradesh, and West Bengal. However, there was no uniformity and continuity of Panchayati Raj Institutions in these states. Therefore, 73rdConstitutional Amendment Act was passed its statement of objectives and reasons clearly states that

"Though the Panchayati Raj Institutions have been in existence for a long time, it has been observed that these institutions have not been able to acquire the status and dignity of viable and responsive people's bodies due to a number of reasons including absence of regular elections, prolonged suppression, insufficient representation of weaker sections like Schedule Castes, Scheduled Tribes and women, inadequate devolution of powers and lack of financial resources."

With this objective and reason 73rd Constitutional Amendment has been enacted. Besides other provisions Panchayati Raj has become mandatory in every state with 33 per cent reservation of women (including Schedule Castes, Scheduled Tribes women). Article 243D, provides reservation of seats. Its clause 3 says that seats shall be reserved for-

"Not less than one-third (including the number of seats reserved for women belonging to the Schedule Castes, Scheduled Tribes) of the total number of seats to be filled by direct election in every Panchayat shall be reserved for women and such seats may be allotted by rotation to different constituencies in a Panchayat."

The issue of qualification and disqualification of to contest Panchayat elections comes out of Article 243 F it deals with disqualifications for membership. It provides that

"(1) A person shall be disqualified for being chosen as, and for being, a member of Panchayat -

(a) If he is so disqualified by or under any law for the time being in force for the purposes of elections to the Legislature of the State concerned: Provided that no person shall be disqualified on the ground that he is less than twenty-five years of age, if he has attained the age of twenty-one years;

(b) If he is so disqualified by or under any law made by the Legislature of the State.

(2) If any question arises as to whether a member of a Panchayat has become subject to any of the disqualifications mentioned in clause (1), the question shall be referred for the decision of such authority and in such manner as the Legislature of a State may, by law, provide."

This article clearly maintains that the qualifications set for contest the election of State legislature by the Parliament. Qualifications to contest the state legislature elections are set by the constitution and it empowers Parliament to lay down additional qualifications by law. Article 173 provide qualification for membership of the State Legislature. It lays down that

" A person shall not be qualified to be chosen to fill a seat in the Legislature of a State unless he

(a) is a citizen of India, and makes and subscribes before some person authorized in that behalf by the Election Commission an oath or affirmation according to the form set out for the purpose in the Third Schedule;

(b) is, in the case of a seat in the Legislative Assembly, not less than twenty five years of age and in the case of a seat in the Legislative Council, not less than thirty years of age; and

(c) possesses such other qualifications as may be prescribed in that behalf by or under any law made by Parliament."

Article 243 F (1) (b) also provides that State Legislature is also competent to formulate qualification/disqualification for Candidates contesting the Panchayat elections. Therefore, its legality cannot be contested. In various instances states have formulated conditions for improving society through Panchayats because Panchayati Raj directly relates with the life of the people. For instance two child norms has been introduced by ……………so that population can be control. Panchayati Raj Institutes is a very effective means of social change. Supreme Court in its verdict, in Bhanumati and Others vs State of Uttar Pradesh, has very beautifully said

"The Panchayati Raj institutions structured under the said amendment are meant to initiate changes so that the rural feudal oligarchies lose their ascendancy in village affairs and the voiceless masses, who have been rather amorphous, may realise their growing strength. Unfortunately, effect of these changes by way of constitutional amendment has not been fully realised in the semi-feudal set-up of Indian politics in which still voice of reason is drowned in an uneven conflict with the mythology of individual infallibility and omniscience. Despite high ideals of constitutional philosophy, rationality in our polity is still subordinated to political exhibitionism, intellectual timidity and petty manipulation. The Seventy-third Amendment of the Constitution is addressed to remedy these evils."

Therefore state legislature is competent to bring any social change through Panchayats. Haryana Women education is very important from the perspective of governance because web of women related issues are on rise and require immediate solution.

Judicial Perspectives

Haryana Panchayat Raj Amendment Act 2015 has been challenged in the Supreme Court of India. It is known as Rajbala and Others vs State of Haryana and Others. Supreme Court in its verdict has clearly maintained that Indian Constitution provides for Procedure established by law and avoids Due Process of Law. Therefore, it is beyond the consideration of the Court whether this amendment is right or wrong on moral ground. However, the apex court has examined the constitutional legitimacy of the amendment. State government has submitted the following data before the apex court.

Table 6

Number of persons above 20 years of age vis-à-vis their educational qualification

	Total Population			SC Population		
	Total	Male	Females	Total	Male	Female
Illiterate	3660892 38%	1211555 24%	2449337 53%	980908 48%	367755 34%	613153 63%
Unspecified Literate & below primary	494348 5%	291058 6%	203290 4%	125442 6%	77233 7%	48209 5%
Primary/Middle/Matric& above	5458464 57%	3489821 70%	1968643 43%	949306 46%	631180 59%	318126 32%
Total Population above 20 years of age	9613704	4992434	4621270	2055656	1076168	979488
Total Rural Population	16509359	8774006	7735353	3720109	1973294	1746815

Source: National Population Register – 2011

The court has studied the submitted data and found that out of 46 lakh women population 20 lakh are literate above the primary level. However, break up of their exact qualification is not available. If it is assumed that these 20 lakh women are matriculate in this assumption exclude more than 50 per cent women from contesting the election. The apex court note down that…….

"An analysis of the data in the above table indicates that a large number of women (more than 50% of the otherwise eligible women) in general and scheduled caste women in particular would be disqualified to contest PANCHAYAT elections by virtue of theIMPUGNED ACT."

With reference to Section 21 of the Haryana Panchayati Raj, Attorney General said that there are varieties of functions to be performed by the members of Gram Sabha. The state legislature decided that minimum educational qualification is required to perform these functions and keeping this in mind amended the Act. The apex court stated that making such a conditions for all the candidates doesn't violate Article 14 (Right to Equality) as contended by the petitioner. Besides, court has also maintained that "It is only education which gives a human being thepower to discriminate between right and wrong, good and bad.Therefore, prescription of an educational qualification is not irrelevantfor better administration of the PANCHAYATS."

The Supreme Court has examined the Constitutional scheme and with reference to Articles 173 and 243 F (1) (b) it found that State Legislature is competent to formulate qualification/disqualification for candidates contesting the Panchayat elections. It maintained that examination of Constitution

scheme reveals that a person entitled to vote automatically doesn't become eligible to contest any or every election. Constitution itself maintains that personof unsound mind cannot contest the Parliamentary or State Legislature elections. It render people, may be a small number, ineligible to hold the office. However, question is not of number but of accessibility of the constitution regarding the suitability of person belonging to that category to hold the public office. Therefore, the apex court held that it is constitutionally permissible to disqualify some category of person from holding the public office. Furthermore, it added that numerical dimension doesn't matter until it makes constitutional scheme nonfunctional resulting into a situation where holding of election become impossible.

Conclusion

Women in Haryana, in Marxist terminology, are proletariat and exploited class. From the perspective of structural-functionalist they are non-functional. The patriarchal social structure having practices of Khap Panchayats, honor killing, purdah-system, has not given them scope to create an egalitarian space for them. In the language of William F. Ogburn Haryana presents a case of cultural lag. Cultural lag prevails when material parts of society advances and creates a mismatch with non-material part of it. Haryana is a living paradox as it is one of the most developed states of India representing a society where woman is living under purdah, not allowed to choose her life partner, and dominated by patriarchal set up of the society. With such a background social change is required to overcome the prevailing mismatch in the society. This social change has to be induced in the society and Haryana government's decision is one such example. Panchayat is a very effective means to bring this change. However, there is a big segment which calls it exclusionary as it disqualifies majority of women from contesting the election. Initially it may appear exclusionary, however; in the long run it is expected to promote social justice, gender equality, and improvement in sex ratio. This amendment has passed the test of its legality and constitutionality.Haryana government's action is expected to bring improvement of educational status of women which in turn will give momentum to address many women related issue from improving sex ratio to controlling crime against women.

End Notes

1. http://reports.weforum.org/global-gender-gap-report-2015/rankings/ (accessed on 1 March 2016)
2. http://hdr.undp.org/en/composite/GDI (accessed on 1 March 2016)
3. http://hdr.undp.org/en/composite/GII (accessed on 1 March 2016)
4. http://www.elections.in/political-corner/women-members-of-parliament-in-india/ (accessed on 4 March 2016)
5. http://www.panchayat.gov.in/documents/10198/951187/3213.pdf (accessed on 10 March 2016)
6. http://www.ndtv.com/india-news/chhavi-rajawat-an-mba-graduate-is-indias-youngest-sarpanch-451335 (accessed on 8 March, 2016)
7. PTI.Orissa woman sarpanch to represent India at US meet. New Delhi,Indian Express, 25 January, 2014.
8. Inter-Parliamentary Union.Equality in Politics: A Survey of Women and Men in Parliaments. Geneva, Switzerland, 2008, pp.17-18
9. Mahatma Gandhi. Education of Women.Ahmadabad, Harijan, 18 Feb 1939.
10. Ibid.

11. Mary Wollstonecraft.Vindication of the Rights of Women. London, Start Classics, 1792, p.53.
12. J.S. Mill. Subjection of Women.Durham, Aziloth Books, 1869, pp.49-50.
13. S.C. Dube.IndianSociety.New Delhi, National Book Trust, 2011, pp.111-113.
14. Grooms Kidnappings: A blot on India's Bihar(Poor and unable to find grooms for their daughters, many still seize men at gunpoint in what is known as pakadwashaadi). Online Accessed on 13/1/15 http://www.aljazeera.com/indepth/features/2014/02/groom-kidnappings-blot-india-bihar-2014218115419409842.html
15. http://ncrb.nic.in/StatPublications/CII/CII2014/snapshots.pdf (Accessed on 23 Oct 2015)
16. National Crime Record Bureau.Crime in 2014. New Delhi, Minister of Home Affairs, 2014, pp 155
17. http://pib.nic.in/prs/2011/latest31mar.pdf (Accessed on 24 Feb, 2016)
18. Government of India.Gender Composition-Census Report 2011. Vol.5, 20, P.95, 2011.
19. C.Chanderamouli. Child Sex Ratio in India. Delhi, Census of India, 2011, p.25.
20. Online Accessed on 14/1/16 http://unicef.in/PressReleases/227/Female-foeticide-in-India
21. Cehat&OrsVs Union of India 2003 (10) Scale (11), (2003), 8 SCC 412
22. Online available at http://pndt.gov.in/writereaddata/mainlinkFile/File46.pdf Accessed on 26 Jan, 2015.
23. Vrinda Sharma. Bride Purchased, then exploited in Haryana, Punjab. New Delhi, The Hindu, 26 Aug. 2011.
24. Danish Raza.When Women come cheaper then cattle. New Delhi, The Hindustan Times, 23 March 2014.
25. United Nations Office of Drugs and Crime.Current Status of Victim Service Providers and Criminal Justice Actors in India on Anti Human Trafficking. A Review Commission by UNDOC, pp.95, 2013.
26. Ibid.
27. Bhanumati& Others v. State of U.P., (2010) 12 SCC 1, Para 3
28. Rajbala& Others vs State of Haryana & Others, SCC 399, 10 Dec 2015.

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

DISASTER MANAGEMENT IN CANADA: A FEDERAL PERSPECTIVE

Dr. Sanjay Sharma
Asst Prof, Political Science
Army Cadet College,
Indian Military Academy, Dehradun

Introduction

As generally understood, federalism provides for association of different regions, religions and cultures, it is a system of 'self-rule plus shared-rule'(Elazar1983).[1] Its strength lies in institutionalization and constitutionalization of each dimension of governance. It has participatory stress. Entire federal governance is subject to the division of competence on the basis of recognition of two federal rights (i) Right to decide and (ii) Right to act(Braun 2000, 30). While "Right to decide" refers to the decisional autonomy of the units of government, "Right to act," means executional autonomy. The two forms of autonomies are expected to produce efficient governance (of disaster management), which otherwise is not possible within the traditional system of public administration, marked by undue hierarchy, subordination and desk failure.[2] A federal system is marked by different degrees of constitutionally protected and coordinated noncentralisation, decentralisation and deconcentration. Exercise of allocated powers follows a predictable path of decision and action by each level of government or structure of authority, and better management of time, space and resources. As a matter of fact, federalism is the key to the core concept of good governance.

The present work explores the feasibility of federalism as a system of good governance in managing disasters in Canada. In a way, present study uniquely examines disaster management from hitherto unexplored perspective of federalism. It simultaneously, for better conceptual understanding, examines modes of distribution of powers, authorities and functions for disaster management in Canada. Issues of disaster management have been factorised and classified according to their critical significance in terms of policy choices. The federal structure of Canada has been evaluated in terms of better federal management of disaster. In the process, many new dimensions of federalism and disaster management have emerged, which may probably; contribute to critical mass of knowledge on the subject. This paper is divided into three major sections to analyse federal governance of disaster in Canada. In the first section theory of federalism as an effective tool of disaster governance is explored. This section briefly defines the concepts of disaster and

disaster management. Second section critically explores the federal governance of disaster management in Canada, which is the central theme of the paper. Federal and provincial programmes, policies and acts have been analysed to explore the role of federal and provincial governments in managing disasters. Third section focuses on disaster financing. The provision of Disaster Financial Assistance Arrangement (DFFA) and other financial mechanisms for disaster management have been discussed to determine cost sharing of disaster between federal and provincial governments.

Federal Governance of Disaster

In Canada, Department of Public Safety is the nodal agency to deal with different types of disaster. This department has evolved many policies from time to time and it has issued various guidelines for citizens as well as provinces for disaster preparedness. It manages database, besides, working towards disaster awareness in Canada. From Constitutional perspective, disaster management does not appear in division of power in Canadian federalism. According to the clause of Peace Order and Good Government (POGG) federal government is empowered to legislate over all subjects not assigned exclusively to the provincial legislatures (Section 91, 26).[3] Therefore, the federal government has competence to legislate over disaster. However, disaster management has emerged in a cooperative framework as evident from various federal-provincial joint mechanisms, for example National Disaster Mitigation Strategy is a federal agency. Besides, the provinces have also enacted legislations and created agencies for disaster management. Therefore, analysis of federal and provincial mechanism has been attempted in the subsequent sections of the paper for exploring federal governance of disaster in Canada.

Federal Policies on Disaster Management

There are several important federal policies that deal with the different issues related to disaster management in the country. Federal government has prepared a federal policy on emergencies (FPE) to address the emergency on national level. This policy has been formulated under Emergency Management Act.The Federal Policy on Emergencies seeks to allocate the role and responsibilities among Canadian departments, besides working towards the evolution of coordination mechanism for dealing with emergencies. Under its policy outline, a new department, Public Safety and Emergency Preparedness Canada (PSEPC) has been established. Its objectives look forward for federal-provincial cooperative framework. Its preamble states (FPE 2012, 3)

The federal government is responsible for emergency management at the national level in it exclusive jurisdictions and on lands and properties under federal responsibility. Provincialand territorial governments exercise responsibility for emergency management within theirrespective jurisdictions except where legislation allows for direct federal intervention or forshared responsibility. If any emergency threatens to overwhelm the resources of a provinceor territory, federal institutions may respond to the request or if an emergency has a nationalimplication. A provincial request for assistance during an emergency indicates that the provincerequires federal support to achieve an objective.

Further, this policy allows the periodic review and amendments in federal policies on emergencies, which reflects the evolving relationship among departments of federal government and provincial government departments.

National Security Policy (NSP)

The federal government in May 2004 enacted the National Security Policy. As outlined in its executive summary "national security policy is a strategic framework and action plan designed to ensure that Canada is prepared for and can respond to current and future threats. The focus is on events and circumstances that generally require a national response as they are beyond the capacity of individuals, communities or provinces to address alone."[4] The basic objective is to build up an integrated security system with watchdog agencies like (i) Integrated Threat Assessment Centre responsible for pooling together necessary information for quick response; (ii) establishment of National Security Advisory Council consisting of non-governmental security experts; and (iv) making of Federal Department of Public Safety, a nodal department to coordinate interdepartmental activities. Public Safety Department is an advanced center for 'monitoring and coordinating the federal response to an emergency. With 11 Regional Offices across Canada, the department deals with in the areas of: critical infrastructure protection, cyber security, disaster mitigation, emergency preparedness, recovery response and regional operations. The department works closely with provincial and territorial emergency management organizations (EMOs) in the provinces of Alberta, British Columbia, Manitoba, New Brunswick, Newfoundland and Labrador, Northwest Territories, Nova Scotia Ontario, Prince Edward Island, Quebec, Saskatchewan and Yukon. National Security Policy, as a matter of fact, is a visionary and action oriented policy, which ensures Canada's preparedness for current and futuristic threat.

An Emergency Management Framework for Canada 2007

It came into effect in January 2005 and is applicable throughout the Canadian union. The 'Framework' gives effect to decision taken at July 2004 Council of the Federation meeting, where Premiers agreed to "direct their Ministers to work with the federal government to develop a coordinated strategy for emergency response and readiness for Canada, respecting provincial and territorial laws and territorial laws and plans already in place (Public Safety Canada 2011, 1)."[5] The framework also gives effect to the decision taken by FPT ministers responsible for emergency management in 2005. The decision says "….work together to improve and enhance the emergency response framework in order to harmonize the federal system so that it complements each provincial and territorial system..." (Public Safety Canada 2011, 1) the framework recognizes the threats from various sources like terrorism, natural and human induced hazards, climate change and animal and human diseases. The main purpose of emergency management framework is to protect lives, 'preserve the environment and protect property and economy. The most important of all these is to protect the human lives. Broadly emergency management raises the understanding of potential threats and ways to manage these effectively. Emergency management comprises of four interdependent risk based function.

Prevention and Mitigation is the first function. It refers to elimination or reduction in the "impacts and risks of hazards through proactive measures taken before an emergency or disaster occurs, for example land use management, public education and a protective structure such as flood dykes."[6]

Second function in the framework is Preparedness. It is a condition of state of alert to respond to disaster in the shortest possible time and to manage convergence through a well devised emergency response plans and

inventories of 'do's and don'ts of emergency management.

Response is the third function. It is a stage of action to minimize degree of loss, rescue work, and introduction of rehabilitation work.

Fourth function is termed as Recovery. The primary objective of recovery is "to repair or restore conditions to an acceptable level through measures taken after a disaster." As a matter of fact it is a stage bringing life to normal. "These four interdependent functions may be undertaken sequentially or concurrently, but these are not independent of each other's."[7]

These functions can be undertaken sequentially or concurrently. Provincial, territorial and federal governments are required to adopt a comprehensive all hazard approach to deal with any event of emergency. Further, the emergency management is the collective endeavor of individuals and government at all levels.

Canada's National Disaster Mitigation Strategy (NDMS)

It was way back in late 1990 that demand for a national disaster mitigation strategy has been raised from different quarters. In 1998 Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness (OCIPEP) with Insurance Bureau of Canada has organized five regional workshops and one national conference on mitigation. Besides, FPT Senior Officials Responsible for Emergency Management (SOREM) in their national conference endorsed the idea of national mitigation strategy. These efforts raised the issue of national disaster mitigation in Canada. It was quiet surprising that while people of Canada were aware about the possible hazard they didn't knew how to mitigate it. In 2002, Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness published a discussant paper titled "Towards A National disaster Mitigation Strategy". In this discussant paper need for disaster mitigation was strongly argued. It notes (OCIPEP 2002, 5)

one in three Canadians lives in regions that are susceptible to earthquakes. Many reside in areas subject to flooding. …………Experts believe that larger natural disasters than have ever been experienced in Canada are inevitable. A key finding of the International Joint Commission's (IJC) final report on Red River flooding concluded that another flood, greater than the 1997 event, is expected. Canadian seismologists have predicted that a major earthquake will occur along Canada's West Coast. ………….Over the past 50 years, significant changes have occurred in our economic, socio demographic and technological environment. …………… The infrastructure on which Canadians rely issusceptible to natural disaster. ………….In the face of these increasing and changing risks,a concerted campaign of mitigative action could prevent hazards from becoming disasters.Catastrophic disasters cause enormous costs to Canadians.……..……….. Supporting mitigation efforts could save large expenditures in response andrecovery costs incurred due to disasters. In 1995, the U.S. Federal EmergencyManagement Agency (FEMA) estimated that $1 invested in disaster mitigation saved $2 in damages.[8]

It is in this background that an initiative for National Disaster Mitigation strategy (NDMS) is taken by federal, provincial and territorial governments. It ensures that disaster mitigation is an important part of emergency management in Canada. The primary objective of mitigation strategy is to prepare Canada as one disaster resilient community. The strategy thus suggested includes both structural (e.g.

flood dikes) and non-structural measures (e.g. land use zoning and building codes). It is, as a matter of fact, is pro-active instrument to prioritize federal, provincial and territorial efforts towards disaster risk reduction.

The goal of the National Disaster Management Strategy is "to protect lives and maintain resilient, sustainable communities by fostering disaster risk reduction as a way of life."

Guiding principles of NDMS includes:

- Preserve Life- Protect lives through prevention.
- Safeguard Communities- Enhance economic and social viability by reducing disaster impacts.
- Fairness- Consider equity and consistency in implementation.
- Sustainable- Balance long-term economic, social and environmental considerations.
- Flexible- Be responsive to regional, local, national and international perspectives.
- Shared- Ensure shared ownership and accountability through partnership and collaboration.[9]

National Disaster Mitigation Program (NDMP)

National disaster Mitigation Program (NDMP) is the next step of National Disaster Mitigation Strategy. Recently, in Premiere's conference at Charlottetown, Ottawa decided to initiate the National Disaster Mitigation Program (NDMP).It has come into force from 1 April, 2015. Ottawa, in the Economic Action Plan of 2014, committed to provide 200 $ for the NDMP for next five years starting from 2015-16. This is an additional funding program from New Building Canada Fund a fund of $ 14 billion announced in 2013. Main thrust of the NDMP is to fund mitigation infrastructure in area identified by provinces and territories.[10] The NDMP is targeted for mitigation of flood, protecting live and property of Canadians in the event of flood. It is considered a shift of Canadian government towards proactive disaster management ensuring safety of people and property before a flood turn into a disaster.

The primary objectives of the NDMP are:

1. Focusing investments on significant, recurring flood risk and costs; and
2. Advancing work to facilitate private residential insurance for overland flooding.[11]

The provincial and the territorial governments are eligible for funding under the NDMP. The provinces and the territories can redistribute funding to eligible bodies like municipal or local governments, public and private sector bodies, international non-government organizations or any group out of eligible bodies. The provincial governments will be given 50 percent of cost of flood mitigation projects while in case of territorial governments; Ottawa will share 75 percent of cost. The NDMP will provide funding for Risk Assessments, Flood Mapping, Mitigation Planning, and Investments in Non-structural and Small-Scale Structural Mitigation Projects.[12]

Provincial Agencies of Disaster Governance:

At the provincial level Emergency Management Organizations operate with different nomenclatures and functions under different mandates. Manitoba has established Manitoba Emergency Management Organization (MEMO) in 1959. Initially, MEMO was constituted to tackle the events related to nuclear attack but gradually its scope was enlarged to deal with disasters issues. Later, it was merged with Manitoba Disaster Assistance Board in 1966. In British Columbia,

British Columbia Inter Agency Emergency Preparedness Council (IEPC) deals with any eventuality of emergency. The IEPC derives its powers from Emergency Program Management Regulation, which provides that "in order to facilitate the coordination of the plans and procedures referred in section 3; every minister must appoint one representative to a committee to be known as the Inter-Agency Emergency Preparedness Council."[13] The IEPC facilitates coordination of plans and procedures and report to these and other specified issues to the Minister. Further, Provincial Emergency Program (PEP) works with the local government to provide assistance to them at the time of emergency and thereafter as well. Besides, British Columbia has British Columbia Emergency Management System (BCERMS), working on the principle of an incident command scheme (ICS), which was originally developed in fire response management system in the United States. The purpose behind the establishment of BCERMS was to standardize process for response and preparedness for managing an emergency. It operates at four levels: (i) Site Level; (ii) Site Support Level; (iii) Provincial Regional Coordination Level: and (iv) Provincial Central Coordination Level.[14]

New Brunswick has constituted Emergency Measures Organization (NB EMO) to deal with emergency in the province. NB EMO coordinates provincial and municipal responses towards emergency along with delivering disaster financial assistance. In Nova Scotia, the Environment Management Office (EMO) derives its mandate from Emergency Management Act of Nova Scotia. The responsibility of EMO is to ensure the safety and security of people as well as property of Nova Scotia. EMO also provides assistance to municipal government to deal with an emergency. EMO follows four pillars in emergency management namely, mitigation, preparedness, response and recovery.[15] Further, it executes Joint Emergency Preparedness Program (JEPP) along with the federal government. Saskatchewan Emergency Management Organisation (Sask EMO) is the agency, which maintains emergency preparedness by coordinating actions of various departments along with a federal response towards emergency. Sask EMO also implements the Joint Emergency Preparedness Program (JEPP) with federal government. Besides, Sask EMO, the Protection and Emergency Services (PES) is the leading agency in the emergency management. Environmental Advisory Council (EAC) in Prince Edward Island derives its authority from section 4(2) of Environment Protection Act, which lays down that "the Council shall (a) serve as an advisory board to the Minister responsible for the environment; (b) perform such functions as may be prescribed by regulation."[16]

What appear from above analysis is that Canada has a collaborative mechanism of disaster management. At federal level its policies and framework are inclusive in nature. It accommodates provincial and territorial governments. Besides, provincial and territorial government enjoys policy formation and its executive autonomy at local levels as well. Unlike, many federal states like India where federal units are mere executional agencies of federal decisions.[17] Canadian federalism presents a collaborative model of federalism in disaster management.

Fiscal Provision of Disaster Management in Canada

Fiscal provisions constitute an important part of federalism. The provincial governments over the years have gained a

greater say in monetary transfer of federal government. The fiscal transfer for disaster management comes under the provision of disaster financial Assistance Arrangements. The federal government assures fiscal contribution to provincial government if its expenditure rises above a certain limit. Thus disaster financial Assistance arrangement has to be read elaborately to understand the fiscal provision for disaster management in Canada.

Disaster Financial Assistance Arrangements

Under disaster financial arrangement (DFFA), disaster relief is provided to a province or provinces suffering from disaster. It is the public safety Canada, a federal department, to ensure safety of public, which was prepared the guidelines for administration of the federal disaster financial assistance arrangements.

The purpose of the DFAA is to help provinces with the cost of dealing with a disaster where such cost would constitute a significant burden on the economy of provinces and might exceed then the capacity of provinces then the capacity of provinces and become unbearable in long run.

There are different principles which are followed while implementing DFAA. These principles are.

- Providing the necessities of life to all including help to repair and restore damaged, homes;
- Re-establishing or maintaining the viability of small scale business and working forms.
- Repairing, rebuilding and restoring public works and the essential community services specified in these guidelines to their pre-disaster capabilities;
- Funding limited mitigation measures to reduce the future vulnerability of repaired or replaced infrastructure.

Applicability of DFAA

The DFAA is applicable to natural disasters resulting in extensive damage of infrastructure leading to disruption of the delivery of essential goods and services.

However, the DFAA is not applicable in the following situation.

- Disasters whose effects are limited to a single economic production sector.
- Chronic or pandemic health emergencies, including recurring or new public health threats.
- Public order, civil disorder, criminal and terrorist acts, or international armed conflict; and
- The fighting or forest, prairie, grass or wild fires, except where they pose a threat to built–up areas then primarily for pre-emptive actions and damaged infrastructure restoration.[18]

Procedure for cost sharing and Recipient Class

According to provisions of DFAA only provinces are eligible for financial expenses. The DFAA provides assistance, when provinces eligible expenses incurred in carrying out its own disaster response and recovery program are above $ 1 per capita of the provincial population. If this limit exceeds, then federal share of eligible expense is determined as given in the table.

Table 1: Cost sharing Formula

Eligible provincial expense thresholds (per capita population)	Govt. of Canada Share (percentage)
First $ 1	0
Next $ 2	50
Next $ 2	75
Reminder	90

Authority and Funding

Authority to give financial assistance resides with the Governor in council who may on the recommendation of the minister, make an order as required under. The emergency management act announcing emergency to be the concern of the government of Canada. Thereafter, the governor in council may authorize the provision of financial assistance to the affected provincial/provinces. The concerned minister is the final authority to decide the eligibility of events and expenditures, and amounts of payments to be made through the DFAA.

In accordance to section 4 (1) j of the emergency management Act, the minister of public safety and emergency preparedness may provide financial assistance to a province if:

- A provincial emergency in the province has been declared to be concern to the federal government by the Governor in council under section 7 (c).
- The minister is authorized by the Governor section 7 (d) to provide financial assistance:
- The provinces have requested assistance.

In this manner federal government ensure that if provincial government expenditure on natural disaster raises a certain limit than it should get federal financial assistance. However the mechanism of this fiscal transfer is criticized by provinces as they maintain that government of Canada retains the right to determine whether DFAA is a suitable mechanism to help out provinces. Further many conditions excluded from DFAA. Overall it can be maintained that DFAA should have more flexible criteria and it should be extended to other conditions of natural disaster as well.

Financial Assistance to Manitoba Flood 2014

Last year Ottawa government declares to provide financial assistance to Manitoba as it experienced flood in July 2014.[1] It was on 4th July 2014 that Provincial Emergency was declared and very next day Ottawa landed assistance to Manitoba in terms of deploying Armed forces and keeping ready the Royal Air Force to deal with emergency. Manitoba finance has issued a special warrant of 100 $ for financial assistance to flood affected. The cost of lost and damaged is under calculation to receive financial assistance from Ottawa under DFFA.[2] Besides DFFA some provinces like Albert, Ontario and Manitoba indigenous disaster financial assistance programs.[3]

Conclusion

As a matter of fact, in a federal polity disaster governance requires a matrix

arrangement of self and shared governance. However, in the first instance there is urgent need for noncentralisation of rule-making and policy formulation based on the principle of equated capacity and responsibility of different state actors. In Canada, there is a cooperative framework for disaster management as center; province and municipal government together frame the national disaster mitigation strategy. Fiscal competence is one of the important dimensions in managing disasterin a federal country. In Canada federal government has been endowed with extraordinary financial resources. As a consequence, provincial governments largely depend on the federal assistance for cost management of environment. This is the grey area where Canadian federalismrequires to revisitsits public finance system. Good governance requires that as far as possible resources be also locally managed to meet short-term exigencies. Infrastructure deficiency cannot serve the cause of a sound environmental management.

End Notes

1. Elazar, J. Daniel, ed. Governing People and Territories. Philadelphia, Institute for Study of Human Issues, 1983.
2. Braun, Dietmar, ed. Public Policy and Federalism in a Changing World: Learning from Each other. Montreal, Queen's University Press, 2000.
3. Department of Justice.A Consolidation of The Constitution Acts 1867to 1982. Ontario, Public Works and Government Services, 2013, p. 26.
4. http://publicsafety.gc.ca/pol/ns.
5. Htpp://www.pulicsafety.gc.ca/prg/em/emfrmwrk.
6. http://www.publicsafety.gc.ca/prg/em/emfrmwrk-eng.aspx.
7. Ibid.
8. Office of Critical Infrastructure Protection and Emergency Preparedness. Towards A National disaster Mitigation Strategy: Discussion Paper.Government of Canada, 2002, p.5.
9. http://www.publicsafety.gc.ca.
10. Ibid.
11. 11http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/dsstr-prvntn-mtgtn/ndmp/index-eng.aspx
12. Ibid.
13. http://www.pep.gov.bc.ca.
14. http://www.pep.gov.bc.ca.
15. http://www.gov.ns.ca.
16. http:www.gov.pe.ca.
17. For more detail please read Article Sharma, sanjay Union and State Responsibilities in Disaster Management; A critical reflection on Disaster Management Act, 2005. Indian Journal of Federal Studies, Delhi, 2010, pp. 92-106.
18. Government of Canada, "Disaster Financial Assistance", Discussion on Policy Paper, Ottawa, 1995.
19. http://nationtalk.ca/story-category/environment/page/13/
20. 20http://news.gov.mb.ca/news/index.html?item=32225&posted=2014-08-15
21. http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/mrgnc-mngmnt/rcvr-dsstrs/dsstr-ssstnc-prgrms/index-eng.aspx

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

मुरादाबाद मण्डल के चीनी उद्योग में कार्यरत श्रमिकों की समस्याएं

डॉ० अंकुर अग्रवाल
असि0 प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद, उ.प्र.

डॉ० निलेश जैन
एसो0 प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
वर्धमान (पी.जी.) कॉलेज, बिजनौर, उ0प्र0

सारांश

श्रमिक साधारणतया अशिक्षित होते हैं, और अधिकांश अपने अधिकार तथा कर्त्तव्य समझने में असमर्थ होते हैं। श्रम की विशेषताओं के कारण मालिकों की अपेक्षा श्रमिकों की सौदाकारी शक्ति कम होती है। श्रमिकों का संगठन अभी भी बहुत दुर्बल है, परिणामतः मालिकों द्वारा श्रमिकों का सरलता से शोषण होता है तथा उनको अत्यन्त कम मजदूरी दी जाती है। अतः मानवीय दृष्टिकोण से भी मजदूरी की समस्या का शीघ्र समाधान आवश्यक है। सरकार के लिए भी मजदूरी की समस्या महत्वपूर्ण है, क्योंकि यह देश के सभी वर्गों के लिए न्याय का मापदण्ड है। मजदूरी की समस्या का महत्व इस तथ्य से भी है कि अधिकतर कारखानों में अगणित मजदूरी की दरें एवं अवैज्ञानिक अन्तर पाये जाते हैं तथा विभिन्न मजदूरी की दरों में अन्तर निर्धारित करने हेतु किसी भी योजना का अभाव है। विभिन्न उद्योगों में विभिन्न विनिर्माण प्रक्रियाएं हैं तथा विभिन्न प्रकार की मशीनें प्रयोग में लाई जाती हैं। इन बातों ने मजदूरी के समानीकरण की समस्या को अधिक जटिल कर दिया है। ये अन्तर एक उद्योग से दूसरे उद्योग में श्रमिक प्रवासित का कारण हो जाते हैं और कभी–कभी औद्योगिक अशांति और झगड़ों का कारण बन जाते हैं, क्योंकि कम मजदूरी देने वाले उद्योगों के श्रमिक अधिक मजदूरी मांगते हैं, जो अन्य उद्योगों में पायी जाती हैं। अतः वर्तमान समय में श्रमिक की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करना अत्यन्त आवश्यक है क्योंकि मालिकों में श्रमिकों का शोषण करने की प्रवृत्ति अधिक है। अतः उचित मजदूरी नीति निर्धारित करने में अनेक समस्याएं आ जाती हैं। समस्या का समाधान आर्थिक ही नहीं वरन् सामाजिक दृष्टिकोण से भी होना चाहिए, जिससे समाज में आय और धन की असमानता में कमी हो। इसलिए मजदूरी की समस्या महत्त्वपूर्ण तथा गूढ़ है और इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए।

मुख्य शब्द : *बाल मजदूरी, न्यूनतम मजदूरी, ऋणग्रस्तता, कार्यदशा*

प्रस्तावनाः

मजदूरी की समस्या इतनी महत्वपूर्ण है कि समस्त देशों के विवेकशील व्यक्तियों का ध्यान सैदव इसकी ओर आकर्षित हुआ है। यह समस्या भारत में वर्तमान समय में अधिक जटिल और गूढ़ हो गई है और इसका शीघ्र समाधान होना चाहिए। इस सत्य को कोई अस्वीकार नहीं कर सकता कि मजदूरी वह धुरी है, जिस पर अधिकतर श्रम समस्याएं घूमती हैं। औद्योगिक संघर्षों का मुख्य कारण मजदूरी ही है। यह श्रमिक की आय का

मुख्य स्रोत है। उसका तथा उसके परिवार का जीवन निर्वाह उसकी प्राप्त मजदूरी पर निर्भर करता है। इसलिए श्रमिक के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि यदि बेरोजगारी और अर्द्धबेरोजगारी देश में आर्थिक विपत्ति की ओर संकेत करती हैं, तो मजदूरी और आय इस बात के सूचक है कि जो जनसंख्या कार्य में लगी हुई है उसकी आर्थिक समृद्धि कितनी है। यही मजदूरी की समस्या का सबसे अधिक महत्त्व है। इसके अलावा वर्तमान समय में औद्योगिक श्रमिक जो अब तक स्थायी नहीं थे, अधिकाधिक स्थायी होते जा रहें हैं। संयुक्त परिवार अवस्था भी तेज गति से टूटती जा रही है, तथा अब श्रमिक अधिकतर अपनी ही आय पर निर्भर हैं। अतः मजदूरी की समस्या और अधिक महत्त्वपूर्ण हो गई है।

भारत में सबसे महत्वपूर्ण समस्या औद्योगिक श्रमिकों की कम मजदूरी की तथा श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी निश्चित करने की आवश्यकता की है। वर्तमान समय में देश की सबसे महत्वपूर्ण आवश्यकता श्रमिकों को न्यूनतम मजदूरी प्रदान करना है। भारत के अधिकतर श्रमिक असंगठित हैं। अतः मालिकों द्वारा सरलतापूर्वक उनका शोषण किया जाता है। श्रमिक की सीमान्त उत्पादकता पूंजी की उत्पादकता से सदैव कम होती है। इसलिए श्रमिकों को कम प्रतिफल मिलता है, तथापि श्रमिक मानव हैं और मानवीय दृष्टिकोण से उनकी रक्षा होनी चाहिए। श्रमिकों के लिए सभी देशों में एक न्यूनतम मजदूरी निर्धारित करने की समस्या उपस्थित हो गई है। यह मजदूरी केवल उनकी कार्यकुशलता के अनुसार ही न होकर इतनी पर्याप्त होनी चाहिए कि श्रमिक अपनी आवश्यकताओं के अनुसार निर्वाह कर सके। कम मजदूरी की यथार्थता इतनी स्पष्ट है कि इसके लिए विस्तृत खोज अथवा आंकड़ों के संकलन की कोई विशेष आवश्यकता नहीं है। औद्योगिक विवाद, निम्न जीवन स्तर, श्रमिक की कार्यकुशलता, ऋणग्रस्तता इत्यादि अनेक समस्याएं कम मजदूरी की समस्या से संबंधित हैं। सामाजिक दृष्टिकोण से भी यह अनुभव किया जाना चाहिए कि यदि हम समाज में स्थिरता चाहते हैं तो श्रमिक के लिए पर्याप्त निर्वाहिका अत्यन्त आवश्यक है। श्रमिकों की निर्धनता ही साम्यवाद का उत्पत्ति स्रोत कही जाती है। श्रमिकों की न्यूनतम मजदूरी उनके औद्योगिक जीवन, स्वास्थ्य, शक्ति तथा नैतिकता के लिए बहुत अधिक महत्व रखती है। इससे उनकी कार्यकुशलता बढ़ जायेगी, उत्पादन भी अधिक होगा तथा अनेक औद्योगिक समस्याएं स्वयं हल हो जायेंगी।

रॉयल श्रम आयोग ने यह सुझाव दिया था कि इस बात की जाँच की जाए कि न्यूनतम मजदूरी करने वाली कोई व्यवस्था हो सकती है या नहीं। किन्तु उस समय कुछ कठिनाईयों की ओर संकेत किया गया और यह सुधार 1948 तक नहीं किया जा सका। रॉयल श्रम आयोग ने स्वयं न्यूनतम मजदूरी लागू करने के लिए उचित व्यवस्था स्थापित करने की कठिनाईयों का उल्लेख किया है। यह भी उल्लेखनीय है कि मालिकों ने भारत की विशेष परिस्थितियों को इंगित करके मजदूरी में वृद्धि के विरुद्ध तर्क प्रस्तुत किए हैं। प्रायः यह कहा जाता है कि मजदूरी में वृद्धि होने से श्रमिक या तो मदिरा पर अधिक व्यय करने लगेंगे या अधिक आलसी हो जायेंगे। आय में यदि आकस्मिक वृद्धि हो जायेगी, तो उसका बुद्धिमत्तापूर्वक व्यय नहीं हो सकेगा। यह भी कहा गया है कि मजदूरी में वृद्धि के प्रभाव निर्वाह लागत में वृद्धि होने से समाप्त हो जायेंगे, क्योंकि बढ़ी हुई मजदूरी मुद्रा स्फीति उत्पन्न करेगी। परन्तु ये सभी तर्क एकपक्षीय हैं। श्रम की विभिन्न विशेषताओं के कारण अनेक प्रकार की श्रम संबंधी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। चाहे कैसी भी आर्थिक तथा राजनैतिक व्यवस्था क्यों न हो, इन समस्याओं का उचित समाधान न होने पर प्रत्येक देश में उत्पादन क्षमता का ह्रास हो जाता है। जो व्यक्ति यह समझते हैं कि श्रम की समस्याएं केवल पूँजीवाद में ही उत्पन्न होती हैं, और

समाजवादी या नियंत्रित अर्थव्यवस्था में समाप्त हो जाती है, वे वास्तव में भूल करते हैं। जब तक श्रम उत्पादन का पृथक् उपादान रहेगा और इसकी पूर्ति एक पृथक् वर्ग द्वारा होगी, श्रम संबंधी समस्याएं सदैव बनी रहेंगी। परन्तु इतना अंतर अवश्य है कि विभिन्न आर्थिक प्रणालियों में इन समस्याओं की तीव्रता तथा गम्भीरता भिन्न होती है।

इसका अर्थ यह है कि छोटे पैमाने के उद्योग–धन्धों में श्रम संबंधी समस्याएं उत्पन्न नहीं हो पातीं, क्योंकि उनमें कोई मालिक या कोई मजदूर नहीं होता और उत्पत्ति के विभिन्न उपादानों की पूर्ति एक ही व्यक्ति द्वारा की जाती है। प्रत्येक देश में श्रम संबंधी आन्दोलन बड़े पैमाने के उद्योग–धन्धों की स्थापना के पश्चात् ही उत्पन्न हुए हैं, क्योंकि इनमें उत्पत्ति के विभिन्न उपादानों की पूर्ति विभिन्न साधकों द्वारा होती है। प्रत्येक साधक की अभिलाषा उत्पत्ति के लाभ के अधिक से अधिक अंश स्वयं प्राप्त करने की होती है। अतः पारस्परिक मतभेद तथा संघर्ष उत्पन्न हो जाते हैं। ये मतभेद स्वतन्त्र व पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधि ाक तीव्र होते हैं। इसका कारण यह है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में अधिक लाभ प्राप्त करना ही एकमात्र उद्देश्य होता है और यदि श्रमिक शक्तिशाली श्रमिक संघों में उचित प्रकार से संगठित नहीं है या श्रमिकों की सुरक्षा के लिए सरकारी विधान पर्याप्त और प्रभावशाली नहीं है, तो श्रम की विशेषताओं के कारण श्रम का शोषण अधिक किया जाता है। लेकिन समाजवादी अर्थव्यवस्था में भी श्रमिकों तथा सरकार के बीच संघर्ष तथा मतभेद हो सकते हैं।

श्रमिक समस्याओं का सामाजिक–आर्थिक महत्त्व :

आधुनिक औद्योगिक श्रमिक का विकास बड़े उद्योग–धन्धों की स्थापना के बाद पिछली शताब्दी के मध्य से हुआ। प्रारम्भ में उद्योग अधिकतर यूरोप के लोगों द्वारा स्थापित हुए। इनकी स्थापना के साथ–साथ आरम्भ में यह बात देखी गई कि पूंजीवादी इस बात के लिए बहुत उत्सुक थे कि उन्हें शीघ्र और अधिकतम लाभ हो। वे लोग कम मजदूरी पर अधिक समय तक काम करने वाले असहाय मजदूरों को काम पर लगाने का प्रलोभन न छोड़ सके और उन्होंने पुरूष, स्त्री तथा बच्चों से कठोर श्रम करा कर और वेतन देकर अत्यधिक लाभ उठाया।

श्रमिकों को संगठित करके उनकी अवस्था सुधारने के कईं प्रयत्न किए गए और सरकार ने भी श्रमिकों के लिए अनेक कानून बनाकर हस्तक्षेप किया। परन्तु ये कानून श्रमजीवियों की अवस्था सुधारने में अधिक सहायक सिद्ध नहीं हो सके, क्योंकि इनका उद्देश्य या तो किसी राजनैतिक स्वार्थ से प्रभावित था अथवा भारतीय उद्योग धन्धों के उत्पादन की लागत बढ़ाना था। इसके अतिरिक्त जनसंख्या में तीव्र गति से वृद्धि होने तथा रोजगार के साधनों में वृद्धि न होने से श्रमजीवियों की अवस्था गिरती चली गई। औद्योगीकरण की तीव्रगति के साथ ही श्रम समस्याओं का ही महत्त्व बढ़ा है। हमने आयोजनबद्ध आर्थिक विकास के कार्यक्रम को स्वीकार किया है, साथ ही विदेशी हमले के रूप में आज हमारी आजादी के सामने जो चुनौती खड़ी हुई है, उसका भी हमें सामना करना है। इस संबंध में श्रम का जो महत्त्व है, उस पर जोर देना अतिशयोक्ति नहीं है। यदि हमें देश का तीव्र गति से औद्योगिकीकरण करना है और विकास तथा प्रतिरक्षा दोनों ही आवश्यकताओं को यथेष्ट रूप से पूरा करना है, तो यह अत्यन्त महत्वपूर्ण है कि श्रमिक वर्ग से उचित व्यवहार किया जाए।

आर्थिक समस्याएं

• उचित मजदूरी की समस्याः

मजदूरी से अभिप्राय उत्पादन में श्रम सेवा के मेहनताने से है। यह श्रमिकों को उनके उत्पादन के प्रयत्नों के लिए दी गई अदायगी है। यदि अबन्ध ा नीति के दृष्टिकोण से देखा जाए, तो मजदूरी की परिभाषा में मालिकों और श्रमिकों की परस्पर निश्चित या निर्धारित संविदा आय को लिया जाता है। श्रमिक कुछ धन अथवा वस्तुओं अथवा दोनों के

लिए अपना श्रम बेचता है। मजदूरी की एक व्यापक परिभाषा यह भी हो सकती है कि मजदूरी का अर्थ धन के रूप में दिए गए ऐसे मेहनताने से है, जो रोजगार के संविदा की शर्तों के अनुसार रोजगार में लगे, व्यक्ति को दिया जाता है या ऐसा रोजगार में किए गए कार्य के लिए दिया जाता है। अतः मजदूरी में यात्रा–भत्ता, प्राविडेन्ट फण्ड में मालिकों का अंशदान, अवकाश प्राप्ति धन अथवा आवास–भत्ता या मालिकों द्वारा श्रमिकों को दी जाने वाली कल्याण सेवाएं सम्मिलित नहीं होती हैं। उचित मजदूरी की समस्या एक महत्वपूर्ण समस्या है। प्रत्येक देश में अर्थशास्त्रियों ने इस समस्या पर विचार किया है। युद्ध के पश्चात् उत्पादन में वृद्धि करने के लिए ऐसी सभी सम्भावनाओं पर विचार किया गया, जिनमें देश में श्रमिकों तथा प्रबंधकों के संबंधों में सुधार किया जा सके। यह सब ही मानते हैं कि श्रमिकों तथा प्रबंधकों के व्यवहार तथा दृष्टिकोण में केवल मनोवैज्ञानिक परिवर्तन ही नहीं होना चाहिए, वरन् कुछ ऐसे स्पष्ट प्रमाण भी प्रस्तुत किए जाने चाहिए, जिनसे ऐसा प्रतीत हो कि मालिक तथा उद्योगों के प्रबंधक श्रमिकों के प्रति उचित व्यवहार रखते हैं। इस प्रकार ही संघर्षों के मूल कारणों को दूर किया जा सकता है। इस संबंध में सबसे महत्वपूर्ण समस्याएं लाभ सहभाजन तथा उचित मजदूरी की हैं। ये समस्याएं 1947 के उद्योग सम्मेलन में उस समय प्रकाश में आयीं, जिस समय औद्योगिक विराम संधि प्रस्ताव पारित हुआ था। इस सम्मेलन में यह प्रस्ताव पारित किया गया था कि पूँजी के प्रतिफल तथा श्रमिक के पारिश्रमिक देने की प्रणाली की इस प्रकार व्यवस्था की जानी चाहिए कि पूँजीपतियों तथा श्रमिक दोनों को ही अपने संयुक्त प्रयत्न से किए उत्पादन में उचित भाग मिलता रहे। उचित मजदूरी समिति के विचारानुसार, उचित मजदूरी की कम से कम सीमा तो न्यूनतम मजदूरी द्वारा निश्चित की जाती है परन्तु उच्चतम सीमा उद्योग की भुगतान क्षमता द्वारा निर्धारित होती है।

• मजदूरी बोर्ड की मीटिंग में निरन्तरता की कमी :

मजदूरी बोर्ड की मीटिंग एक निश्चित अंतराल पर नहीं बुलाई जाती है, जिसके कारण श्रमिकों, विशेषकर मौसमी श्रमिकों द्वारा स्वयं की मजदूरी और भत्ते बढ़ाये जाने संबंधी जो प्रतिनिधित्व किया जाता है, उस पर किसी प्रकार का विचार नहीं हो पाता। मजदूरी औद्योगिक विवाद का मुख्य कारण है। यह श्रमिकों द्वारा स्वयं के परिवार का पालन– पोषण करने का एक–मात्र साधन है। उसकी अन्य स्रोतों से आय, अगर प्राप्त होती है, तो वह अत्यन्त सीमित होती है। श्रमिक सामान्यतः अशिक्षित और अज्ञानी होते हैं। इस कारण से वह अपने अधिकारों और कर्त्तव्यों को पहचान नहीं पाते। मौसमी श्रमिकों का संगठन कमजोर हो जाने के कारण भी उनका शोषण अधिक होता है।

• सीजनल कर्मचारियों को कम वेतन :

विभिन्न श्रेणियों के श्रमिकों का अध्ययन करके यह पता चलता हैं कि सीजनल कर्मचारियों को अपेक्षाकृत कम वेतन दिया जाता है। वे लगातार अपने वेतन को बढ़ाये जाने के लिए आंदोलनरत हैं और समान कार्य करने के लिए समान वेतन की नीति चाहते हैं। इन श्रमिकों को छः से सात माह के लिए रखा जाता है, परन्तु इन्हें अपनी आवश्यकताओं पर वर्ष भर खर्च करना पड़ता है। अकुशल श्रमिकों को स्थायी श्रमिकों के वेतन का 40 प्रतिशत, अर्द्धकुशल को 60 प्रतिशत, और अन्य को 80 प्रतिशत वेतन दिया जाता है। स्थायी श्रमिकों को जहाँ मंहगाई भत्ता, मकान किराया भत्ता, उत्पादन बोनस, चिकित्सा भत्ता, सवारी भत्ता, धुलाई भत्ता, नगर क्षतिपूरक भत्ता, एवं चीनी कोटा 2 किलो प्रतिमाह, वहीं सीजनल श्रमिक इन सुविधाओं से सर्वथा वंचित रहते हैं।

• सस्ते साधन की समस्याः

वर्तमान समय में जब रोजमर्रा की उपभोग की वस्तुओं की कीमतें आसमान छू रही हैं, तब

श्रमिकों के मध्य चीनी मिलों के भीतर एक ऐसे स्टोर की स्थापना जोर पकड़ रही है, जो उचित कीमतों पर उन्हें राशन उपलब्ध करा सकें। बढ़ी हुई कीमतों के कारण श्रमिक दैनिक उपभोग की वस्तुएं खुले बाजार से खरीदने में अक्षम होते हैं, क्योंकि उनकी आमदनी काफी कम होती हैं।

- **ऋणग्रस्तताः** भारत में औद्योगिक श्रमिकों के आर्थिक जीवन का एक विशेष लक्षण यह है कि वे अधिकतर जन्म से ही ऋण– ग्रस्त होते है, ऋण में ही रहते हैं तथा ऋण में ही मरते हैं। रॉयल श्रम आयोग के अनुसार, श्रमिकों में निम्न जीवन स्तर के उत्तरदायी कारणों में ऋणग्रस्तता को उच्च स्थान दिया जाना चाहिए। आयोग का यह भी कथन है कि अधिकांश श्रमिक तो वास्तव में ऋण में ही पैदा होते हैं। इस बात से हृदय में दुख भी होता है और प्रशंसा का भाव भी आता है कि प्रत्येक पुत्र साधारणतः अपने पिता का ऋण का उत्तरदायित्व ले लेता है। यह एक ऐसा उत्तरदायित्व होता है जो कानूनी आधारों की अपेक्षा धार्मिक एवं सामाजिक कारणों पर अधिक आधारित है। इसलिए आयोग के अनुसार, औद्योगिक श्रमिकों की एक बड़ी संख्या अपने श्रमिक जीवन के अधिकांश समय में ऋणग्रस्त हो गई थी। यह अनुमान लगाया गया है कि अधिकतर औद्योगिक केन्द्रों में कम से कम दो–तिहाई श्रमिक ऋणग्रस्त हैं और ऋण की राशि 3 माह के वेतन से भी अधिक है। कुछ जाँचों द्वारा श्रमिक वर्ग की ऋणग्रस्तता की व्यापकता ज्ञात होती है, यद्यपि इस सूचना को अधिक विश्वसनीय नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि जाँच अधिकारियों को श्रमिक अपनी आर्थिक स्थिति बताने में संकोच करता है। श्रमिकों को भी कई बार अपनी ऋणग्रस्तता की व्यापकता का पूर्ण ज्ञान नहीं होता। इसके अलावा रॉयल श्रम आयोग तथा सन् 1946 की श्रम अनुसंधान समिति ने भी ऋणग्रस्तता के प्रश्न पर विस्तारपूर्वक विचार किया था। यह भी आश्चर्य की बात है कि राष्ट्रीय श्रम आयोग ने औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता की समस्या पर कोई विचार नहीं किया। श्रमिकों की रहन–सहन की दशाओं के संबंध में की गई अनेक जाँचों से भी यह पता चलता है कि अधिकांश श्रमिक ऋण लेते हैं, विशेष रूप से जब कि वे अपने घरों से नौकरी की तलाश में आते हैं परन्तु उन्हें तत्काल कोई काम नहीं मिल पाता है।

ऋणग्रस्तता के कारण :

औद्योगिक श्रमिकों की ऋणग्रस्तता का विश्लेषण उनकी गिरी हुई आर्थिक व्यवस्था की दुखपूर्ण कहानी है। इस ऋणग्रस्तता के अनेक कारण हैं। अधिकतर पुत्र अपने पिता के ऋण को पैतृक सम्पत्ति के रूप में ग्रहण करते हैं, परन्तु ऋणग्रस्तता का सबसे प्रमुख कारण समय–समय पर विवाहोत्सव, मृत्यु–संस्कार, पर्व तथा वार्षिक उत्सव आदि हैं। श्रमिकों की प्रवासिता भी उनकी ऋणग्रस्तता का महत्वपूर्ण कारण है। जब कोई ग्रामीण प्रथम बार शहर में पहुँचता है तो उसके साधन एक ग्रामीण खेतिहर की अपेक्षा अधिक सीमित होते हैं। प्रारम्भिक घूस के लिए व पहले कुछ सप्ताहों मे खर्च हेतु उसे किसी भी शर्त पर ऋण लेने में संकोच नहीं होता। फिर इस बुराई का एक और कारण अज्ञात विपत्तियों का यकायक सामना करने के लिए किसी भी संचित राशि का न होना है। भारत में मजदूर का वेतन न्यून है और इस कारण बचत भी कम होती है। निर्धनता कभी तो ऋणग्रस्तता का कारण बन जाती है, कभी उसका परिणाम होती है, कभी दोनों ही। यह सत्य है कि ऋणग्रस्तता का मुख्य कारण सामाजिक रीतियों पर श्रमिकों द्वारा किया गया व्यय है। इसके अतिरिक्त यह कहा जा सकता है कि औद्योगिक श्रमिक की ऋणग्रस्तता का एक मुख्य कारण यह है कि उसका खर्च अधिक है और आय कम। पूँजीपतियों के हाथों शोषण के कारण उसे अपर्याप्त वेतन मिलता है और इसी कारण उसकी आय भी कम है। संघों के शक्तिशाली संगठन न होने के कारण श्रमिक अधिक मजदूरी पाने में असमर्थ रहता है। अभी हाल के वर्षों के यद्यपि

श्रमिकों की नकद मजदूरी में वृद्धि हुई है, परन्तु कीमतों की वृद्धि के साथ ही श्रमिकों की असल आय घटी है। जब श्रमिक को अपने व अपने परिवार को पालने के लिए पर्याप्त धन प्राप्त नहीं होता, तो उसके लिए केवल ऋण लेने का मार्ग ही खुला रह जाता है। उसका व्यय अधिक होता है, क्योंकि उसे सामाजिक उत्सवों, रीतियों और रिवाजों पर व्यय करना पड़ता है और यदि ऐसे व्यय को त्यागा भी जा सकता हो, तो भी श्रमिक अपनी अशिक्षा के कारण नहीं त्याग पाता। फिर शराब व जुआ भी ऋणग्रस्तता के लिए उत्तरदायी है। श्रमिक को परिवार में बीमारी, बेरोजगारी, बरखास्तगी, हड़ताल अथवा तालाबंदी के समय में भी ऋण लेना पड़ता है। सामाजिक उत्सवों पर, विशेषकर विवाहोत्सव पर व्यय ऋणग्रस्तता का प्रमुख कारण पाया गया है। ऋणग्रस्तता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है कि श्रमिकों को ऋण सरलता से मिल जाता है। श्रमिक को नगर में महाजन द्वारा ऋण आसानी से मिल जात है। इसके अलावा मिस्त्री अथवा मध्यस्थ, औद्योगिक क्षेत्र में परचूनिये, क्लर्क, श्रमिकों की विधवायें इत्यादि अत्यधिक ब्याज दर पर उधार देकर अपनी आय में वृद्धि कर लेते हैं। ब्याज की दरें ऊँची होती है, क्योंकि श्रमिक के पास अपनी जमानत के अतिरिक्त कोई जमानत नहीं होती और उसकी प्रवासिता के कारण उसको ऋण देने में बहुत जोखिम भी होता है। अशिक्षित श्रमिक के अंगूठे का निशान प्रोनोट पर ले लिया जाता है और इसमें धोखे की गुंजाइश बहुत अधिक होती है। यदि लिखित प्रलेख न भी हो, तब भी श्रमिक में औद्योगिक क्षेत्रों के महाजन की मांग को ठुकराने का साहस नहीं होता। निम्न तालिकाएं मुरादाबाद मण्डल में श्रमिकों द्वारा विभिन्न कारणों के लिए लिये गए ऋण को दर्शाती हैं –

तालिका संख्या 1 : उपभोग ऋण

ऋण के कारण	कुल ऋण (रूपये में)	कुल का प्रतिशत
प्रतिदिन आवश्यकता	28382	40.05
विवाह	19332	27.28
बीमारी	4482	6.32
घरेलू समस्यायें	3478	4.91
मृत्यु संस्कार	3842	5.42
साक्षरता	5785	8.16
अन्य	5560	7.86
कुल योग	**70861**	**100.00**

स्रोत – श्रमिक साक्षात्कार द्वारा संकलित।

तालिका संख्या 2: अन्य ऋण

ऋण के कारण	कुल ऋण (रूपये में)	कुल का प्रतिशत
मकानों का निर्माण	3440	35.39
कुँओं का निर्माण	651	6.69
बैलों का क्रय	3231	33.24
भूमि का क्रय	620	6.38
शिक्षा	1779	18.30
कुल योग	**9721**	**100.00**

स्रोत – श्रमिक साक्षात्कार द्वारा संकलित।

ऋण के स्रोत :

श्रमिक जो कुल ऋण लेते हैं, उसका 81.0 प्रतिशत साहूकारों या महाजनों से लिया जाता है। अन्य मुख्य स्रोतों में जमींदार, दोस्त और रिश्तेदार प्रमुख हैं, जो कुल ऋण का क्रमशः 9.3 प्रतिशत और 6.2 प्रतिशत हिस्सा बनते हैं। इसके अलावा फैक्ट्रियों से लिया गया ऋण 30 प्रतिशत और सहकारी समितियों का ऋण 0.5 प्रतिशत हिस्सा होता है।

तालिका संख्या 3: मुरादाबाद मण्डल में ऋण के स्रातों के अनुसार ऋण का वितरण

ऋण के स्रोत	कुल ऋण (रूपये में)	कुल का प्रतिशत
साहूकार/महाजन	52067	81.0
जमींदार	5978	9.3
मित्र एवं रिश्तेदार	3985	6.2
फैक्ट्री	1928	3.0
सहकारी समितियाँ	322	0.5
कुल योग	**64280**	**100.00**

स्रोत – श्रमिक साक्षात्कार द्वारा संकलित।

ऋण का वितरण करते हुए देखा गया है कि अधिकांश ऋणग्रस्त श्रमिक जो साहूकारों, महाजनों, जमीदारों इत्यादि से ऋण लेते हैं, वे अकुशल श्रमिक होते हैं। इसके विपरीत अधिकुशल, कुशल और उच्च कुशल श्रमिक, मित्रों, रिश्तेदारों, फैक्ट्री और सहकारी समितियों से ऋण लेते हैं।

तालिका संख्या 4ः मुरादाबाद मण्डल में श्रमिकों की श्रेणियों के अनुसार ऋण के स्रोत

ऋण के स्रोत	अकुशल श्रमिकों द्वारा लिया गया ऋण	प्रतिशत	अन्य द्वारा लिया गया ऋण	प्रतिशत	कुल
साहूकार/महाजन	33635	64.6	18432	35.4	52067
जमींदार	4470	74.8	1508	25.2	5978
मित्र एवं रिश्तेदार	1513	32.4	2672	67.6	3895
फैक्ट्री	226	11.8	1702	88.2	1928
सहकारी समितियाँ	-	-	322	100.00	322
कुल योग	**39644**	**61.8**	**24636**	**38.2**	**64280**

स्रोत – श्रमिक साक्षात्कार द्वारा संकलित।

तालिका संख्या 5ः अकुशल श्रमिकों द्वारा लिये गये ऋण का प्रतिशत

ऋण के स्रोत	अकुशल श्रमिकों द्वारा लिया गया ऋण	अन्य द्वारा लिया गया ऋण
साहूकार/महाजन	52.3	28.7
जमींदार	6.9	2.3
मित्र एवं रिश्तेदार	2.0	4.2
फैक्ट्री	0.3	2.6
सहकारी समितियाँ	0.0	0.5

स्रोत – श्रमिक साक्षात्कार द्वारा संकलित।

ऋणग्रस्तता के दुष्परिणाम :

सरलता से मिला हुआ ऋण श्रमिक के लिए सबसे बड़ा अभिशाप साबित हुआ है, और इस रीति का सबसे दुःखदायी दोष यह है कि ऐसे बड़े–बड़े ऋण भी आसानी से मिल जाते हैं, जिनकों श्रमिक कभी चुकाने की आशा नहीं कर सकते। उनकी अशिक्षा उनमें व्यावसायिक समझ और दूरदर्शिता पैदा करने में बाधक सिद्ध होती है और उसकी हिसाब लगाने की असमर्थता के कारण उन्हें इस बात के लिए विवश होना पड़ता है कि महाजनों के द्वारा ही ऋण की राशि, अधिक या कम जितनी भी बतायी जाए, उसे स्वीकार कर लें। अधिकतर महाजन पूरे ब्याज को भी मूलधन में जोड़ देते हैं। कुछ ही वर्षों में यह मूल ऋण बहुत बड़े व स्थायी ऋण में परिवर्तित हो जाता है। बहुत बार तो महाजन श्रमिक एवं उसके सम्पूर्ण परिवार का कुल वेतन ले लेते हैं और उसको केवल जीवन निर्वाह हेतु धन फिर ऋण के रूप में दे देते हैं। बहुत परिश्रमी श्रमिक केवल ब्याज देने के लिए अपने जीवन की आवश्यकताओं को छोड़ने पर विवश हो जाते हैं और मूल ऋण चुकाने का तो उन्हें मौका ही नहीं मिल पाता। इसलिए ऋणग्रस्तता कार्यकुशलता की वृद्धि में बाधक है। ऋणग्रस्त श्रमिक सदा ही परेशान रहता है। इस प्रकार ऋण की विडम्बना श्रमिकों के आत्मसम्मान के लिए एक अभिशाप सिद्ध हुई और उनकी कार्यकुशलता का

ह्रास करती है। उत्तर प्रदेश के चीनी उद्योग में बड़ी संख्या में श्रमिक ऋणग्रस्त हैं। सर्वे की गई क्षेत्र की चीनी मिलों में लगभग 62 प्रतिशत श्रमिक विभिन्न मात्रा के ऋण तले दबे हुए हैं।

सामाजिक समस्याएं

• सुरक्षा संबंधी प्रशिक्षण का अभाव :

श्रमिकों से बात करने पर यह ज्ञात होता है कि उन्हें सुरक्षा से संबंधित किसी प्रकार का प्रशिक्षण नहीं दिया जाता है और उन्हें सींधें मशीनों पर कार्य में लगा दिया जाता है, जिसके कारण वे दुर्घटना का शिकार हो जाते हैं। दुर्घटना के लिए श्रमिक के परिवार को क्षतिपूर्ति दी जाती है, परन्तु यह भी पर्याप्त नहीं होती। इसलिए श्रमिकों की सुरक्षा संबंधी समस्या को उचित प्रकार का प्रशिक्षण देकर दूर किया जाना चाहिए।

• श्रमिकों के प्रति प्रबंधन का व्यवहार :

अध्ययन क्षेत्र की अधिकांश चीनी मिलों में प्रबंधन का व्यवहार श्रमिकों के प्रति असंवेदनशील है। इन चीनी मिलों में बहुत कम श्रमिक ऐसे पाये गये, जो प्रबंधन के व्यवहार को सहयोगपूर्ण और संवेदनशील मानते हैं, 30.51 प्रतिशत असहयोगपूर्ण और 11.86 श्रमिक अपनी राय स्पष्ट नहीं करते हैं। प्रबंधन का रवैया असंवेदनशील होना श्रमिकों के लिए एक समस्या है, क्योंकि ऐसा प्रबंधन श्रमिकों के कल्याण के विषय में कुछ नहीं सोचता। वह केवल स्वयं के लाभ को अधिकतम करना चाहता है। चाहे उसके लिए श्रमिकों का शोषण ही क्यों न करना पड़े। इन परिस्थितियों में श्रमिकों की कार्य करने की इच्छा और क्षमता दोनों प्रभावित करती है। फलस्वरूप उत्पादन भी प्रभावित होता है।

• श्रमिकों की भर्ती की समस्याए ंः

श्रमिकों के रोजगार में सर्वप्रथम समस्या उनकी भर्ती की है। जिन पद्धतियों और संगठनों द्वारा श्रमजीवियों को भर्ती किया जाता है, उन पर व्यवसाय की सफलता अथवा विफलता बहुत कुछ निर्भर करती है। वर्तमान समय में संगठित व असंगठित दोनों प्रकार के उद्योगों में श्रमिकों से गाँवों में सम्पर्क बनाना तथा उनको गाँवों से शहरों में लाने का काम अधिकतर मध्यस्थों पर निर्भर रह गया है। प्रायः श्रमिकों को अच्छा वेतन, सुविधाजनक व्यवसाय आदि का प्रलोभन देकर नगरों की ओर आकर्षित किया जाता है। मध्यस्थों द्वारा श्रमिक लाने की भर्ती–प्रणाली सदैव से ही अत्यन्त दोषपूर्ण सिद्ध हुई है। इनके कारण श्रमिक विभिन्न प्रकार की समस्याओं से घिर जाते हैं। रॉयल श्रम आयोग के अनुसार, मध्यस्थों का पद अत्यन्त प्रलोभनीय है और यदि ये लोग इन अवसरों से लाभ उठायें तो यह आश्चर्यजनक न होगा। इसके अतिरिक्त अनेक अवसरों पर इन मध्यस्थों द्वारा श्रमिकों का गलत ढंग से प्रतिनिधित्व होने के कारण मालिकों और श्रमिकों के बीच झगड़े उत्पन्न होते हैं और यह भी आवश्यक नहीं है कि वे कुशल श्रमिक को ही भर्ती करें। ये उसी को भर्ती करते हैं, जो उन्हें अधिक कमीशन देता हो या जिसमें वह दूसरे कारणों से दिलचस्पी रखते हों। इस प्रकार ये धन प्राप्त करने की लालसा के कारण बन जाते हैं। ये मध्यस्थ श्रमिकों को हमेशा के लिए ऋणग्रस्त कर देते हैं। महिला श्रमिकों का महिला मध्यस्थों द्वारा और भी अधिक शोषण होता है, क्योंकि ये महिला मध्यस्थ अधिकतर अच्छे चरित्र की नहीं होतीं। ऐसे अनेक उदाहरण मिलते हैं जब इन मध्यस्थों के कारण महिला श्रमिकों को अनैतिक जीवन व्यतीत करना पड़ा है। चीनी मिलों में जहाँ कार्य सामयिक होता है, कुछ निरीक्षकों और तकनीकी विशेषज्ञों को छोड़कर सभी मजदूर मौसम या समय समाप्त होने पर निकाल दिये जाते हैं, तथा मौसम फिर आरम्भ होने पर उनको सूचित किया जाता है। यदि वे निश्चित समय पर उपस्थित हो जाते हैं तो उनकी नियुक्ति फिर से हो जाती है। सामयिक या मौसमी श्रमिकों के संबंध में उत्तर प्रदेश सरकार आज्ञायें जारी करती है।

• श्रमिकों की प्रवासिता की समस्या :

श्रमिकों का एक मुख्य लक्षण उनकी प्रवासिता है। श्रमिकों की प्रवासिता का अर्थ है कि

औद्योगिक श्रमिक वास्तव में वहां के स्थायी निवासी नहीं होते जहाँ रहकर वे काम करते हैं। अधिकांश अनिपुण औद्योगिक श्रमिक आस–पास के गाँव से आते हैं और अपने गाँवों के घरों से सम्पर्क बनाए रखते हैं। इस प्रकार औद्योगिक नगरों के श्रमिकों को वास्तविक अर्थ में प्रवासी न कहकर आवासी भी कहा जाता है। यद्यपि विगत कुछ वर्षों में श्रमिकों की प्रवासिता में कुछ परिवर्तन के लक्षण दृष्टिगोचर हुए हैं और औद्योगिक श्रमिकों में स्थायी रूप से शहरों में ही रहने की प्रवृत्ति उत्पन्न हुई है। यद्यपि श्रमिक गांव से आता है, परन्तु यह आवश्यक नहीं है कि वह किसान हो और अपना कृषि का काम कुछ दिनों के लिए छोड़कर अपनी आय बढ़ाने के लिए औद्योगिक नगर में नौकरी करने के लिए आया हो। वास्तव में मिल मजदूरों के कृषक स्वभाव के संबंध में केवल इतनी सत्यता है कि उनमें से अधिकांश ह्रदय से ग्रामीण होते हैं। श्रमिक जब ग्रामों से नगरों में आते हैं तो स्वयं को अत्यन्त भिन्न वातावरण में पाते हैं। रीति– रिवाज, परम्परा और भाषा तक भिन्न होती है। गाँवों का सामूहिक जीवन और उसके अन्तर्गत प्राप्त सुविधाएं समाप्त हो जाती हैं। नगरों में रीति–रिवाज का महत्व कम हो जाता है और जीवन व्यक्तिगत हो जाता है। इन बातों का श्रमिक की मनः स्थिति पर गहरा प्रभाव पड़ता है। उसका स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। श्रमिक के स्वास्थ्य पर कई कारणों से बुरा प्रभाव पड़ता है, जैसे– जलवायु व कार्य करने के वातावरण में अन्तर, खराब भोजन, अधिक भीड़, सफाई का न होना और परिवार से विवश होकर अलग रहना इत्यादि। नगरों में रहने तथा कार्य करने का वातावरण गाँव से भिन्न होता है। गाँव में कार्य अनियमित रूप से होता है और विश्राम का अवसर काफी मिलता है, परन्तु शहरों में श्रमिक स्वयं को कारखानों की चारदीवारी में बंद अनुभव करता है और मशीनों की ध्वनि से उनकी सुनने की शक्ति पर भी प्रभाव पड़ता है। उसे घण्टों लगातार मेहनत करनी पड़ती है और कार्य भी कड़े अनुशासन में करना पड़ता है। इन बातों का श्रमिक के शरीर और मस्तिष्क पर गहरा प्रभाव पड़ता है और उसकी कार्यकुशलता कम हो जाती है। शहरों में भोजन भिन्न होने के कारण भी श्रमिक को समस्या का सामना करना पड़ता हे। शुद्ध दूध, घी, दही, जिनका वह अभयस्त होता है, शहरों में उसे प्राप्त नहीं हो पाता। इसके अतिरिक्त श्रमिकों का स्वास्थ्य इस कारण से भी गिर जाता है कि वे अपनी पत्नियों को गाँव में छोड़ आते हैं और अब उन्हें पारिवारिक आनन्दमय जीवन नहीं मिल पाता, तो बुरी प्रवृत्तियों के शिकार हो जाते हैं। व्यभिचार से पारिवारिक जीवन में भी कड़वाहट आ जाती है तथा उसका सामाजिक स्तर गिर जाता है।

- **शिक्षा की कमी :**

श्रमिकों और उनके बच्चों की शिक्षा एक अन्य महत्वपूर्ण समस्या है, जिसका सामना श्रमिकों को करना पड़ता है। पांचवीं कक्षा के बाद श्रमिक अपने बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना चाहते हैं, परन्तु ज्यादा फीस होने और स्वयं की कम आमदनी के कारण वे ऐसा नहीं कर पाते हैं और उनके बच्चों की शिक्षा का स्तर निम्न रह जाता है।

सामुदायिक समस्याएं

- **आवास-समस्या :**

आवास की समस्या निश्चय ही भारत में औद्योगिक श्रमिकों की एक महत्वपूर्ण समस्या है। उचित आवास के अभाव के कारण बीमारियाँ फैलती हैं, व्यक्तियों में असंतोष व्याप्त हो जाता है। मानव की उच्चतर भावनाओं का अन्त हो जाता है। उनमें असभ्यता और निर्दयता आ जाती है। अनेक अमेरिकन और यूरोपियन लेखकों द्वारा मकानों के आर्थिक और सामाजिक महत्व पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया गया है। यह देखा गया है कि उद्योगों के चुनाव तथा स्थापना के साथ–साथ अन्य देशों में आवास समस्या भी बहुत महत्वपूर्ण बन गई है। हमारा देश इस दृष्टि से बहुत पीछे है, क्योंकि यहाँ पर कुछ स्थानों को छोड़कर शेष में आवास को

केवल ईंटों व मिट्टी का एक संचयमात्र ही कहा जा सकता है, आधुनिक क्षेत्रों में नहीं पाये जाते हैं। आधुनिक आवास की अपनी कुछ विषेषताएं हैं और उसकी कुछ ऐसी विशिष्ट पद्धतियाँ हैं, जिनके कारण पिछली शताब्दी के प्रतिरक्षी रहने के वातावरण से आधुनिक आवास भिन्न होते हैं। आवास व्यवस्था आयोजित होती है और इसे व्यापारिक दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। आवास से तात्पर्य यह नहीं है कि गलियों का अपने आप ही विस्तार हो जाए या ईटों को एक स्थान पर एकत्रित कर दिया जाए। आवास का एक आदि और एक अन्त होता है और इसका एक भौतिक रूप भी होता है। इसका एक भाग दूसरे भाग से संबंधित होता है और प्रत्येक भाग एक विशेष उद्देश्य की पूर्ति करता है। इसमें दैनिक जीवन की न्यूनतम सुविधायें, जैसे– वायु आने–जाने के लिए संवातन, सूर्यप्रकाश, प्रत्येक खिड़की से शांत एवं सुहावना दृश्य, एकांतता, बीमारी तथा प्रसूतिकावस्था से प्राथक्य, सफाई की सुविधा तथा बच्चों के खेलने के स्थान आदि होने चाहिए। आवास केवल मौसम के बचाव, खाना बनाने और सोने के लिए ही नहीं होता, वरन् यह विषम सामाजिक रीतियों का केन्द्र भी है। फिर ये आधुनिक मकान उस कीमत या किराये पर मिलने चाहिए, जिसे औसत अथवा कम आय का व्यक्ति भी दे सके। सरकार की विभिन्न आवास योजनाओं के होते हुए भी श्रमिकों की वर्तमान आवास व्यवस्था अत्यन्त शोचनीय है। व्यस्त केन्द्रों में प्राप्त भूमि का पूरा उपयोग करने हेतु मकान एक–दूसरे से सटाकर बनाये जाते हैं। वास्तव में यह भूमि इतनी मूल्यवान है कि मकानों में पहुँचने के लिए सड़कों के स्थान पर छोटी और संकरी गलियाँ होती हैं। सफाई की ओर कोई ध्यान नहीं दिया जाता और यह इस बात से प्रकट है कि सड़ते हुए कूड़े के ढेर पड़े रहते हैं। शौचालयों के अभाव में हवा और ध ारती दोनों में गन्दा वातावरण फैल जाता है। अनेक मकान, जिनमें चौखट, खिड़की और संवातन का अभाव होता है, प्रायः एक कमरे वाले होते हैं। श्रमिकों के क्वार्टर पंक्तियों में मकानों का समूह होता है। प्रत्येक आवास में एक अंधेरी कोठरी, जो रहने, खाना पकाने, सोने आदि सभी के काम आती है। इसमें मिट्टी की दीवारें और ढीली खपरैल की छतें होती हैं। इसके सामने एक छोटा–सा आंगन होता है, जिसका एक कोना शौचालय के काम आता है। रहने के कमरे में टूटी छत अथवा खुले हुए प्रवेशद्वार के अतिरिक्त कोई संवातन नहीं होता। द्वार के बाहर लम्बी संकरी नाली होती है, जहाँ कूड़ा–करकट संचित होता है और जहाँ कीड़े और मक्खियों की अधिकता होती है।

• बुरी आवास व्यवस्था के परिणाम :

आवास की शोचनीय दशा श्रमिकों की कार्यकुशलता तथा स्वास्थ्य पर बुरा प्रभाव डालती है। यदि आज भारत का औद्योगिक श्रमिक शारीरिक दृष्टि से अस्वस्थ तथा अकुशल है, तो मकानों की शोचनीय दशा उसके लिए उत्तरदायी है। मकान और स्वास्थ्य में घनिष्ठ संबंध है तथा ये दोनों श्रमिकों की कार्यकुशलता पर प्रभाव डालते हैं। अस्वास्थ्यपूर्ण व अनाकर्षक मकानों की स्थिति श्रमिकों को इसके लिए बाध्य करती है कि वे अपने परिवारों को गाँव में छोड़ दें और शहर में अकेले रहें, और इसके कारण अनेक सामाजिक बुराइयाँ उत्पन्न हो जाती हैं, जैसे– वेश्यावृत्ति, नशाखोरी इत्यादि। अतः जब तक आवास की व्यवस्था में सुध ाार नहीं किया जाता तथा श्रमिकों को स्वास्थ्य और अच्छे वातावरण में नहीं रखा जाता, हम उनसे यह आशा नहीं कर सकते कि वे अपनी कार्यकुशलता में वृद्धि करेंगे या अपनी दशा में संतुष्ट रहेंगे। अपर्याप्त और बुरी आवास व्यवस्था औद्योगिक अशांति के विभिन्न कारणों में से एक है। मनुष्य की भोजन और कपड़े के बाद तीसरी मूल आवश्यकता मकान ही है। एक अच्छा घर केवल उसका व उसके पारिवारिक जीवन का ही केन्द्र नहीं है वरन् एक ऐसा स्थान है जहाँ वह व्यक्तिगत रूप से आत्मसम्मान व प्रसन्नता का अनुभव कर सकता है और स्वच्छ तथा स्वास्थ्यपूर्ण तरीकों से रहने के

लाभ को समझ सकता है। श्रमिक के लिए उचित आवास व्यवस्था के बाद ही उससे यह आशा की जा सकती है कि वह अपने कार्य करने के स्थान पर शांतिपूर्वक रहेगा और उत्पादन–वृद्धि में अपना अधिकतम योगदान करेगा, इसलिए सरकारी विकास योजनाओं में आवास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त कुछ और भी समस्याएं हैं, जिनका तत्काल निवारण आवश्यक है। इनमें मुख्य समस्या उन श्रमिकों के लिए है जो अपने कार्य करने के स्थान से दूर शहर के विभिन्न भागों में रहते हैं। फैक्ट्री के निकट उचित आवास के अभाव में ऐसे व्यक्तियों के लिए, जिनको अपने काम के स्थान से दूर रहने के लिए विवश होना पड़ता है, सस्ते यातायात की व्यवस्था होनी चाहिए। रात्रि पारी में कार्यरत श्रमिकों के लिए भी सस्ते और नियंत्रित यातायात की आवश्यकता होती है। इसके अलावा पर्याप्त संख्या में दुकानों, डाकखाने इत्यादि की भी श्रमिकों के क्वार्टरों के निकट सुविध ाा होनी चाहिए। जीवन की दैनिक आवश्यक वस्तुएँ भी पर्याप्त मात्रा में निकट स्थान पर उपलब्ध ा होनी चाहिए। राशनिंग, मूल्य निर्धारण, मुनाफाखोरी व चोरबाजारी के समय समस्याएं बढ़ जाती हैं। एक समस्या अन्य मालिकों द्वारा बनाये गये विभिन्न क्षेत्रों में मकानों के नियतन की है। साधारणतः प्राथमिकता रजिस्टर रखे जाते हैं तथा श्रमिकों के कार्य की प्रकृति, सेवा की अवधि आदि का मकान देने में ध्यान रखा जाता है। फिर भी अधिकारियों के पक्षपात व भ्रष्टाचार की प्रवत्ति पायी जाती है तथा श्रमिक संघों के नेताओं के प्रति भेदभाव साध ाारण–सी बात है। इस बात की भी आम शिकायत है कि मालिक अपने दिये हुए मकानों में श्रमिकों के आने जाने पर निगाह रखते हैं और किसी बाहरी व्यक्ति की श्रमिकों के क्वार्टरों में पहुँच कठिन हो जाती है। इस समस्या का समाधान तभी हो सकता है जब आवास बोर्ड मकानों के प्रबंध और नियन्त्रण को प्रत्यक्ष रूप से अपने हाथ में ले और वही इस बात का निर्णय करे कि मकान किसको दिये जाएं।

• गंदी बस्तियों की समस्या :

भारत में लगभग तमाम मुख्य औद्योगिक नगरों में गंदी बस्तियाँ उत्पन्न हो गई हैं, जिसका कारण यह है कि मकानों के निर्माण के नियमों को लागू करने में ढील रही है। अभी हाल तक श्रमिकों के आवास की अवस्था की ओर से उदासीनता रही है तथा कई शहरों में भूमि के मूल्य में वृद्धि होने से भूस्वामी और मकान मालिकों में परिस्थिति से पूरा लाभ उठाया गया है। निर्धन वर्ग के पास या तो कोई मकान नहीं होते अथवा यह शोचनीय व अस्वच्छ परिस्थितियों में गंदी बस्तियों और झोपड़ियों में रहते है। शिक्षा की कमी, भीड़–भाड़, दोषपूर्ण आवास आयोजन या किसी आयोजन के अभाव के कारण ही गंदी बस्तियाँ उत्पन्न होती हैं। यह हमारे देश के लिए कलंक समान है। परन्तु केन्द्र एवं राज्य सरकारों ने इस ओर बहुत कम ध्यान दिया है। किसी भी ऐसे शहर को स्वच्छ नहीं कहा जा सकता, जिसके अन्दर ऐसे घने क्षेत्र हों, जिनमें जीवन की न्यूनतम सुविधाएं भी न हों और जहाँ निर्धन व्यक्ति अत्यन्त अमानवीय स्थिति में रह रहे हों। समस्त संसार में गंदी बस्तियों की खतरनाक समस्या के समाधान और उनको दूर करने के लिए सैद्धान्तिक रूप से पग उठाने की आवश्यकता है। गंदी बस्तियों को दूर करके उनके स्थान पर उचित मकान बनाये जाने चाहिए, चाहे इसकी लागत कुछ भी क्यों न हो।

चीनी मिलों द्वारा उपलब्ध कराये गए आवासों की स्थिति

• संवातन और विद्युत– चीनी मिलों द्वारा उपलब्ध कराये गए श्रमिक आवासों में खिड़कियों के माध्यम से संवातन की स्थिति संतोषजनक नहीं है। इन आवासों का निर्माण इस प्रकार हुआ है कि उनमें प्रकाश की स्थिति भी शोचनीय हैं। दरवाजे अत्यन्त नीचे हैं और व्यक्ति को झुक कर निकलना पड़ता है। इसके अतिरिक्त श्रमिकों के आवासों में विद्युत की सुविधा भी पर्याप्त नहीं है। अधिकांश

श्रमिक लैम्प, लालटेन, मोमबत्ती इत्यादि द्वारा रोशनी करते हैं।

• शौचालय– हालांकि शौचालय आवासों के पास ही बनाये गये हैं, परन्तु उनका आकार, संख्या और स्थिति प्रत्येक फैक्ट्री में अलग–अलग पाई गई है। अध्ययन करते समय यह पाया गया कि शौचालयों की संख्या कम है। इसके अलावा उनकी स्थिति भी अत्यन्त खराब है। शौचालयों में नियमित सफाई का अभाव है और भीड़ के कारण श्रमिक पास के खेतों में शौच के लिया जाना ज्यादा सुलभ समझते हैं।

• सफाई व्यवस्था– खुल हुए गटर और खराब ड्रेनेज व्यवस्था अधिकांश फैक्ट्रियों के पास देखी जा सकती है। आवासों के पास कचरा सड़ता रहता है, पानी भरा रहता है, जो मच्छरों के प्रजनन स्थल के रूप में कार्य करता है, और श्रमिकों व उनके परिवारों के लिए बीमारियाँ लेकर आता है। इसके अतिरिक्त आवासों की साफ–सफाई, रख–रखाव, रंग–रोगन का भी सर्वथा अभाव देखा गया है। अध्ययन के समय यह भी पाया गया कि कुछ आवासों में छतें टपकती हैं और बरसात में उनकी स्थिति अत्यन्त दयनीय हो जाती है।

• अत्यधिक घनत्व– अत्यधिक घनत्व उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की आवास समस्या का महत्वपूर्ण अंग है। अधिकतर श्रमिक एक कमरे के आवास में रहते हैं। यही स्थिति उन श्रमिकों की भी होती है, जो किराये के मकान में रहते हैं। श्रमिकों के स्वयं के आवास ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी क्षेत्र की अपेक्षा अधिक बड़े होते हैं। फैक्ट्री के एक कमरे के आवास का घनत्व पारिवारिक आवास की अपेक्षा अधिक होता है। एक कमरे के आवास में कई श्रमिकों को एक साथ रखा जाता है, जबकि पारिवारिक आवास में एक परिवार रहता है। इस प्रकार के आवास का आकार 11' x 10' होता है और इसमें 8 से 12 श्रमिक होते हैं। हॉल रूपी एक कमरे के आवास में, जिसका आकार 250 वर्ग फीट होता है, 150 श्रमिक रहते हैं। इसी प्रकार बैरक नुमा एक कमरे के आवास में कुलियों को रखा जाता है। इनका आकार सामान्यतः 45' x 42', 36' x 42', 70' x 100' होता है।

• चीनी मिलों में कार्य की दशायेंः मनुष्य जिन परिस्थितियों में कार्य करता है, उनका उसके स्वास्थ्य, कार्यकुशलता, मनोवृत्ति तथा कार्य के गुणों पर विशेष प्रभाव पड़ता है। यह कहा जा सकता है कि वातावरण मनुष्य का निर्माण करता है। यदि वातावरण में सुधार किया जाए तो मनुष्य स्वयं ही सुधर जाता। अस्वस्थ दशाओं में कठिन श्रम करते रहना संभव नहीं है। यह सर्वविदित तथ्य है कि गंदे, उदास और अस्वास्थ्यकर वातावरण की अपेक्षा स्वस्थ उज्ज्वल और प्रेरणात्मक वातावरण में मनुष्य अधिक कार्य कर सकता है। यदि वातावरण गंदा और कोलाहलपूर्ण है, तो श्रमिक का ध्यान बंट जाता है। कार्य में एकाग्रता होना आवश्यक है और यह तभी संभव है, जब बाह्यय विघ्नों से श्रमिकों का ध्यान न बंटे।

कार्य करने की दशाओं के अन्तर्गत अनेक विषय सम्मिलित किये जाते है, जैसे– मल निकास की व्यवस्था, धूल और गंदगी, तापक्रम, नमी, संवातन, फैक्ट्री के अन्दर उचित स्थान और सुरक्षा की दृष्टि से मशीनों के चारों ओर रोक इत्यादि।

i. कार्य स्थल एवं उसकी स्थिति–

फैक्ट्रियों में प्रायः यह देखा गया है कि वहाँ की छतें जंग लगी हुई होती हैं, बैठने के लिए स्थान सीमित होते हैं और फैक्ट्री में काफी भीड़–भाड़ होती है। छतें बरसात के मौसम में टपकती हैं, जिससे कार्य करने में कठिनाई का सामना करना पड़ता है। इसके अलावा सभी फैक्ट्रियों में कार्य–स्थल गंदे हैं और जगह–जगह कोयले, काँच और अन्य पदार्थों के टुकड़े बिखरे रहते हैं। जहाँ तक संवातन और रोशनी का प्रश्न है, तो फैक्ट्री में ज्यादातर कार्य टिन शेड में किये जाते हैं जो सभी तरफ से खुली होती हैं। परन्तु कुछ स्थानों में संवातन की समस्या पायी जाती हैं और रोशनी भी कम होती

हैं। चीनी उद्योग में धूल तथा हानिकारक गैसें उत्पन्न होती हैं जिनको तत्काल बाहर निकालने के लिए उचित संवातन का होना आवश्यक है। इसके अतिरिक्त उचित प्रकाश व्यवस्था न होने से श्रमिकों की दृष्टि पर प्रभाव पड़ता है। असंतोषजनक प्रकाश से दुर्घटनाएं भी होती हैं। इसके अलावा कम प्रकाश के कारण ठीक से सफाई नहीं हो पाती है और गंदगी इकट्ठा होती जाती है।

ii. जल-निकास की समस्या-

जल–मल निकास की व्यवस्था एवं स्वच्छता सम्भवतया संतोषजनक कार्य की दशाओं का सबसे मुख्य हिस्सा है। इससे तात्पर्य फैक्ट्री के अन्दर सफाई, दीवारों पर सफेदी, पक्का फर्श, साफ और स्वच्छ मशीनें, शौचालय, पेशाबघर का उचित प्रबंध, पानी निकालने का मार्ग, नालियाँ, कूड़े करकट के लिए कनस्तर व टोकरियाँ आदि से है।

iii. धूल, गंदगी व तापक्रम-

चीनी उद्योग में तापक्रम भट्टियों और टिन की चादरों की वजह से हमेशा गर्म रहता है और यह सूरज की गर्मी से और भी ज्यादा गर्म हो जाता है। विशेषकर, गर्मियों में इतने गर्म तापमान में कार्य करना श्रमिकों के लिए अत्यन्त कठिन हो जाता है। सर्दियों में तापमान सामान्य रहता है परन्तु पेराई सत्र के अन्त में यह तापमान सामान्य से काफी ज्यादा हो जाता है। वे श्रमिक, जो बॉयलर, जूस हीटर इत्यादि स्थलों पर कार्य करते हैं, वहाँ तापमान अधिकतम निर्धारित सीमा को भी पार कर जाता है, जो फैक्ट्री एक्ट 1948 में निर्धारित किया गया है। यह गर्मी मुख्य रूप से रस को उच्च तापक्रम पर उबालने के कारण उत्पन्न होती है। इसके अलावा उच्च तापक्रम का कारण फैक्ट्री का उचित प्रकार से निर्माण न होना, व नीची छतें भी हैं। अध्ययन क्षेत्र की कुछ ही चीनी मिलों में Exhaust fan लगाये गए हैं, जिनमें, द्वारिकेश शुगर इंडस्ट्री लि0, बुंदकी प्रमुख है। गर्मी के मौसम में Boiling House असहनीय रूप से गर्म हो जाता है और श्रमिक को उसमें कार्य करने में परेशानी का अनुभव होता है, परन्तु प्रबंधन इस ओर कोई ध्यान नहीं देता। तापक्रम के अलावा चीनी उद्योग में गंदगी, आग इत्यादि से भी श्रमिकों को असुविधा महसूस होती है।

iv. शौचालय तथा पेशाबघर-

शौचालयों और पेशाबघरों की व्यवस्था करना एक अन्य आवश्यक सेवा है। इनकी उपयुक्तता इस बात पर निर्भर करती है कि ये किस प्रकार बनाये गए हैं तथा उनमें सफाई व्यवस्था कैसी है। अधिकांश स्थानों पर शौचालयों का ढांचा, उनका स्थान तथा उनकी सफाई की अवस्था बहुत ही असंतोषजनक है। कुछ शौचालयों में छतें नहीं हैं, तो कुछ में पर्दे या दरवाजे का ही अभाव है। कीटाणुनाशक पदार्थ का प्रयोग तो कभी–कभी ही किया जाता है। सफाई कर्मचारियों और निरन्तर निरीक्षण के अभाव के कारण इनका रखरखाव उचित प्रकार से नहीं होता है।

• श्रमिकों की स्वास्थ्य की समस्या :

औद्योगिक श्रमिकों की स्वास्थ्य समस्या का दो पहलुओं में अध्ययन किया जाता है। प्रथम, स्वास्थ्य को हानि की दृष्टि से, जो सभी नागरिकों के लिए स्वाभाविक है। और द्वितीय, व्यवसाय जनित स्वास्थ्य संकट की दृष्टि से, जिनका कुछ उद्योगों में औद्योगिक श्रमिकों के लिए भय रहता है। औद्योगिक श्रमिक भी एक नागरिक होता है, इसलिए अन्य नागरिकों के समान सब पर आने वाले स्वास्थ्य संकट का उसे भी सामना करना पड़ता है। नागरिक होने के नाते श्रमिक की आवश्यकताओं की पूर्ति सामान्य स्वास्थ्य सेवाओं द्वारा, जो समाज में सबके लिए उपलब्ध है, होनी चाहिए। परन्तु औद्योगिक श्रमिक के रूप में उसके व्यवसाय–जनित संकट उचित रीति से निर्मित औद्योगिक श्रम स्वास्थ्य सेवा द्वारा ही दूर किए जा सकते हैं। ऐसी सेवाएं काम करने के स्थान के वातावरण से संबंधित उन बातों की रोकथाम पर बुरा प्रभाव डालती हैं। यह दुर्भाग्य की ही बात है कि भारत में जहाँ सम्पूर्ण समाज के लिए संगठित

स्वास्थ्य सेवाएं विद्यमान हैं, वहाँ अभी तक कोई सुव्यवस्थित औद्योगिक स्वास्थ्य सेवा देश में नहीं है।

हमारे देश में लोगों का असंतोषजनक स्वास्थ्य इस बात से विदित होता है कि यहाँ के जीवन की औसत आयु अपेक्षाकृत कम है। भोर समिति ने अपनी रिपोर्ट में कहा था कि भारत में श्रमिकों के स्वास्थ्य संबंधी आंकड़े प्राप्त करने की कोई उचित व्यवस्था नहीं थी। बहुत–सी फैक्ट्रियों में या तो औषधालय ही नहीं थे अथवा वे श्रमिकों की बीमारी व उद्योगजनित बीमारियों का कोई अभिलेख नहीं रखते थे। पूर्व में प्रकाशित दो रिपोर्टों में भी श्रमिकों की स्वास्थ्य अवस्थाओं का वर्णन किया गया था। इनमें एक रिपोर्ट स्वास्थ्य सर्वेक्षण समिति की थी और दूसरी औद्योगिक श्रमिकों के स्वास्थ्य पर भारत सरकार को डॉ0 टॉमस बेडफोर्ड द्वारा दी गई थी। दोनों रिपोर्टों से यह पता चलता है कि श्रमिकों के रहने और काम करने की अवस्थाएं वास्तव में संतोषजनक नहीं थीं। काम करने की दशाओं का अध्ययन करने पर यह ज्ञात हुआ कि कुछ ही फैक्ट्रियाँ सुव्यवस्थित और अच्छे ढंग से बनी हुई थीं और अधिकतर की रचना दोषपूर्ण थी, और उनमें श्रमिकों के आराम के लिए कोई व्यवस्था नहीं थी। इसके अतिरिक्त उद्योगजनित संकट को कम करने की कोई व्यवस्था नहीं थी। दोनों ही रिपोर्टों में फैक्ट्रियों में फैली अस्वच्छता और भीड़–भाड़ तथा श्रमिकों के अपर्याप्त पोषण की ओर ध्यान आकर्षित किया गया था।

अन्य समस्याएं

इसके अतिरिक्त कुछ अन्य समस्याएं भी हैं जिनका श्रमिकों को सामना करना पड़ता है। जैसे–

- प्रबंधन और श्रम द्वारा मानसिक उत्पीड़न करना।
- श्रमिकों के प्रति प्रबंधन का उदासीन रवैया अपनाना।
- सुपरवाइजरों और प्रबंधकों द्वारा मानव संबंध से संबंधित योग्यता का अभाव होना।
- अनुशासनहीनता दिखाना।
- अपर्याप्त कल्याण सुविधायें देना।
- उत्पादन के लाभ के वितरण पर विवाद होना।
- जबरन छुट्टी, प्रबंधन द्वारा तालाबंदी, और श्रमिकों द्वारा हड़ताल इत्यादि।

निष्कर्ष:

समय की यह माँग है कि श्रम समस्याओं का उचित हल ढूँढ़ा जाये, जिससे उद्योगों में संघर्ष को कम किया जा सके। इन समस्याओं का हल औद्योगिकीकरण के विकास पर निर्भर करता है, जिसके स्वयं औद्योगिक समाज को ढूँढ़ना होगा। भारतीय संबंध के क्षेत्र में पूर्व नियोजित तरीकों और समाधानों को आयातित नहीं किया जा सकता है। यहाँ प्रत्येक समाज अपने नियमों के अनुसार परिस्थितियों को देखकर उपयुक्त हल ढूँढ़ता है, जिससे श्रमिकों और समूहों को उद्योग में कार्य करने का उत्साह उत्पन्न होता है। अतः यह आवश्यक है कि श्रमिकों की विभिन्न समस्याओं को ध्यानपूर्वक सुना जाए और उनका समाधान किया जाए, जिससे वे भी अपने जीवन–स्तर को सुधार सकें और स्वस्थ एवं खुशहाल जीवन व्यतीत कर सकें।

: संदर्भ सूची :

Books:

1. Agarwal, A.N.- Indian Labour Problems.
2. Baltiboy, J.R.- The Problem of Labour discipline in our Industries.
3. Clow, A.G.- Indian factory legislation
4. Cole, G.D.H. - Payment of Wages.
5. Das, R.K.- Labour Movement in India
6. Dass, S.N.- Sugar Industry in

India.
7. Ibid
8. Gadgil, D.R.- Relation of wages and other problems of Industrial labour in India.
9. Gupta, M.L.- Problems of unemployement in India.
10. Hearnshaw & Winterbourn- Human Welfare and Industrial Efficiency .
11. Jain, P.C.- Industry and Labour in India.
12. Kelman, J.H.- Labour in India.
13. Monga, M.L.- Industrial Relations and Labour Laws in India.
14. Moorthy, M.V.- Principles of Labour Welfare.
15. Rawat, B.D.- Labour Welfare in India, Problems & Prospects
16. Saxena, R.C.- Labour Problems and Social Welfare
17. Sud, D.C.-Incentives in Industry.
18. Trivedi, H.M.- Labour and Factory Legislation in India
19. Vaid, K.N. Labour Welfare in India.
20. Webbs, Sidney & Beatrice - Industrial Democracy
21. White, W.F.- Industry and Society .
22. Zachariah, K.A.- Industrial Relations Personnel Problems.

Newspapers:

- Economics Times
- Indian Express
- Hindustan Times
- Danik Jagran
- Times of India
- Amar Ujala

Websites:

- www.google.com
- www.Indiansugar.com
- www.india.htm

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

'वित्तीय समावेशन'- बैंकों के सम्मुख एक चुनौती

डॉ० शिवाली चौहान
असि0 प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
रमा जैन कन्या महाविद्यालय, नजीबाबाद, उ0प्र0

डॉ० एन० पी० सिंह
एसोसिएट प्रोफेसर- वाणिज्य विभाग
साहू जैन कालेज, नजीबाबाद, उ0प्र0

वित्तीय समावेशन को हमारे देश में प्रायः बैंक खातों तक पहुँच के रूप में देखा जाता है, जबकि इसमें बैंकिंग के अलावा अन्य वित्तीय सेवाओं, जैसे– पेंशन, बीमा व पूँजी बाजार के उत्पादों और सेवाओं से वंचित लोगों को उनकी परिधि में लाना भी शामिल है। कम आय व कमजोर वर्ग के लिए ऋण व वित्तीय सेवाओं तक सुगमतापूर्वक पहुँच ही वित्तीय समावेशन है। अन्य शब्दों में, वित्तीय समावेशन का अर्थ अब तक वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों से वंचित रहे लोगों तक सुविधापूर्वक सरल तरीके से उनकी पहुँच सुनिश्चित करना है। वित्तीय समावेशन में ऐसे लोगों को बैंकिंग सेवाओं के दायरे में लाना है, जो अभी तक बैंकिंग सेवाओं से वंचित हैं। अतः वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत कम आय वाले और समाज के कमजोर वर्गों को बैंकिंग सेवाओं से सम्बद्ध करना, उन्हें कम लागत पर ये सेवाएं उपलब्ध कराना, सभी लोगों को बिना किसी भेदभाव के बैंकिंग सेवाएं प्रदान करना और सभी वयस्क व्यक्तियों को बैंक में खाता खोलकर बैंक से जोड़ना शामिल है।[1]

हमारे देश में समावेशी विकास तब तक सम्भव नहीं है, जब तक देश की दो–तिहाई आबादी को वित्तीय तंत्र से न जोड़ दिया जाए। भारत में समावेशी विकास के लिए वित्तीय समावेशन की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से महसूस की गई है।

- वित्तीय समावेशन, ग्राहकों की बचत को बैंकों के माध्यम से एकत्रित कर उन्हें उचित आय प्राप्ति एवं सुरक्षा प्रदान करेगा तथा बचत की प्रवृत्ति को भी प्रोत्साहित करेगा।
- देश के लगभग आधे किसान परिवार संगठित क्षेत्र के जरिए ऋण प्राप्त नहीं कर पाते हैं। अतः उन्हें साहूकारों से ऊँची दर पर अपनी खेती की जमीन गिरवीं रखकर ऋण लेना पड़ता है, जबकि वित्तीय समावेशन के चलते ग्राहकों को सरकारी योजनाओं के तहत सब्सिडी, सस्ते ऋण सीधे बैंक खाते से प्राप्त हो सकेंगे।
- आज बैंकिंग के क्षेत्र में निरन्तर हो रहे बदलाव एवं आधुनिक सेवाएं शहरी ग्राहकों तक ही सीमित हैं। वित्तीय समावेशन के चलते ये सभी बैंकिंग की आधुनिक सेवाएं ग्रामीण ग्राहकों को भी आसानी से उपलब्ध होंगी।
- वित्तीय समावेशन के बिना कुछ भी सम्भव नहीं है, क्योंकि वित्तीय समावेशन पूर्ण विकास हेतु जरूरी ऋण, बचत, बीमा,

पेंशन इत्यादि वित्तीय सेवाओं एवं उत्पादों की कमी को दूर करता है।

- वित्तीय समावेशन के द्वारा गैर–नकदी आधारित अन्तरण अर्थात् वस्तु–विनिमय प्रथा जो आज भी गाँवों में प्रचलित है, को दूर किया जा सकता है, जो अर्थव्यवस्था के पिछड़ेपन का सूचक है।
- वित्तीय समावेशन के द्वारा लोगों की वित्तीय आवश्यकताएं ही पूरी नहीं होतीं, बल्कि वित्त की शक्ति से सामाजिक उत्थान भी होता है।
- बैंक में खाता न होने के कारण अधिकांश वित्तीय लेन–देन बैंकों के क्षेत्र से बाहर होते हैं, जिसकी जानकारी सरकार अथवा भारतीय रिजर्व बैंक को नहीं हो पाती और मंहगाई तथा मुद्रा स्फीति से सम्बन्धित सारे प्रयास फेल हो जाते हैं।

सरकार एवं भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा देश के सभी ग्रामीण इलाकों को वित्तीय तंत्र की परिधि में लाने के लिए अनेक प्रयास पहले से ही किये जाते रहे हैं, जिसमें बैंको का राष्ट्रीयकरण, प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को ऋण, विभेदात्मक ब्याज दर योजना, कृषि ऋणों की माफी, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों एवं सहकारी बैंकों की स्थापना, ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने को प्रोत्साहन, समाज के कमजोर वर्ग के लिए विशेष ऋण योजनाएं, किसान क्रेडिट कार्ड, स्वरोजगार क्रेडिट कार्ड और जनरल क्रेडिट कार्ड योजनाएं शामिल हैं। किन्तु इन प्रयासों के बावजूद ग्रामीण क्षेत्रों का सन्तोषजनक वित्तीय समावेशन नहीं हुआ, जिस पर पिछले एक दशक से काफी जोर दिया जा रहा है। इस दिशा में हाल ही में नो–फ्रिल खाते, बायोमेट्रिक एटीएम, व्हाइट लेवल एटीएम, बैंकिंग सुविधादाता, बैंकिंग प्रतिनिधि, नये बैंकिंग लाइसेंस, महिला बैंक, पोस्ट बैंक, मोबाइल बैंकिंग, सब्सिडी का नकदी अन्तरण इत्यादि के द्वारा भारत को वित्तीय तंत्र में शमिल करने के प्रयास किए जा रहे हैं।[2]

वित्तीय समावेशन में बैंक एवं सरकार की भूमिका :

वित्तीय समावेशन में बैंकों की भूमिका से इंकार नहीं किया जा सकता। ग्रामीण एवं अनपढ़ लोगों को बैंकों से सम्बद्ध करने का कार्य बैंकों द्वारा ही सम्भव है। इसके लिए बैंकों के साथ–साथ डाकघर, गैर–सरकारी संगठनों एवं स्वयं सहायता समूह का भी सहारा लिया जा सकता है। बैंक वित्तीय समावेशन की मुहिम में, ग्राहकों को वित्तीय उत्पादों की जानकारी देकर, बैंकिंग सेवाओं के सही एवं उचित उपयोग हेतु प्रशिक्षित कर, बचत के लिए प्रोत्साहित कर सकते हैं। साथ ही धन प्रबंधन और ऋण सम्बन्धी सलाह तथा कम ब्याज दर पर ऋण उपलब्ध कराकर सहयोग कर सकते हैं। सही तो यह है कि वित्तीय समावेशन का दायरा बढ़ाने के लिए बैंकों को विशिष्ट नीतियाँ बनानी होगीं और अधिकाधिक नो–फ्रिल खाते खोलकर ग्राहकों को आकर्षित करना होगा। बैंक, ग्रामीण शाखाओं का विस्तार, मानव संसाधन में वृद्धि, ग्रामीण पृष्ठभूमि के बैंककर्मियों की भर्ती, ग्रामीणों के अनुरूप वित्तीय उत्पाद, ग्रामीणों के प्रति सहयोग का रवैया, प्रौद्योगिकी सम्बन्धी समस्या का निवारण कर वित्तीय समावेशन में अपनी भूमिका निभा सकते हैं। बैंकों को क्षेत्र एवं स्थानीय लोगों का सहारा लेकर शून्य शेष पर खाते खोलने होंगे और प्रचार–प्रसार करना होगा।

सरकार द्वारा वित्तीय समावेशन के द्वारा समाज के एक बड़े वर्ग को बैंकिंग की आधारभूत सेवाएं उपलब्ध कराने का लक्ष्य रखा गया है। फिलहाल केन्द्र सरकार ने प्रधानमंत्री जन–धन योजना को प्रारम्भ करने के पीछे यही उद्देश्य रखा है कि देश के सभी वयस्क व्यक्तियों का बैंक में कम से कम एक बचत बैंक खाता अवश्य हो। इस योजना में जीवन बीमा और दुर्घटना बीमा की सुविधा भी प्रदान की गयी है, किन्तु इसके साथ ही सरकार ने प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना और प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना बहुत ही थोड़े

प्रीमियम पर खाताधारकों हेतु अलग से लागू की है। जिन लोगों को जन–धन योजना में बीमा सुरक्षा प्राप्त है, वे भी उपरोक्त नई बीमा योजनाओं में शामिल हो सकते हैं। बीमा सुरक्षा का लाभ एक निश्चित उम्र तक ही प्राप्त है। अतः बैंक खाताधारक 18 वर्ष से 60 वर्ष तक निरन्तर एक निश्चित धनराशि जमा कर, अटल पेंशन योजना के अन्तर्गत 60 वर्ष की आयु के बाद पेंशन की सुविधा ताउम्र प्राप्त कर सकेंगे। वित्तीय समावेशन हमारे नीति निर्माताओं के लिए आज सर्वोच्च प्राथमिकता बनी हुई है, क्योंकि जब तक हम लोगों की आवश्यकताओं को पूरा नहीं करते हैं, तब तक हम स्थायी विकास के बारे में नहीं सोच सकते। वित्तीय समावेशन की आवश्यकता के पीछे एक कारण यह भी है कि लगभग 30 करोड़ लोग अभी भी गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन कर रहे हैं, जिन्हें विभिन्न रूपों में आर्थिक सहायता की आवश्यकता होती है, परन्तु गरीबों की आर्थिक सुरक्षा से जुड़े विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कार्य को भ्रष्टाचार के कारण बड़ा खतरा पैदा हो गया है। भारत में भी सरकार द्वारा लाभों के नकद अन्तरण की योजनाएं, जैसे– छात्रवृत्तियां, वृद्धावस्था पेंशन योजना, एलपीजी सब्सिडी, मनरेगा, खाद्य एवं उर्वरक अनुदान तथा सर्वशिक्षा अभियान आदि मामलों में भुगतान, खातों के माध्यम से करने का प्रावधान रखा गया है, ताकि इनके वितरण में व्याप्त भ्रष्टाचार पर अंकुश लगाया जा सके, और यह वित्तीय समावेशन के द्वारा ही सम्भव है।[3]

प्रधानमंत्री जन–धन योजना के अन्तर्गत खोले गये खातों का विवरण

क्र. सं.	बैंक	खातों की संख्या (करोड़ में)			रूपे डेबिट कार्ड की संख्या	खातों में शेष (रू. करोड़ में)	प्रतिशत
		ग्रामीण	शहरी	कुल			
1	सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक	12.45	10.36	22.8	17.76	49,999.02	78.17
2	निजी क्षेत्र के बैंक	3.97	0.69	4.65	3.53	11,853.55	18.53
3	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक	0.56	0.37	0.93	0.86	2,107.60	3.30
	कुल	**16.97**	**11.41**	**28.4**	**22.15**	**63,960.17**	**100.00**

स्रोत- www. pmjandhanyojana.co.in

प्रधानमंत्री जन–धन योजना की उपलब्धियाँ–

सरकार एवं बैंकों के दस करोड़ खाते खोलने के लक्ष्य से आगे बढ़कर 28.4 करोड़ खाते खोले गये हैं, जिनमें अधिकांश खाते सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों द्वारा खोले गए हैं। इनके द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों में 16.97 करोड़ खाते, एवं शहरी क्षेत्रों में 11.41 करोड़ खाते खोले गए हैं। इस योजना के तहत फरवरी 2017 तक 63,960.17 करोड़ रूपये जमा हो चुके हैं। जहाँ तक रूपे डेबिड कार्ड जारी करने का सवाल है अधिकांश खातों में 22.15 करोड़ रूपे डेबिट कार्ड जारी किए जा चुके हैं। जन–धन योजना के तहत खोले गए कुल खातों में लगभग आधे महिलाओं के हैं, जिनमें 60.53 प्रतिशत खाते ग्रामीण महिलाओं द्वारा खोले गए हैं इससे पता चलता है कि वित्तीय समावेशन पहल से समाज में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीण महिलाओं को लाभ पहुँचा है। कुल खातों के लगभग 60 प्रतिशत खाते ग्रामीण क्षेत्रों में खोले गए हैं, जहाँ पर बहुत बड़ी संख्या किसानों की है और वे इस योजना से लाभान्वित हो रहे हैं।

वित्तीय समावेशन के पहले दौर में जहाँ लक्ष्य हर किसी को बैंक तक पहुँचाने का था, वहीं अब दूसरे दौर में कोशिश बैंक पहुँचे लोगों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने की है। पहले दौर में

दुर्घटना और जीवन बीमा को नये खातों के साथ बगैर किसी शुल्क के मुहैया कराया गया, वहीं अब 330 रूपये शुल्क पर जीवन बीमा सुरक्षा तथा 12 रूपये में दुर्घटना बीमा सुविधा 2 लाख रूपये तक उपलब्ध है। बीमा का लाभ प्राप्त करने के लिए आवश्यक है कि खाताधारक अपने रूपे डेबिट कार्ड से खाता खोलने के 45 दिन के अन्दर कम से कम एक बार उसका प्रयोग अनिवार्य रूप से करें। अगर खाताधारक के खाते में शून्य शेष है, तो वह रूपे डेबिट कार्ड का प्रयोग नहीं करेगा, जिसकी वजह से बीमा का लाभ उसको नहीं मिलेगा। वित्त मंत्रालय के अनुसार जन–धन योजना के तहत खोले गये खातों में यदि शून्य शेष है, तो इन खातों पर बीमा की सुविधा का लाभ पाना सम्भव दिखाई नहीं देता।[4]

वित्तीय समावेशन की समस्यायें:

हमारे देश में बैंकिंग उद्योग में विगत वर्षों से बहुत तेजी से परिवर्तन परिलक्षित हुए हैं, किन्तु हम बैंकिंग क्षेत्र में अभी भी ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पूर्ण एवं सार्थक प्रयास नहीं कर पाए हैं और वित्तीय समावेशन की आवश्यकता को महसूस करते हैं। वित्तीय समावेशन की प्रमुख समस्यायें निम्न हैं–

- ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में बैंकों द्वारा शाखाएं नहीं खोली गई हैं, साथ ही निजी एवं विदेशी बैंकों द्वारा इन क्षेत्रों में प्रदर्शन लगभग शून्य है।
- बैंकों द्वारा खाता संचालित करने हेतु ऐसी शर्त लगाना, जिससे गरीब और समाज के कमजोर वर्ग के लोग न तो खाता खोलने की सोचते हैं, और न ही उसको चलाने में समर्थ हो पाते हैं, जैसे– खाते में अधिक शेष की बाध्यता, एटीएम, एसएमएस एवं सेवा प्रभारों की अधिकता एवं अनिवार्यता आदि।
- पिछड़े क्षेत्रों में बैंकिंग की बुनियादी एवं ढांचागत सुविधाओं की आज भी कमी है।
- गरीबी एवं अशिक्षा के चलते कर्ज लेकर गरीब लोग कुछ व्यापार या रोजगार तो चला सकते हैं, किन्तु बचत में कमी के चलते वित्तीय सेवाओं से वंचित रह जाते हैं।
- आज भी गांव के गरीब व्यक्ति शहरों में आकर बैंकों तथा वित्तीय संस्थाओं के कार्यालयों में उनके अधिकारी एवं कर्मचारी से मिलने में संकोच करते हैं। अतः इन्हें बैंकिंग सेवाओं एवं सुविधाओं की पूरी जानकारी नहीं हो पाती।
- अशिक्षित, गरीब तथा ग्रामीण व्यक्तियों को, सरकार द्वारा उनके लिए बनायी एवं लागू की गई योजनाओं की जानकारी नहीं हो पाती, साथ ही इन योजनाओं का लाभ भी उन्हें नहीं मिल पाता है।
- ग्रामीण क्षेत्रों में शिक्षा के अभाव में, आज भी बैंकों के प्रति पूर्ण विश्वास न होने के कारण बैकिंग सेवाओं का लाभ नहीं उठाया जाता, इसलिए वे लोग खाता खोलने में संकोच करते हैं।
- बैंको का उद्देश्य लाभ पर आधारित हो गया है। अतः बैंक ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में अपनी शाखाएं खोलने में संकोच करते हैं।
- अति पिछड़े, कठिन एवं दूरस्थ क्षेत्र में धन एवं बैंक कर्मचारियों की सुरक्षा का अभाव रहता है।
- बैंक के कर्मचारी एवं अधिकारी ग्रामीण एवं पिछड़े क्षेत्रों में तैनाती नहीं चाहते और वहाँ पर पूर्ण क्षमता के साथ कार्य भी नहीं करते, क्योंकि इन शाखाओं में तैनात स्टाफ को निम्न गुणवत्ता वाला समझा जाता है।
- ग्रामीण क्षेत्र में कृषि एवं स्वरोजगार में लगे लोगों के लिए बैंक का कार्य–समय उपयुक्त नहीं समझा जाता।
- वित्तीय समावेशन में बैंक स्टाफ के सम्मुख ग्रामीण क्षेत्रों में भाषा एवं अधिक दूरी पर

स्थानान्तरण की समस्या बाधा पैदा करती है।

- बैंकों में मुख्यतः ग्रामीणों के लिए वांछित उत्पाद भी उपलब्ध नहीं हो पाते।
- पिछड़े क्षेत्रों में बैंक शाखाओं की आपसी दूरी की अधिकता भी वित्तीय समावेशन में बाधा का काम करती है।

बैंकों के सम्मुख चुनौतियाँ–

वित्तीय समावेशन के माध्यम से कार्य करने की बड़ी चुनौती अब बैंकिंग क्षेत्र के सम्मुख है, जो निम्न प्रकार हैः

- ग्रामीण क्षेत्रों में अधिकांश कृषक एवं मजदूर अपनी वित्तीय आवश्यकताओं को देशी साहूकारों से पूरा करते हैं। अतः ग्रामीण भारत में व्याप्त गरीबी को कम किए बिना तथा ग्रामीणों के संसाधनों में वृद्धि किए बिना वित्तीय समावेशन सफल नहीं हो सकता।
- ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता की दर काफी कम है, जबकि वित्तीय साक्षरता की स्थिति तो और भी चिन्ताजनक है। ऐसी दशा में ग्रामीणों के बैंक खाते यदि खोल भी दिए जाए, तो भी वित्तीय जागरूकता के अभाव में उनका संचालन एवं उपयोग सही रूप में नही कर पायेंगे।
- वित्तीय समावेशन की ग्रामीण विकास में भूमिका को राज्य सरकारों एवं पंचायती राज संस्थानों द्वारा ठीक से लागू नहीं किया गया है। अतः इनका सहयोग न मिलना एक बहुत बड़ी चुनौती है।
- विगत वर्षों में देश में गैर–पंजीकृत वित्तीय संस्थाओं, बैंक, चिटफण्ड, कमेटी इत्यादि के द्वारा गाँव में धोखाधड़ी करने के मामलो में वृद्धि हुई है। जिस कारण वित्तीय मामलों में शंका एवं भय का माहौल बन गया है।
- बैंको द्वारा वित्तीय समावेशन हेतु शून्य आधारित खाते, बायोमैट्रिक एटीएम जैसे प्रयास पूरी तरह सफल नहीं हो पाए हैं, क्योंकि ऐसे खातों के संचालन हेतु पर्याप्त वित्तीय तकनीक एवं सुरक्षा सम्बन्धी जानकारी का अभाव रहता है।
- बैंकों के सम्मुख वित्तीय समावेशन में एक बड़ी चुनौती महिलाओं का शैक्षिक, सामाजिक एवं आर्थिक रूप से पिछड़ापन है।
- वित्तीय समावेशन में एक बड़ी चुनौती जनसंख्या वृद्धि है, जिसके परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी में जीवनयापन करने को लोग मजबूर हैं। अतः इनके लिए भविष्य की योजनाएं, बचत करना या बैकिंग सेवाओं का बेहतर उपयोग करने से कोई सरोकार नहीं है।
- वित्तीय समावेशन ऐसे क्षेत्रों में आज भी चुनौती बना हुआ है, जहाँ आधारभूत सुविधाओं का अभाव है। परिवहन के साधनों का अभाव, वन क्षेत्र, बर्फीले क्षेत्र, आदिवासी क्षेत्र, अशान्त क्षेत्र ऐसे कारण हैं, जिनकी वजह से बैंक अपनी शाखाएं नहीं खोल पाती हैं।
- वित्तीय समावेशन में सहकारी बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किन्तु ये बैंक अपने उद्देश्यों को पूरा करने में सफल नहीं हो पा रहे हैं तथा अपने व्यवसाय को ग्रामीण क्षेत्रों में बढ़ाने से हिचकते हैं।
- राष्ट्रीयकृत बैंकों की भी वित्तीय समावेशन में महत्वपूर्ण भूमिका हो सकती है, किन्तु आज इन बैंकों का उद्देश्य सामाजिक बैंकिंग से परिवर्तित होकर लाभोन्मुखी हो गया है। अतः ये बैंक अपने उद्देश्य से भटक गए हैं। बैंकिंग क्षेत्र में नई सूचना प्रौद्योगिकी तथा तकनीकी बदलाव भी वित्तीय समावेशन के लिए चुनौती बना हुआ है, क्योंकि बदलाव ग्रामीण क्षेत्रों में आज भी पूर्णतः लागू नहीं हो पाए हैं।

बैंकों द्वारा वित्तीय समावेशन को सफल बनाने हेतु सुझाव :

वित्तीय समावेशन प्रक्रिया में बैंकों की महत्त्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि बैंक जनता की बचत को एकत्रित कर, ऋण के रूप में प्रदान कर, एक मध्यस्थ की भूमिका निभाते हैं और देश के आर्थिक विकास में योगदान करते हैं। अतः वित्तीय समावेशन में बैंकों को सामाजिक बैंकिंग की अवधारणा को अपनाना होगा। भले ही शुरूआती दौर में बैंकों को अधिक लाभ न हो, किन्तु कुछ समय पश्चात् बैंकों को भरपूर लाभ प्राप्ति के अवसर प्राप्त होंगे। यह तो निश्चित ही है कि बैंक यह कार्य आधारभूत बैंकिंग के सहारे नहीं कर सकते हैं। अतः बैंकों को ऐसी तकनीक एवं सूचना प्रौद्योगिकी अपनानी होगी, जिसके सहारे पिछड़े क्षेत्रों में भी प्रवेश कर, कम लागत पर लोगों को बैंकिंग सुविधाएं प्रदान कर सकें।[5] ग्राहकों के लिए ऐसे उत्पाद विकसित किए जा सकते हैं जो उनकी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। अतः वित्तीय समावेशन को सफल बनाने के लिए निम्न सुझाव हो सकते हैं–

- वित्तीय समावेशन हेतु पिछड़े क्षेत्रों को सर्वप्रथम चुना जाना चाहिए, क्योंकि ऐसे स्थानों पर ग्राहक, बैंकिंग सुविधाओं को अपनाने में आनाकानी नहीं करते हैं।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत परिवार में कई–कई खाते न खोले जाएं, बल्कि परिवार के कर्ता का खाता सर्वप्रथम खोला जाए और उनकी आवश्यकता के अनुरूप ही वित्तीय उत्पाद भी विकसित किए जाएं।
- बैंकों द्वारा सभी खोले जाने वाले खातों को उनके आधार कार्ड से लिंक किया जाए, ताकि ग्राहक एक से अधिक खाते खोलकर बैंक के कार्य को अनावश्यक रूप से न बढ़ाए और कर चोरी को रोकने के लिए उनको पैन नम्बर से भी लिंक किया जाए।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत ग्राहकों को जानकारी उनकी क्षेत्रीय भाषा में प्रदान की जाए।
- वित्तीय समावेशन कार्यक्रम कृषि प्रशिक्षण केन्द्र, ब्लॉक, तहसील, स्कूल एवं कॉलेजों के माध्यम से लागू किया जाए।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत महिलाओं के लिए खास महिला बैंकों का विस्तार किया जाए।
- वित्तीय समावेशन की सफलता के लिए किसानों को किए जाने वाले सभी भुगतान, छात्रवृत्तियां, पेंशन आदि बैंक के माध्यम से ही किए जाएं।
- वित्तीय समावेशन के प्रचार–प्रसार के लिए कृषि मेलों का आयोजन कर ग्राहकों में जागरूकता फैलायी जाए।
- वित्तीय समावेशन हेतु डॉक्टर, इंजीनियर, अध्यापक, वैज्ञानिक, बैंककर्मी, व्यापारी व प्रशासन का सहारा लिया जा सकता है, क्योंकि ये सभी जनता से सीधे सम्पर्क में रहते हैं।
- दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों के लिए कम लागत वाले सौर ऊर्जा चालित बायोमैट्रिक एटीएम लगाए जाएं। इससे रूपे डेबिट कार्डों का उपयोग भी बढ़ेगा और प्रौद्योगिकी का लाभ निचले स्तर तक पहुँचेगा।
- वित्तीय समावेशन के अन्तर्गत निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सभी बैंक शाखाओं का लक्ष्य निर्धारित किया जाए, ताकि जिन लोगों ने बैंक खाते नहीं खोले हैं, उनके खाते खोले जा सकें।
- शाखाओं में बैंक कार्यप्रणाली को आसान बनाया जाए तथा एक बैंककर्मी ग्राहकों के फार्म भरने तथा सम्बन्धित जानकारी देने हेतु पूछताछ कक्ष पर कार्यशील घण्टों में उपलब्ध रहे।
- बैंकों को चाहिए कि अविकसित क्षेत्रों में वित्तीय समावेशन हेतु गैर–सरकारी संगठनों की भी सहायता ली जाए और

एक अभियान चलाकर लोगों को बैंकिंग गतिविधियों से जोड़ा जाए।

- बैंकों को चाहिए कि जहाँ सम्भावनाएं हैं और मध्यस्थ नहीं हैं, वहाँ ग्राहकों से सीधे सम्पर्क कर बैंक सेवाएं प्रदान करें।
- बैंकों को चाहिए कि विशेषज्ञों की सहायता से वित्तीय समावेशन के उन्नत मॉडल विकसित करें, ताकि कम लागत पर लोगों को वित्तीय सुविधाएं मुहैया करायी जा सकें।

वित्तीय समावेशन के द्वारा देश में, विशेष रूप से गरीबी, बेरोजगारी एवं ऋणग्रस्तता की समस्याओं का सामना बेहतर रूप से किया जा सकता है। वित्तीय समावेशन की अपार सम्भावनाएं हैं। यदि आज प्रारम्भिक दौर में हम गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को आर्थिक क्रियाकलापों से जोड़ पाएं, तो यह एक बड़ी उपलब्धि होगी।[6] वित्तीय समावेशन की सफलता तभी सुनिश्चित की जा सकती है, जब हम वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित सभी पक्षकारों को वित्तीय शिक्षा मुहैया कराएं। इससे उनको वित्तीय उत्पादों को समझने में मदद मिलेगी और इससे होने वाले जोखिम और लाभ का विश्लेषण स्वयं कर सकेंगे। इस प्रकार वित्तीय समावेशन एक सामाजिक क्रान्ति है, जो अब तक बैंकिंग सुविधाओं से वंचित, असंगठित क्षेत्र के व्यक्तियों के जीवन–स्तर में सुधार लाते हुए, उनकी आर्थिक स्थिति में बढ़ोत्तरी के साथ–साथ समग्र वित्तीय स्थिरता को भी बढ़ावा देगा। यदि वित्तीय समावेशन को निष्ठा एवं उत्साहपूर्वक लागू किया जाए, तो इसमें कोई संदेह नहीं कि यह बैंकों के राष्ट्रीयकरण के बाद दूसरी क्रान्ति के रूप में उभरेगा। वित्तीय समावेशन विकास की दशा में एक उत्प्रेरक की तरह कार्य करता है, और ऋण, बचत, निवेश, पेंशन, बीमा इत्यादि के लाभ से अवगत कराता है। वित्तीय तंत्र का हिस्सा बनकर, सरकार द्वारा चलायी जा रही विभिन्न प्रकार की विकास परियोजनाओं, जैसे– भवन निर्माण, मनरेगा, जननी सुरक्षा योजना इत्यादि का लाभ उठा सकेंगे। बस आवश्यकता इस बात की है कि सरकार द्वारा चलायी जा रही वित्तीय समावेशन से सम्बन्धित सभी योजनाओं को इससे सम्बन्धित सभी पक्ष, अपनी सोच में बदलाव लाकर समर्पण की भावना एवं प्रतिबद्धता के साथ लागू करें, तभी हम इस मुहिम में सफल हो पाएंगे और सरकार का सपना भी साकार हो पाएगा, जो एक राष्ट्रीय मिशन के रूप में चलाया जा रहा है।

: संदर्भ सूची :

1. बंसल विनय, भारतीय बैंकिंग क्षेत्र : चुनौतियाँ एवं भावी परिदृश्य, बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, अक्टूबर–दिसम्बर, 2014, पृष्ठ संख्या 74–78
2. सिंह लोकेन्द्र, सिंह नरेन्द्र पाल, नई बैंकिंग व्यवस्था में वित्तीय समावेशन का महत्व, बैंकिंग चिंतन–अनुचिंतन, अक्टूबर–दिसम्बर, 2014, पृ0 संख्या 33–38
3. सिंघल रामप्रकाश, वित्तीय समावेशनः चुनौतियाँ और समाधान, वित्तीय समावेशन के विविध आयाम, आधार प्रकाशन प्राइवेट लिमिटेड, पंचकूला (हरियाणा) 2009, पृ0 संख्या– 32–41
4. सौरभ समीरा, नगद रहित ग्रामीण अर्थव्यवस्था की ओर, योजना, 648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली, फरवरी 2017, पृष्ठ संख्या 33–36
5. धर प्रांजल, बैंकिंग क्षेत्र : विकास एवं चुनौतियाँ, योजना, 648, सूचना भवन, सीजीओ परिसर, लोधी रोड, नयी दिल्ली, फरवरी 2010, पृष्ठ संख्या 18–20
6. शर्मा हरिकिशन, 'जन–धन की नींव पर जनसुरक्षा की इमारत' कुरूक्षेत्र, 655, सूचना भवन, सीजीओ काम्पलेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली, पृष्ठ संख्या 15–18

- www.rbi.org.in/hindi
- www.publicationsdivision.nic.in

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

आधुनिक भारत के अल्पज्ञात प्रेरणास्पद किशोर : उत्तर-मुगलकालीन कुछ ऐतिहासिक सन्दर्भ

डॉ० चन्द्रशेखर भारद्वाज
अध्यक्ष- इतिहास विभाग
सी.एस.एस.एस. (पीजी) कॉलिज, माछरा (मेरठ)

वैदिककालीन ऋषियों ने मनुष्य–जीवन की अवधि 100 वर्ष मानी थी और उसे व्यवस्थित करते हुए चार आश्रमों– क्रमशः ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम तथा संन्यास आश्रम में वर्गीकृत किया था। प्रत्येक आश्रम की अवधि 25 वर्ष निर्धारित की गयी थी। ऋषियों ने सम्पूर्ण मानव जीवन को सुसंस्कृत करने के उपायों और क्रिया–विधानों के अन्तर्गत 16 संस्कार भी प्रतिपादित किये थे[1], जो क्रमशः गर्भाधान संस्कार से लेकर अन्त्येष्टि संस्कार तक परिगणित किये जाते हैं।

मनुष्य के जन्म लेते ही उसे 'शिशु अवस्था' के अन्तर्गत माना जाता है। शिशु अवस्था की परिसमाप्ति ही बाल्यावस्था का प्रारम्भ बिन्दु है। प्रायः 6 से 12 वर्ष तक बाल्यकाल अथवा बाल अवस्था मानी जाती है। जैसे ही आयु का 13वाँ वर्ष प्रारम्भ होता है वैसे ही प्राचीन भारतीय परम्परा के अनुसार मनुष्य की किशोरावस्था प्रारम्भ हो जाती है, जो प्रायः 18–19 वर्ष तक चलती है। तत्पश्चात् युवावस्था प्रारम्भ हो जाती है। युवावस्था के बाद क्रमशः प्रौढ़ अवस्था और वृद्धावस्था मानी जाती हैं।

प्रस्तुत शोधपत्र मानव जीवन की इन पाँच अवस्थाओं में से माध्यमिक अवस्था अर्थात् किशोर अवस्था से संबंधित है। इसे आधुनिक भारत के उन कतिपय प्रेरणास्पद किशोरों के प्रेरणादायी जीवन घटनाक्रमों पर केन्द्रित किया गया है, जिनका देश के इतिहास में भारी ऐतिहासिक महत्व है। ये किशोर न केवल समकालीन भारतीय परिस्थितियों में समाज की तत्कालीन और भावी पीढ़ियों के लिए जीवन्त प्रेरणा प्रदान करने का अजस्र स्रोत बन कर भारतीय जनमानस में उभरे, वरन् आज भी विश्व के किसी भी कोने का नागरिक इनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त कर सकता है।

यहाँ यह स्पष्ट कर देना समीचीन होगा कि भारतीय इतिहास के कालक्रम को विद्वानों द्वारा निम्नलिखित तीन प्रमुख खण्डों में विभाजित किया गया है –

1. प्राचीन काल– प्रारंभ से लेकर 1206 ई0 तक
2. मध्य काल – 1206 ई0 से 1707 ई0 तक
3. आधुनिक काल – 1707 ई0 से 1947 / 1950 / 1962 / 1978 / 1990 ई0 तक

स्पष्टतया प्रस्तुत शोध पत्र की कालावधि की सीमा 1707 ई0 से प्रारम्भ होने वाले आधुनिक भारतीय इतिहास के कालखण्ड से संबंधित हैं। वस्तुतः ऐसा इसलिए माना जाता है क्योंकि 1707 ई0 में मुगल सम्राट् औरंगजेब की मृत्यु[2] होने तथा शहजादों में उत्तराधिकार युद्ध प्रारम्भ होने आदि

से शासन में तीव्र परिवर्तन परिलक्षित हुए, जिनके आधार पर 1707 ई0 के वर्ष को मध्यकाल का अंत और आधुनिक काल का प्रारम्भ बिन्दु स्वीकार किया गया है।

भारतीय इतिहास के सम्यक् अध्ययन से यह तथ्य भली भाँति स्पष्ट होता है कि अन्याय और बर्बर अत्याचार के विरुद्ध सदैव से ही जिन महापुरुषों ने अपनी सक्रियता दिखायी, बहुधा वे किशोरावस्था से ही इन गुणों के प्रति ग्रहणशील थे। इस सन्दर्भ में मौर्य साम्राज्य का संस्थापक सम्राट् चन्द्रगुप्त मौर्य, गुप्त सम्राट् चन्द्रगुप्त विक्रमादित्य, हर्षवर्द्धन, गुर्जर सम्राट् मिहिर भोज, परमार शासक भोज, कश्मीर का शासक ललितादित्य मुक्तापीड, महारानी दिद्दा, गुजरात का शासक भीम द्वितीय और अंतिम हिन्दू सम्राट् पृथ्वीराज चौहान, विजयनगर के संस्थापक हरिहर एवं बुक्का, महाराणा प्रताप (कीका), छत्रपति शिवाजी, चूड़ामन, गोकला जाट, सूरजमल गुरू गोविन्द सिंह, बन्दा वीर वैरागी, बुन्देला राजा छत्रसाल, पेशवा बाजीराव, महादजी सिन्धिया, अहिल्याबाई होल्कर, महाराजा रणजीत सिंह, हरिसिंह नलवा, स्वामी दयानन्द, स्वामी विवेकानंद, वासुदेव चाफेकर, विनायक दामोदर सावरकर, खुदीराम बोस, सुभाषचंद्र बोस, भगत सिंह, चन्द्रशेखर आजाद, प्रीतिलता वाद्देदार, कल्पना दत्त आदि अनेक नाम विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं।

शोध पत्र की अपनी सीमायें होती हैं, जिनमें आबद्ध होकर विषय तक सीमित रहना ही न्यायोचित है। अतः प्रस्तुत शोध पत्र में केवल ऐसे महापुरुषों को ही सम्मिलित किया गया है, जिन्होंने उत्तर मुगलकाल[3] में राष्ट्र एवं समाज को एक नई दिशा दी और तरुणाई में ही अपने जीवन का बलिदान कर दिया। आत्मोत्सर्ग के समय ये महापुरुष स्वयं भी अपनी किशोरावस्था में ही थे। अतः इनका बलिदान राष्ट्र के इतिहास में विशिष्ट महत्व रखता है।

1. वीर बन्दा बैरागी का किशोर अनुयायी किशोर उर्फ किशोर सिंह उर्फ किशोरा सिंह–

नवम्बर 1708 ई0 में गोदावरी के तट पर स्थित नांदेड़ नामक स्थान पर गुरु गोविंद सिंह [4] का देहावसान हो गया, किन्तु जीवन के अंतिम दिनों में उन्होंने जिस तेजस्वी साधु से आह्वान किया था कि वे समाज का मार्गदर्शन करने के लिए आगे आये, उनका नाम था – नारायणदास उर्फ माधोदास। ये मूलतः लक्ष्मी देव अथवा लक्ष्मण देव थे जो जम्मू कश्मीर के निवासी थे[5] और अपनी किशोरावस्था में विरक्त होकर साधु–संन्यासियों के पास चले गये थे। वस्तुतः हुआ यह था कि 15 वर्षीय किशोर लक्ष्मणदास ने वन में एक हिरनी का शिकार किया, जिसके पेट में बच्चा था। शिकार का पेट फाड़ते ही वह स्वस्थ बच्चा बाहर निकल पड़ा और क्षण भर तड़पकर मर गया। इस दृश्य को देखने से 15 वर्षीय आखेटक को जो विरक्ति हुई, उसी ने उन्हें लक्ष्मणसेन से माधोदास ओर अंततः बन्दा बहादुर बना दिया। गुरु गोविन्द सिंह ने बन्दा बहादुर को 5 चिन्ह देकर देश और समाज की रक्षा के लिए न केवल उत्तर भारत जाने बल्कि मुगल सेना के अत्याचारों से आम जनता को मुक्त कराने के लिए भी निर्देशित किया था।

बन्दा बहादुर ने दक्षिण भारत से लेकर उत्तर भारत तक का रास्ता पार किया और वर्तमान हरियाणा, पंजाब ओर पश्चिमी उत्तर प्रदेश तथा निकटवर्ती इलाकों में अप्रत्याशित सांगठनिक शक्ति के माध्यम से मुगल प्रशासकों को मार भगाने में सफलता अर्जित की।

दिल्ली से 35 मील पश्चिम में स्थित खरखौदा[6] और तत्पश्चात् सोनीपत में उनके नाम की धूम मच गयी। कितना आश्चर्य है कि दिल्ली से केवल 25 मील दूर सोनीपत के फौजदार को उन्होंने जा घेरा। वह अपनी जान बचाकर दिल्ली भाग गया।[7] तत्पश्चात् बन्दा बहादुर ने 50 हजार अनुयाइयों के साथ सरहिन्द की ओर रुख किया। उनका लक्ष्य साफ था– सरहिन्द के मुगल फौजदार

(प्रशासक) वजीर खाँ को दण्डित करना। इसी वजीर खाँ ने गुरु पुत्रों की निर्ममतापूर्वक हत्यायें की थीं।[8] 'सच्चा पादशाह' और 'फतहदरस' के नारों से आकाश गूँज पड़ा।[9] संघर्ष में शेर मुहम्मद और ख्वाजा अली मारे गये। वजीर खाँ गोली लगने से मारा गया।[10] इसके बाद बन्दा बहादुर की विजयों का जो तीव्र सिलसिला प्रारम्भ हुआ उसकी गति धीमी नहीं पड़ी। उन्होंने 26 लाख रुपये वार्षिक राजस्व वाले इलाके पर सार्वभौम अधिकार प्राप्त कर नये हिन्दू राज्य की स्थापना कर ली। कालान्तर में परिस्थितियाँ बदलीं और माता सुन्दरी तथा बन्दा बहादुर के मध्य शत्रु वैमनस्य उत्पन्न करने में सफल रहे। इसका परिणाम गुरदासपुर के किले के घेरे के रूप में सामने आया। मुगलों ने गुरदासपुर का किला घेर लिया। 8 महीने घेरा चला। अंततः रसद की पूर्णतया समाप्ति होने के कारण अंतःवासी भूख से मरने लगे। काष्ठ ईंधन भी समाप्त हो गया। आपातकाल में पशु मांस खाने का विकल्प भी नहीं बचा, क्योंकि पशु भी समाप्त हो गये। समसामयिक स्रोतों से यह पता चलता है कि गुरदासपुर किले में संघर्षशील पुरुषों में से कुछ ने अपनी जांघ से मांस काटकर खाने का विकल्प चुना[11], किन्तु कच्चा मांस खाने से रोगों ने आ घेरा। भूख और बीमारी से लोग मरने लगे।

17 दिसम्बर, 1715 को गुरदासपुर का पतन हो गया।[12] तूरानी दल के सरदार अब्दुस समद खान, उसका पुत्र जकारिया खान, तथा कमरुद्दीन खान को इस विजय का श्रेय मिला। 22 दिसम्बर, 1715 को, तूरानी दल के सरदार, अमीन खाँ चिन ने बादशाह के सामने वीर बन्दा बहादुर को कैद कर लिये जाने की सूचना दी। इससे सम्राट् फर्रुखसियर ने अपनी विजय की सालगिरह और भी अधिक प्रसन्नतापूर्वक मनायी।

अब्दुस्समद खाँ स्वयं अपनी सैन्य टुकड़ी के साथ बन्दीजनों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना होना चाहता था, किन्तु दिल्ली में बन्दा के नाम का इतना भय था कि उसे दिल्ली आने की अनुमति नहीं दी गई, बल्कि वहीं पंजाब में रहकर स्थिति को नियंत्रण में रखने की जिम्मेदारी वहन करने का आदेश मिला। उसके पुत्र जकारिया खाँ और अमीन खाँ चिन के पुत्र कमरुद्दीन खाँ– दोनों को राजाज्ञा हुई कि वे बन्दा बहादुर और अन्य कैदियों को दिल्ली लेकर आवें। वे लोग बाबा बन्दा बहादुर को लेकर चले। दिल्ली के समीप अग़राबाद से दिल्ली तक उत्सवपूर्वक यात्रा लाने के सारे प्रबन्ध किये गये, जो सम्राट् की आज्ञा से अमीन खाँ के निर्देशन में किये गये थे। समकालीन इतिहासकार कामवर खाँ ने अनायास ही शिवाजी के पुत्र सम्राट् सम्भाजी को कैद करके दिल्ली लाये जाने वाले दृश्य से इसकी तुलना की है –

"यह ऐसा समारोह था जैसा कि कुछ साल पहले शिवाजी के बेटे सम्भाजी को बन्दी बनाकर लाये जाने के सुअवसर पर दिल्ली में हुआ था।"

10 मार्च, 1716 को अग़राबाद से लाल किला, दिल्ली के लाहौर दरवाजे तक बन्दी–यात्रा सम्पन्न हुई। कई मील के इस फासले को पूरा करने में सड़क के बीचों बीच से बन्दा बहादुर को लाया गया, साथ ही मीलों तक सड़क के दोनों ओर सशस्त्र सैनिक पंक्तिबद्ध उद्यत खड़े रहे। बन्दा बहादुर को लोहे के उस बन्द पिंजरे में रखा गया, जो हाथी की पीठ पर रखा था। सोने की जरी के काम वाला 'जामा' पहने वीर बन्दा कैद था। इस वस्त्र पर अनार के फूल की कढ़ाई की हुई थी। दिल्ली में जो सामान बन्दा वीर बैरागी से बरामद हुआ दिखाया गया था, उसकी सूची निम्नवत् है – 1000 तलवारें, 278 ढाल, 173 धनुष व तरकसए 180 बन्दूकें, 114 भाले, 217 लम्बे चाकू, 23 सोने की मुहरें और 600 से कुछ ऊपर चाँदी के रुपये। दिल्ली में जमा करायी गयी सूची में इतना ही समान दर्ज है। (15 रबी 1128)

बन्दी अवस्था में गुरु बन्दा बहादुर और उनके 740 समर्थकों को सम्राट् फर्रुखसियर के सामने प्रस्तुत करने के लिये दिल्ली लाया गया।[13]

दिल्ली में प्रतिदिन 100 बन्दियों के सिर काटे जाते थे। यह सिलसिला 7 दिन तक लगातार चला। इन बन्दियों में दो महिलाएँ एक शिशु और एक किशोर भी थे। बन्दा बहादुर की पत्नी, पत्नी की एक सेविका, उनका 3–4 वर्षीय पुत्र तथा उनका शिष्य 14–15 वर्षीय किशोर–'किशोरा सिंह' अथवा 'किशोर सिंह'।

बन्दा बहादुर के सम्पर्क में आने से पहले किशोर अथवा किशोरी लाल पूर्वी पंजाब के किसी गाँव का निवासी था, जो अपनी विधवा माँ के साथ रहता था। किशोरी लाल अभी बाल्यावस्था से निकलकर किशोरावस्था में प्रवेश कर ही रहा था कि वह गुरु बन्दा वीर वैरागी के सानिध्य में आ गया और मुगलों के अत्याचारों से पीड़ित आम जनता के प्रति संवेदनशील हो गया। गुरु के उद्देश्य के प्रति उसकी निष्ठा बढ़ती गयी। जब मुगलों ने गुरदासपुर का घेरा डाला तो वह भी वहीं था। जब 2000 सिक्खों के सिर भालों पर रखे हुए मुगल सैनिक, गुरदासपुर से दिल्ली के लिए चले थे तो वह 740 जीवित बन्दियों में से एक था। उसकी विधवा माँ को, जिसे अब से पहले पुत्र के जिन्दा बचे रहने अथवा मार डाल दिये जाने के बारे में कुछ जानकारी नहीं थी, उसके जीवित दिल्ली पहुँचने की सूचना मिली। उस विधवा स्त्री ने बड़े प्रयास करके अपने किशोरवय बेटे के प्राणों की रक्षा करने के प्रयास किये। वह स्त्री येन–केन–प्रकारेण तत्कालीन वित्त मंत्री राजा रतनचंद तक पहुँच गयी।[14] रतनचंद के माध्यम से उसका प्रार्थना पत्र वजीर अब्दुल्ला खाँ कुतुबउल्मुल्क के सामने प्रस्तुत कराया गया, जिस पर वजीर ने सम्यक् निर्णय लेते हुए नाबालिग बच्चे किशोरा सिंह की रिहाई का आदेश भिजवा दिया। क्षमादान के पीछे का ठोस आधार उस स्त्री द्वारा यह बताया जाना था कि उसका नाबालिग बेटा तो बन्दा बहादुर के किले में जबरदस्ती कैद करके रखा गया था।[15] उसकी यह दलील वजीर अब्दुल्ला खाँ ने ज्यों की त्यों मान ली थी और उसी आधार पर किशोरा को रिहाई का हुक्म मिला था। रिहाई का आदेश पत्र लेकर सरकारी कर्मचारी के साथ जब यह महिला बधिक के पास पहुँची तो जो घटनाक्रम हुआ वह विश्व इतिहास के अप्रत्याशित घटनाक्रमों में सूचीबद्ध है।

किशोर सिंह नामक इस किशोर ने गुरु भक्ति और राष्ट्रभक्ति के कारण इस मुक्ति पत्र को अस्वीकार कर दिया और अपनी माँ को अपरिचित पागल स्त्री बताते हुए कहा कि "यह कोई पागल स्त्री है, यह मेरी माँ नहीं है। मैं अपने गुरु का बन्दा हूँ और जो भाग्य उनका होना है वही मेरा होगा, इसमें कोई सन्देह नहीं"।[16] इसके बाद जल्लाद को अपना काम करना था। रोती–बिलखती माँ को दूर से मन ही मन प्रणाम कर गुरु बन्दा बहादुर का यह राष्ट्र भक्त किशोर जल्लाद से बोला– "ओ मुक्त.... अपना काम कर, सच्चा पादशाह" कहते हुए किशोर सिंह उर्फ किशोरा सिंह ने अपनी गर्दन जल्लाद के सामने कर दी, जो नंगी तलवार लिए पास ही भौंचक्का सा किंकर्त्तव्यविमूढ़–सा अवाक खड़ा था। किशोर सिंह के "ओ मुक्त......" कहते ही वह क्षण भर संभला, खुद के जागे होने के अहसास करने के लिए उसने अपना सिर थामा और फिर तलवार के एक ही वार से किशोरा सिंह का सर धड़ से अलग कर दिया।[17] यह 1716 के उत्तरार्द्ध की घटना है। इस तरह उसके बलिदान को वर्ष 2016 में 300 वर्ष पूरे हो चुके हैं। अपने उद्देश्य के प्रति गहन प्रतिबद्धता के ऐसे उदाहरण इतिहास में बिरले ही मिलते हैं।

राय इन्दर कँवर– जोधपुर के प्रतापी राठौड़ वंश के शासक महाराजा अजीत सिंह (जिन्हें कुछेक मास की आयु के समय उनकी माता सहित औरंगजेब ने दिल्ली में कैद करके रखवा लिया था और जिन्हें वीर दुर्गादास राठौड़ अपने बुद्धि कौशल व पराक्रम के बल पर दिल्ली में मुगलों की कैद से छुड़ाकर जोधपुर ले गये थे) की पुत्री का नाम राय इन्दर कँवर था।[18] वे अपने धर्म और संस्कृति की उत्कट अनुयायी थीं। वे अभी

किशोर अवस्था में ही थीं कि दिल्ली के मुगल सम्राट फर्रुखसियर की राजाज्ञा से मुग़ल सेनाओं ने मारवाड़ राज्य को जा घेरा। सन्धि पत्र पर हस्ताक्षर तो हुए किन्तु सन्धि पत्र की एक शर्त के अनुसार उनका डौला बादशाह को दिये जाने का वचन भी दिया गया था। फलस्वरूप 23 सितम्बर, 1715 के दिन वे दिल्ली लाकर अनिच्छापूर्वक मुसलमान बना ली गयीं। सम्राट् से उनका निकाह[19] पढ़वाया गया। वे परिस्थितिवश मुसलमान[20] तो हो गयीं थीं, किन्तु उनके उच्च संस्कार उनके हृदय में सदैव जाज्वल्यमान रहे। वे रोज उस दिन की प्रतीक्षा करती रहीं, जिस दिन वे हरम से निकलकर अपने हिन्दू धर्म आचरण पूर्वक अपना जीवन जी सकतीं और उसी रूप में मर पातीं। अन्ततः परिस्थितियाँ बदलीं भी।

यद्यपि उन्होंने सदैव बादशाह से अपने को दूर रखा, फिर भी वे कैदी का जीवन तो जी ही रही थीं। अपने आराध्य देवता कृष्ण की पूजा–अर्चना मन ही मन कर लेती थीं। चार वर्ष तक प्रत्येक दिन और प्रत्येक रात वे धर्माचरण पर रहीं। 1719 ई0 में सैयद बन्धुओं के नेतृत्व में हिन्दुस्तानी दल (जिसमें भारतीय हिन्दुओं से धर्मान्तरित करके बनाये गये मुसलमान, कई पीढ़ियों से भारत में रह रहे विदेशी मूल के मुसलमान और हिन्दू राजा सम्मिलित थे) ने सम्राट् का तख्ता पलट कर दिया और उसका वध करवा दिया। यह राय इन्दर कुँवर के लिए अनुकूल परिस्थिति थी। अस्तु, उनके उत्कट हिन्दू धर्माचरण के कारण उनके पिता ने न केवल उन्हें मुगल हरम से मुक्त करवा लिया वरन् उन्हें जोधपुर अपने घर वापस भी लिवा ले गये। वे शेष जीवन भर कृष्ण भक्ति में डूबी रहीं। एक समकालीन इतिहासकार ने तवारीखे मारवाड़ में उनका आदरपूर्वक उल्लेख किया है।

राय इन्दर कँवर आज भी प्रत्येक भारतीय किशोर–युवती के लिए स्तुत्य किशोरी के रूप में आदर की पात्रा हैं और सदैव रहेंगी। 'लव जेहाद' में फँसी लड़कियाँ और उनके माता–पिता, भाई–बहन आज भी उनके उदाहरण से प्रेरणा ले सकते हैं।

उनके बारे में सुप्रसिद्ध इतिहासकार विलियम इर्विन ने ये शब्द लिखे हैं –

"...The daughter of [Maharaja] Ajit Singh was married on the 29th Ramjan 1127 H. (27 September, 1715) in the fourth year of the reign. She seems to have had no issue. After Farrukhsiyar's deposition and death, she was brought out of the imperial harem on the 29th Shaban 1131 H. (16th July, 1719), and made over to her father with the whole of her property. She returned to Jodhpur and we hear no more of her."[21]

वीर हकीकत राय –

18वीं शताब्दी के ऐसे प्रेरणास्पद किशोरों में अगला नाम वीर हकीकत राय का आता है। ये वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रान्त के स्यालकोट शहर के रहने वाले थे। इनके पिता का नाम भागमल था, जो खत्री वंश से थे। इनके जन्म के विषय में विद्वानों में तिथि को लेकर मतभेद हैं। कुछ विद्वान इनका जन्म 1724 ई0 में मानते हैं, तो कुछ 1719 में। इनकी बलिदान तिथि पर भी मतैक्य नहीं हैं। फिर भी अधिक तर्कसंगत यह है कि इनका जन्म 1719 ई0 में हुआ था और जनवरी 1735 में इनका बलिदान हुआ। समस्त पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और उत्तर प्रदेश में ही नहीं, बल्कि सुदूर पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण भारत में भी इनकी स्मृति में अनेक लोकगीत प्रचलित हैं। इनमें से एक लोकगीत जो प्रायः होली के दिनों में तथा विभिन्न पारिवारिक उत्सवों पर गाया जाता रहा है, निम्न प्रकार है –

तेरी चल दी किधर को सवारी
मैं तो ब्याही रही ना कुँआरी [22]

इस लोकगीत में हकीकत राय की पार्थिव देह से लिपटकर उनकी पत्नी का विलाप दर्शाया गया है। उनका नाम सती लक्ष्मी देवी बताया जाता है। पंजाब के गुरदासपुर जिले के बटाला में आज

भी इनकी समाधि विद्यमान है।[23] हुआ यह था कि किशोरवय हकीकत राय एक मौलवी के पास विद्या अध्ययन के लिए जाते थे। उन दिनों के मकतबों में मस्जिदों के मौलवी फारसी पढ़ाया करते थे, जो राज–काज की भाषा भी थी। व्यापार–वाणिज्य में भी फारसी का बोलबाला था। हिन्दू घरों के बालक भी वहीं पढ़ने जाया करते थे।

ऐसे ही एक मक़तब में मौलवी साहब से हकीकत राय पढ़ने जाते थे। एक दिन मुस्लिम बालकों ने बालक हकीकत राय की आराध्या माँ दुर्गा का मजाक उड़ाया। हकीकत राय ने उन्हें समझाने की कोशिश करते हुए कहा –

''किसी के देवी–देवता का मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, न ही अपशब्दों का प्रयोग करना चाहिए। मान लो यदि मैं बीवी फातिमा के लिए वही शब्द बोलूं, जो तुम माँ दुर्गा के लिए बोल रहे थे, तो तुम्हें कैसा लगेगा?''[24]

बस, फिर क्या था? मुस्लिम मौलवियों तक बच्चों की बात जा पहुँची। हकीकत राय पर उल्टे इल्जाम लगा दिया गया कि उन्होंने इस्लाम की तौहीन की है। इसके दण्डस्वरूप उन्हें मृत्युदण्ड की सजा बोल दी गयी।

इस घटना ने पूरे हिन्दू समाज को एक बार फिर भयभीत करके रख दिया। यह ऐसा आरोप था, जिसे सैंकड़ों वर्षों से पूरे भारत में कभी भी कहीं भी, और किसी पर भी यूँ ही झूठ–मूठ लगा दिया जाता रहा था और दण्डस्वरूप सजाये मौत बोल दी जाया करती थी। परिणामतः मुसलमान बन जाना जीवन की रक्षा का एकमात्र विकल्प हुआ करता था। हकीकत राय भी ठीक उसी प्रचलित षड्यन्त्रकारिणी प्रक्रिया का अंग बनने वाले थे। लेकिन हकीकत राय ने इस्लाम अपनाकर जीवन बचाने के बजाय हिन्दू रहकर मौत को गले लगाना श्रेयस्कर समझा। और यही हुआ भी। वे सदैव के लिए मौत की नींद सो गये किन्तु सोते हुए पददलित व आक्रान्त हिन्दू समाज में चेतना के प्राण फूँकने वाले वीर किशोर सिद्ध हुए।

घटना के लगभग 40 वर्ष बाद ही 1782 ई0 में अग्गर सिंह नामक पंजाबी कवि ने वीर हकीकतराय की शहादत पर नाटिका "हकीकत राय दी वार" की रचना की। आज से लगभग सवा दो सौ वर्ष पहले के इस कवि ने किशोर हकीकत राय को हिन्दू शहीद की संज्ञा दी है । महाराजा रणजीत सिंह ने वीर हकीकत राय को सिख शहीद घोषित करके जनभावनाओं का सम्मान किया था।

: सन्दर्भ सूची :

1. विस्तृत अध्ययन के लिए देखें – स्वामी दयानन्द कृत संस्कार विधि।
2. 3 मार्च, 1707 ई0, तदनुसार 28 जुल कदा 1118 हिजरी के दिन ओरंगजेब अहमदनगर के पड़ाव में मर गया था।
3. 1707 ई0 से लेकर 1947 ई0 (1964, 1975 व 1990) तक का काल आधुनिक भारतीय इतिहास के अन्तर्गत पढ़ा व पढ़ाया जाता है। इसके 3 प्रमुख कालखण्ड हैं –

   (I) उत्तर मुगल काल 1707 ई0 से 1803 ई0 तक

   (II) ईस्ट इण्डिया कम्पनी का शासनकाल 1803 ई0 से 1857–58 तक

   (III) क्राउन अर्थात् राजमुकुट शासनकाल 1858 से 1947
4. ई0 ट्रम्प, आदिग्रन्थ (अंग्रेजी में), xcvi.
5. विलियम इर्विन, लेटर मुग़ल्स, I, p.93.
6. यह कस्बा मेरठ जिले में मेरठ–आगरा मार्ग पर स्थित 'खरखौदा' नहीं है, वरन् हरियाणा प्रान्त का खरखौदा कस्बा है। वरीद, फोलि, 117ए कासिम, फोलि 24.
7. वीर बन्दा बैरागी ने मात्र 500 घुड़सवार लेकर यह कठिन कार्य सरलता पूर्वक सम्पन्न कर लिया था।
8. वजीर खाँ का मूल नाम मुहम्मद जान बताया जाता है, जो पहले करतलब खाँ

और फिर वजीर खाँ पड़ा। यह सरहिन्द का मूल निवासी न था, बल्कि वर्तमान हरियाणा के कुंजपुरा का मूल निवासी था। पैंतालीस वर्ष बाद सन् 1760 ई0 में मराठा सेनापति सदाशिवराव भाऊ ने कुंजपुरा अभियान में विजय प्राप्त करके उससे एक वर्ष पूर्व 1759 ई0 में बुराड़ी घाट (दिल्ली) के युद्ध में वीरगति पाये वीर नायक दत्ताजी सिन्धिया के शव से गर्दन काट कर ले जाने वाले पठान सैनिक को यहीं पकड़कर मृत्यु दण्ड दिलवाया था।

9. मिर्जा मुहम्मद, 215, 217
कासिम 24,
. खाफी खाँ, ii, 654

10. वही।

11. खाफी खाँ, 763; कासिम 181

12. तदनुसार 21 जुलहिज्जा, 1127 हिजरी, यह सूची 15 रबी 1128 हिज़्री को जमा करायी गयी थी।

13. जे0टी0 वीलर, अर्ली रिकार्ड्स, 180 (10 मार्च 1716 का पत्र, ओ0एस0 20 मार्च एन0एस0) ओर्म कलैक्शन्स (इण्डिया ऑफिस), वॉल्यूम अपपए पृ0 1708.

14. विलियम इर्विन, वही, पृ0 318.
राजा रतनचंद मूलतः मेरठ–बिजनौर (राष्ट्रीय राजमार्ग) के समीप मीरापुर के निकटवर्ती भूभाग का निवासी था। इसी ने दो बार हिन्दुओं से वसूला जाने वाला जजिया खत्म कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभायी थी।

15. वही।

16. वही।

17. शिऊ दास, फोल 10b.क
खाफी खाँ, ii, 766;
खुशहाल चन्द, नादिर–उज–जमानी, 405b.

18. मुरारीदास कृत तवारीख–ए–मारवाड़, बी. एम.ओरि. 5838, वॉल्यूम 2, फोल 80b.

19. निकाह पढ़वाने वाले काजी को चाँदी के 200 रूपये दिये गये।

20. कामवर, 156, 158

21. विलियम इर्विन, लेटर मुगल्स, वाल्यूम I, (1707.1720), कलकत्ता, पृ0 401

22. लेखक ने बचपन में अपने घर में ऐसे अवसरों पर रात में महिलाओं द्वारा ढोलक पर यह गीत गाये जाते सुना है।

23. देखें। गुरदासपुर टूरिस्ट प्लेसेज.

24. हरबंश सिंह, दि एन्साइक्लोपीडिया ऑफ सिक्खिज्म, पब्लिकेशन ब्यूरो, 1998, p. 413.

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

MARRIAGE, PATRIARCHY AND THE DISCOVERY OF SELF: A STUDY OF MARGARET LAURENCE'S THE FIRE DWELLERS AND NAYANTARA SAHGAL'S STORM IN CHANDIGARH

Dr. Kaptan Singh
Assistant professor, Department of English
Army Cadet College, Wing Indian Military
Academy, Dehradun 248001

Twentieth century witnesses the increase of women participation and empowerment in almost all the spheres of life and literature is no exception. Many prominent women novelists have established their identity in the present era. Margaret Laurence in Canada and Nayantara Sahgal in India are the two prominent examples. Canadian women novelists have produced a corpus of literature on feminist consciousness and women empowerment. Despite the wide divide between India and Canada in terms of culture, socio-political and economic situation, yet at times literature produced by Canadian and Indian authors contains many similarities. Search for space and identity and struggle for survival in patriarchal society have been two major themes primarily focused in Indian and Canadian women writing. Margaret Laurence and Nayantara Sahgal have introduced the concept of "New Woman" through their writings.

In the patriarchal society man has become not only the authority on women's life but up to a great extent he controls her femininity; becomes the judge of her life and takes all decisions according his wish without concerning her fervor. He commands and woman has to obey but if she dares to deny, she is punished and locked in the attic to make her realize that 'the dark holds terror,' for she could not dare to repeat the same mistake. But time changes and woman refuses to be treated as a sex object, or rather as a doormat. She raises her own identity and protests against the cruel code and conduct of patriarchal power structure. She steps out of the confine rooms of the 'hunted house' and established 'a room of her own', where she confronts that 'dark holds no terror'. Now she is "educated, active, independent and mature and responds to the expanding roles of woman in society and firmly stands against her victimization, marginalization, discrimination and exploitation." (Abidi: 06)Her conscious has led her to a 'New Woman' where she is standing equal to man in all spheres of life.

Margaret Laurence in The Fire Dwellers and Nayantara Sahgal in Storm in Chandigarh portrayed the development of feminist consciousness which is clearly apparent from the character analysis of the women characters. Saroj the chief protagonist of Storm in Chandigarh is a "bright girl with a college

degree," (Sahgal: 166) was born and brought up in a liberal atmosphere of prosperous family but she could not find the same atmosphere at her husband's home. She was expecting equality in marriage but her natural intellect, honesty and sincerity was totally neglected by her husband Inder, just because of her short term affair before marriage, though he himself seeks happiness outside marriage and involved in extramarital relations with Mara, but at the same time he is neither able to forget nor forgives his wife. This becomes a great issue that parted them at last.

Sahgal depicts poignantly that how the first priority of a woman is to maintain the sanctity of marriage and to maintain their relation. Saroj "an exaggerated earth mother stereotype - a suburban house fraue," (Crane: 41) mutely suffers humiliation, degradation and mental trauma just to save the marriage and to the future of her children. Her husband treats her brutally even than she loves him honestly, she reveals, "Where would you go far off into your wilderness where I can't reach you. Don't go and be lonely out there and don't leave me lonely here." (Sahgal: 132) As a typical Indian woman, Saroj always prefers her 'home' where she lives with her husband and children, but on other hand as a modern educated woman she refuses to tolerate the insulting attitude of the power structure. Earlier she had tried her level best to tie their relationship into well knit but the rigidness and suspicious nature of her husband makes it difficult to tear away the blinds between themselves. Despite her every effort to break the silence between them she gets only negligence which widens her sense of loneliness. She feels alone even in the presence of Inder. She admits it to Vishal, "I am alone even when Inder is here."(Sahgal: 229)

On the other hand Inder being a conformist, though educated, is not ready to forget that his wife has lost her virginity before marriage. This becomes such a great issue that it hovers on his consciousness during day and night. Nayantara Sahgal projects Saroj as a 'New Woman' with a liberal attitude who does not count her pre-marital relations as a crime but considers it as a part of the process of her growing up. Although Inder humiliates on the ground of her deed but she remains firm on her views and says, "I don't want forgiveness. I've committed no crime."(Sahgal: 101) The reason of her bold and candid replies to her husband may be her pride and purity. As an educated modern woman she likes to live in the present and knows through and through that she is totally sincere in her conjugal relationship. She clears her mind to Inder, "Look at me! I am clean and whole and yours."(Sahgal: 101) As a 'New Woman' of the twentieth century she does not want to give any proof of her chastity and honesty neither she asks him for any.

Sahgal portrays Vishal as contrast to Inder. Undoubtedly Vishal is author's own voice as Sahgal seems to support the issue of feminism through his character. He is introduced as a true counselor of Saroj who always makes her conscious about her individual freedom. In Vishal's company she feels much relieved and relaxed from the tension, suffocation and tiresome routine and repetition of life. He makes her aware about the new avenues of life. Whenever she feels herself trapped in the puzzles of life, Vishal's words encourages her to take further step. She shares; Vishal was right there was only one way to live, without pretence. It would be the ultimate healing balm to the lonely spaces of the spirit, beyond which there would be no darkness. (Sahgal: 207)

Vishal is always with Saroj as a mouthpiece of Sahgal to generate a new awareness of feminist consciousness in her. His views on various issues seem interesting to Saroj

and her personality develops due to free exchange of views with him. On other hand, her husband treats her as an 'other', a subordinate. He considers wife and children as 'sacks of potatoes'. Though they are husband and wife living under one roof yet they "are two entirely different kinds of people."(Sahgal: 160) Saroj's compromises have no meaning to Inder. She tries to make Inder realize the depth of her love but she receives only humiliation and degradation. Saroj's character poignantly portrays the dilemma of Indian Woman who is "caught into the flux of tradition and modernity shaded with the burden of the past. (Bhatnagar: 01)Through the character of Saroj, Sahgal evinces that women no longer would bear physical and mental cruelty and torture. Saroj, a mother of two and seven months pregnant, leaves her husband's home when he beats her for no reason, at least for no fault of her own. She raised her consciousness against her husband's tyranny, and protests, "That's humiliating like being at the mercy of a tyrant."(Sahgal: 191) Her friend Vishal Dubey raises her self confidence and reveals new avenues of life before her and she takes a timely decision to walk out of marriage. Ultimately she declares, "It is gone, the thing we were trying to built. You've torn it down. I should have known you would. Please leave me alone."(Sahgal: 225)

The next female protagonist, Sahgal's typical modern girl, Mara, has been portrayed as a contrast to Saroj. If Saroj is a 'New Woman', Mara, up to some extant exposes the characteristics of 'Newly Born Woman'. She doesn't consider desire as a dirty word and doesn't feel ashamed of her body and desires. She even doesn't hesitate to have extra-marital relations with Inder. She wanted a life of her own will. She does whatever her conscience allows her. She "could lay hands on and the best of each-the softness of Jit and the hardness of Inder."(Sahgal: 61) But gradually she realizes Inder's androcentric attitude, meanwhile manages her self- steam and breaks all relations with him. She is intelligent and "was conscious of all that she did."(Sahgal: 139) Nobody can make her an object of his use. In discussion with Inder she unfolds the hypocrisy of male chauvinism and challenged the age old tradition. She said, "You gave a woman the perfection of which you are capable, the finest flower of you most evolved instincts, and it was a waste….She did not want to be cherished and affection made no impression on her."(Sahgal: 139)

Mara, 'an unusual and very intelligent girl', too reveals herself as a mouthpiece of Sahgal like Vishal. The thoughts of the protagonist seem as an echo of the writer's own feelings. Sahgal herself accepts it, "Pieces of me going in to the men and women I created, when I really began to write" (Rajendra,:180). As a feminist, Sahgal, through the character of Mara, vocalizes her voice against illogical and imposed 'higher morality', which women have to carry on the name of tradition and culture. In discussion with Inder, Mara logically challenged his views on tradition, "Old useless, impossible ideas going on and on. We carry them around like dead wood on our backs. It's all ours all right, but some of it is rotten. We'll die if go on like this. Sometimes I think we are already dead."(Sahgal: 144)

The voice of Mara is not only a vindication to the Inder's questions but a protest against the age old tradition and conventionalities, forcefull imposed upon women. Her arguments with Inder are really considerable. She is not only conscious about what she is doing but also about the horrible situations which are going on between Inder and Saroj. She makes Inder realize a bitter truth,

"She is your wife all right and she has borne your children, but she is not your woman and you are not her man: she flies from you apparently in search of comfort you cannot give her."(Sahgal: 109) She attracts readers towards the fact that marriage is not only a ceremony but it is a bondage that demands reciprocal involvement.

Sahgal has depicted her male protagonists Inder and Vishal as two different personages with different styles and contents. If Inder is a conformist, having traditional views about women, Vishal is in favor of women's liberation. If Inder's character reveals the challenges which women have to pass-through, Vishal proves the possibilities of changes in the phallocratic norms. Through the character of Inder, Sahgal has tried to depict the narrow mindedness of the modern educated man. His conventional views about the female virginity are really humiliating. In the reply of the degrading and humiliating attitude of Inder, Sahgal defends feminism through Vishal in a very logical manner, "The biological urge is supposed to be much stronger in men. So it is they who should be kept under restraint and not allowed to roam free to indulge their appetites."(Sahgal: 197) As a liberal feminist Sahgal portrays Vishal as a supporting agent of Saroj's issue. She believes, "there must be a man to guide women through the difficult task of being equal."(Crane: 44)

In the novel, Saroj, Vishal and Mara seem as advocating the issue of women's mental and physical libration that they should not be treated mere as an appendage but as an individual entity. About Sahgal's humanitarian attitude Shyam M. Asnani rightly remarks, "Permissive in outlook, she stands for the new humanism and new morality according to which woman is not to be taken as a mere toy, an object of lust and momentary pleasure, but man's equal and honored partner…." (Ansani: 37-38)

In **The Fire Dwellers**, Margaret Laurence delineates the same picture of patriarchal power structure where women have always been at the periphery and their social participation, at times, is really terrible, neglected and alienated. Laurence through the character of Stacey MacAindra, delineates woman's contribution to the development of society and her sacrifices for the welfare of her family. But unfortunately, all her contributions and sacrifices are largely ignored by her inarticulate husband and self-centered children who treat her as an agent, an instrument. She feels alienated and lonely against the cruel system of society.

The Fire Dwellers is not only a story of the ups and downs in the life of thirty-nine-year old house wife but significantly it foregrounds the patterns of isolation and identity crisis, and it also deals with its result in human existence. Laurence has used stream of consciousness, memories, recollections, thoughts, interior monologue and soliloquies to unfold the inner psyche of Stacey MacAindra. As a typical Laurencean heroine, she always pines for her past and remains unsatisfied in her present. She feels "lonely, bewildered, frustrated, desperately trying to find the person she once thought she was - in other words, a waif caught up in the universal search for identity" (Woodcock: 227).

Marriage is a ceremony to tie two polarities into an entity where they "want to be together, to talk, to touch, and individuals who are deeply in love actually do spend an unusual amount of time looking into each other's eyes. But in their marital affair, Stacey always pines 'to talk', 'to touch' and 'to be together,' but Mac's hard and cold nature widens a communication gap between spouses. Mac, a reticent, always

prefers to be salient. He does not want to divert his attention from his work. He is excessively busy and very focused in his work but forgets his basic duty as husband and father. He never cares about emotions of her sensitive wife. Even he never develops any healthy relation with children rather throws all household responsibilities on Stacey's shoulders. When children need his company, he shouts on them, "Shut up, for God's sake, can't you? Stacey, can't you keep these kids quiet for one minute?" (The Fire Dwellers: 55). But Stacey feels helpless in this difficult process. She needs Mac's help and co-operation but Mac neither understands nor has time to soothe the wounded psyche of his alienated wife. Mac, an 'angry young man' of post-world war, suffers from economic crisis. He belongs to struggling middle-class society and in the modern capitalist world he works like a machine to provide a better life to his children. His words when children refuse to take ice cream are remarkable to quote. He says, "You don't know how damn lucky you are. When I was kid, ice cream was a treat" (The Fire Dwellers: 55). In his struggle to obtain a respectable place in business, he never cares about basic desires and feelings of the person who always waits for him. In contrary to Mac, Stacey is an emotional and hyper sensitive lady. She always desires to accompany her husband but whenever she tries to exchange some words he is always reluctant which winds-up the growing chances of communication and leaves Stacey alone and alienated. She wants to tear away her walls of alienation and despondency. Being a sincere wife, she is aware of her husband's stress and frustration and makes her level best to support him in his business. She makes initiation in communication, "I'm sorry. But you won't talk. You won't ever say." But her efforts meet with a sharp rebuff. Mac rudely responds, "There is nothing to say" (The Fire Dwellers: 75). Mac doesn't feel necessary to discuss the matter with her wife. Such negligence by her husband alienates Stacey from his world. Being an introvert and hyper sensitive she weaves a world of self-deprecation around her and as an alienated person, she always recalls Mac's words which run deeper into her psyche and grow her quest of meaningless existence.

Victimization and survival as chief themes of her fiction, Laurence delves deep on the degrading attitude towards women in androcentric world of Canadian society. Mac never cares about the willing soul beside his bed but rather disregards all her desires. Constant negligence of her desires frustrates her, "What do you think it would do - pollute you, if you touched me?" **(The Fire Dwellers: 113).** Stacey starves for a touch, but Mac even in the parties behaves with Stacey as if she is an outcaste. He "never touches her in public in case somebody might see" (The Fire Dwellers: 213). He feels embarrassment in her company because at the age of thirty nine, she is not enough attractive and beautiful. Such debased mentality projects that woman exists only in the body. Stacey tries best to look a pretty wife of a businessman but her all efforts are worthless. Mac leaves her alienated among strangers in the party and without caring anything about the presence of his wife, he starts enjoying with Thor's secretary who is "sitting beside Mac, and he has one arm around her, not casually but tightly, like a wall against the world" **(The Fire Dwellers: 137).** Physical and mental boycott by her husband, Stacey is shocked at the moment.

In Stacey's life, there is entire absence of emotional bondage. She never enjoys her married life, but time and again she has to suppress her familial and emotional needs. She has no other option except to surrender against

the indomitable nature of her husband. Such introversion intensifies deep roots of frustration and alienation, which throw her into isolation.

Her longtime alienation and negligence by her own husband and children make her feel lost and estrange. She finds herself caught in the dreary atmosphere of loneliness and a lone individual in the entire world, and eventually she decides to come out from the prison of her 'silent house'. She decides, "I don't want to go home. I want to go away. A long way off. I'm bloody sick of trying to cope. I can't want be a good wife and mother" **(The Fire Dwellers: 161).** Ultimately, she decides to come out of her alienation and feels a fresh air of outside world. At the time of Stacey's extreme disappointment, Laurence optimistically introduces a stranger, Luke Venturie, as a torch bearer in Stacey's life. In communication with Luke Venturie, she feels immense pleasure. Luke's unconditional love and emotional sharing unburdens her alienated soul, and she feels, "I'd like to start again, everything, all of life, start again with someone of you - with you - with everything simpler and clearer. No lies. No recriminations. No unmarry-go-round of pointless words. Just everything plain and good, like today, and making love and not worrying about unimportant things and not trying to change each other" **(The Fire Dwellers: 189).** The moments she passed with Luke, she fulfills all her needs for which she was longing throughout her life. Not only her married life but even in her girlhood she is grew-up under the strict discipline of her parents. Girls imitate their mothers and even the 'great tradition' is transferred to them through their mothers. The mothers behave as an agent to caution them to behave according to the code and conduct of the patriarchal norms. They are trained to suppress their feelings and desires. Stacey's mother always used to warn her, "Stacey, you have a terrible temper - you must learn to bank your fire" (The Fire Dwellers: 194). Through Stacey's girlhood, Laurence portrays the rebellious, confused and challenging psyche of teenagers. But as a girl, she has to face cruel code of conduct of society, where society seizes her liberty and spoils her youth and makes her feel alienated and isolated. Deprivation from fun and pleasures of youth makes her shy, meek and submissive.

At last, in struggle between Stacey MacAindra and Stacey Camaron, ultimately she sheds the character of Stacey Camaron and prefers to bear the responsibility of her family as Stacey MacAindra. Her self-realization and acceptability of reality portray a picture of a changed world around her. She confesses, " - I was wrong to think of the trap as the four walls. It's the world" **(The Fire Dwellers: 276).** Stacey's re-established outlook towards changing patterns, ultimately unite the members into well knit and revival of communication and 'shared culture' provides an environment of union and intimacy and this time Stacey does not feel alienated but both, she and Mac feel part of each other. "She moves towards him and he holds her. Then they make love after all, but gently, as though consoling one another for everything that neither of them can help nor alter" **(The Fire Dwellers: 279).** At last, two alienated souls have been entangled into a single entity. Through the positive end of the novel, Laurence glorifies the compromise and adjustment in human relationship. As a proponent of human emotions, she propagates communication as a bridge to join two alienated soul and she portrays Stacey's character as a manifesto of tolerance. Laurence doesn't believe in one's exile from society as a solution of problems, but rather she shows her affirmation in reestablishment through compromise and communication. As a social thinker, Laurence, through Stacey's short time

escape with Luke, clears the vision that one cannot be happy living outside family. In the fast-growing life of science and technology people are not aware of sanctity of relationship. Laurence through The Fire Dwellers divulges that the sanctity of relations is very tender and for its safeguard, one must have patience.

Thus Margaret Laurence and Nayantara Sahgal express their views that any relationship cannot be maintained by one person alone and that women need not to make continuous sacrifices in order to please men or rather husbands. They admonish that this is the high time for women to realize their rightful place in marriage and that both the partners stand on equal level in marriage. They also believe that if honesty and sincerity is significant in marriage, this is utmost important for a person to be true to oneself. Failing this, the person might lose his identity. Though, their heroines acquire consciousness gradually, the process of their development is slow yet their goal is clear and their consciousness makes them stand apart from others. Moreover, through their fiction they proof themselves as a believer in feminism who advocates equality of both sexes and significance of communication between spouses, but at the same time she seems advocating the need to maintain sanctity of marital relations.

WORKS CITED

1. Abidi, S.Z.H. "Feminism in Postmodern Indian English Literature". S.Z.H. Abidi ed. SPIEL. Vol.4 No.: 1 and 2 (January/July, 2009)
2. Ansani, Shyam M. "The Novels of Nayantara Sahgal," Indian Literature, Vol. 16, No.: 1 - 2 (New Delhi: Sahitya Academy, 1973)
3. Crane, Ralph J. Nayantara Sahgal's India: Passion, Politics and History (New Delhi: Sterling Publishers, 1998)
4. Laurence, Margaret. The Fire Dwellers. (Toronto: McClelland & Stewart, 1973).
5. Manmohan K. Bhatnagar, Feminist English Literature (New Delhi:Atlantic Publishers, 1999)
6. Rajendra, Susheela P. "Individual Freedom as the Central Motif in Storm in Chandigarh",ed.R.K.Dhawan.Indian WomenNovelists, (New Delhi: Prestige : 1993)
7. Sahgal, Nayantara. Storm in Chandigarh (Chantto and Windus London: 1969)
8. Woodcock, George. Ed. A Place to Stand On: Essays By and About Margaret Laurence (Edmonton: NeWest Press, 1963).

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

महर्षि दयानन्द की विचारधारा- विविध आयाम

डॉ० अशोक कुमार रुस्तगी
एसोशिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष- राजनीति विज्ञान विभाग
जे.एस. हिन्दू (पी.जी.) कालेज, अमरोहा

डॉ० बीना रुस्तगी
एसोशिएट प्रोफेसर व अध्यक्ष- हिन्दी विभाग
जे.एस. हिन्दू (पी.जी.) कालेज, अमरोहा

दयानंद सरस्वती का जन्म १२ फरवरी टंकारा में सन् १८२४ में मोरबी (मुम्बई की मोरवी रियासत) के पास काठियावाड़ क्षेत्र (जिला राजकोट), गुजरात में हुआ था। उनके पिता का नाम करशनजी लालजी तिवारी और माँ का नाम यशोदाबाई था। उनके पिता एक कर-कलेक्टर होने के साथ ब्राह्मण परिवार के एक अमीर, समृद्ध और प्रभावशाली व्यक्ति थे। दयानंद सरस्वती का प्रारम्भिक नाम मूलशंकर था। वे बाल्यकाल में ही संस्कृत, वेद, शास्त्रों व अन्य धार्मिक पुस्तकों के अध्ययन में लग गए। उनके जीवन में ऐसी बहुत सी घटनाएं हुई, जिन्होंने उन्हें हिन्दू धर्म की पारम्परिक मान्यताओं और ईश्वर के बारे में गंभीर प्रश्न पूछने के लिए विवश कर दिया।[१]

महर्षि दयानन्द के हृदय में आदर्शवाद की उच्च भावना, यथार्थवादी मार्ग अपनाने की सहज प्रवृत्ति, मातृभूमि की नियति को नई दिशा देने का अदम्य उत्साह, धार्मिक-सामाजिक-आर्थिक व राजनैतिक दृष्टि से युगानुकूल चिन्तन करने की तीव्र इच्छा तथा आर्यावर्तीय (भारतीय) जनता में गौरवमय अतीत के प्रति निष्ठा जगाने की भावना थी। उन्होंने किसी के विरोध तथा निन्दा करने की परवाह किये बिना समाज, राष्ट्र व विश्व का कल्याण करना अपना ध्येय बना लिया था।

शिवरात्रि के दिन उनके जीवन में नया मोड़ आया। उन्हें नया बोध हुआ। वे घर से निकल पड़े और यात्रा करते हुए वह गुरु विरजानन्द के पास पहुंचे। गुरुवर ने उन्हें पाणिनी व्याकरण, पातंजल-योगसूत्र तथा वेद-वेदांग का अध्ययन कराया। गुरु दक्षिणा में उन्होंने मांगा- विद्या को सफल कर दिखाओ, परोपकार करो, सत्य शास्त्रों का उद्धार करो, मत मतांतरों की अविद्या को मिटाओ, वेद के प्रकाश से इस अज्ञान रूपी अंधकार को दूर करो, वैदिक धर्म का आलोक सर्वत्र विकीर्ण करो। यही तुम्हारी गुरुदक्षिणा है। उन्होंने आशीर्वाद दिया कि ईश्वर उनके पुरुषार्थ को सफल करे। उन्होंने अंतिम शिक्षा दी -मनुष्यकृत ग्रंथों में ईश्वर और ऋषियों की निंदा है, ऋषिकृत ग्रंथों में नहीं। वेद प्रमाण हैं। इस कसौटी को हाथ से न छोड़ना।[२]

महर्षि दयानन्द ने अनेक स्थानों की यात्रा की। उन्होंने हरिद्वार में कुंभ के अवसर पर पाखण्ड खण्डिनी पताका फहराई। उन्होंने अनेक शास्त्रार्थ किए। वे कलकत्ता में बाबू केशवचन्द्र सेन तथा देवेन्द्र नाथ ठाकुर के संपर्क में आए। यहीं से उन्होंने पूरे वस्त्र पहनना तथा आर्यभाषा (हिन्दी) में बोलना व लिखना प्रारंभ किया। यहीं उन्होंने तत्कालीन वाइसराय को कहा था, मैं चाहता हूं विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है। परंतु भिन्न-भिन्न भाषा, पृथक-पृथक शिक्षा, अलग-अलग व्यवहार का छूटना अति दुष्कर है। बिना इसके छूटे परस्पर का व्यवहार पूरा उपकार और

अभिप्राय सिद्ध होना कठिन है।[३]

1. वे वेद को सत्य विद्याओं का ग्रंथ मानते थे। उनकी दृष्टि में वेद के सभी शब्द यौगिक हैं और इसीलिए मानवी इतिहास शून्य और उनकी सभी शिक्षाएँ नित्योपयोगी हैं। इसी दृष्टिकोण से उनकी प्रचारित वेदार्थ-शैली ने उन्हें सायण आदि वेद भाष्यकारों की कोटि से पृथक कर यास्काचार्य आदि नैरूक्तों की श्रेणी में पहुँचा दिया था।[४]

2. उन्होने शंकर, रामानुज आदि प्राय: सभी मध्यकालीन आचार्यों के संकोच की अवहेलना करते हुए वेद का द्वार मनुष्यमात्र के लिए खोल दिया और 'यथेमां वाचं कल्याणीमावदानि जनेभ्य: (यजुर्वेद 2/62)' की घोषणा करते हुए स्त्रियों, शूद्रों और अतिशूद्रों को भी वेदाध्ययन का अधिकारी ठहराया।[५]

3. उन्होंने वेदमात्र को स्वत: प्रमाण और वेदेतर सभी ग्रंथों को परत: प्रमाण बतलाते हुए मूर्तिपूजा, मृतक-श्राद्धादि पौराणिक प्रथाओं को अवैदिक प्रकट करते हुए हेय ठहराया और घोषणा की कि वेद केवल निराकार ईश्वर की पूजा का विधान करते हैं।[६]

4. स्वामी दयानंद के प्रादुर्भाव के समय देशवासी वेद के नाममात्र से परिचित थे, उन्हें यह मालूम था कि वेद की शिक्षा क्या है? इसी कारण यह संभव हो सका कि एक पोर्तुगीज पादरी ने एक संस्कृत पुस्तक वेद के नाम से गढ़कर उसमें ईसाई मत की शिक्षा अंकित की और उसके द्वारा मद्रास प्रान्त में अनेक लोगों को ईसाई बनाया परन्तु स्वामी जी ने इतने बल से वेद प्रतिपादित धर्म का प्रचार किया और उनकी शिक्षा प्रकट करने के लिए ऋग्वेदादि-भाष्य-भूमिका, सत्यार्थप्रकाश आदि ग्रंथों की रचना की जिससे भविष्य में धोखे से हिन्दुओं को विधर्मी बनाना सुगम नहीं रहा।[७]

5. जो लोग उपर्युक्त भाँति या अन्य प्रकार से धर्मभ्रष्ट किए गए थे उनके लिए शुद्धि का द्वार खोलकर उन्हें फिर हिन्दू बनने की शिक्षा दी और एक जन्म में मुसलमान को देहरादून में शुद्ध करके शुद्धि का क्रियात्मक रूप ही जनता के सामने रखा।

6. देश में हिन्दू धर्म के विरूद्ध साहित्य में वैदिक सभ्यता का मान घट रहा था और उसका स्थान अनेक उत्पातों की मूल पश्चिमी सभ्यता ले रही थी, प्राचीन संस्कृत साहित्य निकम्मा और वेद गड़रियों के गीत कहे जाने लगे थे और देशवासी विशेष कर अंग्रेजी शिक्षित पुरूष, आँखें बन्द करके अँग्रेजी साहित्य और पश्चिमी रस्म-रिवाज पर मोहित होकर पश्चिमी लोगों के पीछे चलने में गौरव मानने लगे थे, इस परिस्थिति और देश में उपस्थित ऐसे वातावरण को बदलकर प्राचीन सभ्यता का मान उत्पन्न करके 'वेद की ओर चलो' की ध्वनि को प्रतिध्वनित कर देना स्वामी दयानन्द के महान् व्यक्तित्व, उनके अखण्ड ब्रह्मचर्य, उनके त्याग और तपस्या और उनके अपूर्व पांडित्य एवं निर्भीकतापूर्ण सत्य उपदेशों का ही फल था।[८]

स्वामी दयानन्द सरस्वती को सामान्यत: केवल आर्य समाज के संस्थापक तथा समाज-सुधारक के रूप में ही जाना जाता है। राष्ट्रीय स्वतन्त्रता के लिए किये गए प्रयत्नों में उनकी उल्लेखनीय भूमिका की जानकारी बहुत कम लोगों को है। वस्तुस्थिति यह है कि पराधीन आर्यावर्त (भारत) में यह कहने का साहस सम्भवत: सर्वप्रथम स्वामी दयानन्द सरस्वती ने ही किया था कि ष्आर्यावर्त (भारत), आर्यावर्तियों (भारतीयों) का है।[९] हमारे प्रथम स्वतन्त्रता समर, सन् १८५७ की क्रान्ति की सम्पूर्ण योजना भी स्वामी जी के नेतृत्व में ही तैयार की गई थी और वही उसके प्रमुख सूत्रधार भी थे। वे अपने प्रवचनों में श्रोताओं को प्राय: राष्ट्रवाद का उपदेश देते और देश के लिए मर मिटने की भावना भरते थे। १८५५ में हरिद्वार में जब कुम्भ मेला लगा था तो उसमें शामिल होने के लिए स्वामी जी ने आबू पर्वत से हरिद्वार तक पैदल यात्रा की थी। रास्ते में उन्होंने स्थान-स्थान पर प्रवचन किए तथा देशवासियों की नब्ज टटोली। उन्होंने यह अनुभव किया कि लोग अब अङ्ग्रेजों के अत्याचारी शासन से तंग आ चुके हैं और देश की स्वतन्त्रता के लिए सङ्घर्ष करने को आतुर हो उठे हैं।

स्वामी दयानन्द सरस्वती ने हरिद्वार पहुँच कर वहां एक पहाड़ी के एकान्त स्थान पर अपना डेरा जमाया। वहीं पर उन्होंने पाँच ऐसे व्यक्तियों से मुलाकात

की, जो आगे चलकर सन् १८५७ की क्रान्ति के कर्णधार बने। ये पाँच व्यक्ति थे नाना साहेब, अजीमुल्ला खां, बाला साहब, तात्या टोपे तथा बाबू कुंवर सिंह। बातचीत काफी लम्बी चली और यहीं पर यह तय किया गया कि फिरंगी सरकार के विरुद्ध सम्पूर्ण देश में सशस्त्र क्रान्ति के लिए आधारभूमि तैयार की जाए और उसके बाद एक निश्चित दिन सम्पूर्ण देश में एक साथ क्रान्ति का बिगुल बजा दिया जाए। जनसाधारण तथा आर्यावर्तीय (भारतीय) सैनिकों में इस क्रान्ति की आवाज को पहुँचाने के लिए (रोटी तथा कमल) की भी योजना यहीं तैयार की गई। इस सम्पूर्ण विचार विमर्श में प्रमुख भूमिका स्वामी दयानन्द सरस्वती की ही थी। सन् १८५७ की क्रान्ति की सम्पूर्ण अवधि में राष्ट्रीय नेता, स्वामी दयानन्द सरस्वती के निरन्तर सम्पर्क में रहे।[१०]

स्वतन्त्रता-सघर्ष की असफलता पर भी स्वामी जी निराश नहीं थे। उन्हें तो इस बात का पहले से ही आभास था कि केवल एक बार प्रयत्न करने से ही स्वतन्त्रता प्राप्त नहीं हो सकती। इसके लिए तो संघर्ष की लम्बी प्रक्रिया चलानी होगी। हरिद्वार में ही १८५५ की बैठक में बाबू कुंवर सिंह ने जब अपने इस संघर्ष में सफलता की संभावना के बारे में स्वामी जी से पूछा तो उनका बेबाक उत्तर था स्वतन्त्रता संघर्ष कभी असफल नहीं होता। भारत धीरे-धीरे एक सौ वर्ष में परतन्त्र बना है। अब इसको स्वतन्त्र होने में भी एक सौ वर्ष लग जाएंगे। इस स्वतन्त्रता प्राप्ति में बहुत से अनमोल प्राणों की आहुतियां डाली जाएंगी। स्वामी जी की यह भविष्यवाणी कितनी सही निकली, इसे बाद की घटनाओं ने प्रमाणित कर दिया। स्वतन्त्रता-संघर्ष की असफलता के बाद जब तात्या टोपे, नाना साहब तथा अन्य राष्ट्रीय नेता स्वामी जी से मिले तो उन्हें भी उन्होंने निराश न होने तथा उचित समय की प्रतीक्षा करने की ही सलाह दी। १८५७ की क्रान्ति के दो वर्ष बाद स्वामी जी ने स्वामी विरजानन्द को अपना गुरु बनाया और उनसे दीक्षा ली। स्वामी विरजानन्द के आश्रम में रहकर उन्होंने वेदों का अध्ययन किया, उन पर चिन्तन किया और उसके बाद अपने गुरु के निर्देशानुसार वे वैदिक ज्ञान के प्रचार-प्रसार में जुट गए। इसी उद्देश्य की प्राप्ति के लिए उन्होंने आर्य समाज की भी स्थापना की और उसके माध्यम से समाज-सुधार के अनेक कार्य किए। छुआछूत, सती प्रथा, बाल विवाह, नर बलि, धार्मिक संकीर्णता तथा अन्धविश्वासों के विरुद्ध उन्होंने जमकर प्रचार किया और विधवा विवाह, धार्मिक उदारता तथा आपसी भाईचारे का उन्होंने समर्थन किया। इन सबके साथ स्वामी जी लोगों में देशभक्ति की भावना भरने से भी कभी नहीं चूकते थे।[११]

उन्होंने निर्भीकता और दृढ़ता से गवर्नर जनरल को उत्तर दिया-मैं ऐसी किसी भी बात को स्वीकार नहीं कर सकता। मेरी यह स्पष्ट मान्यता है कि राजनीतिक स्तर पर मेरे देशवासियों की निर्बाध प्रगति के लिए तथा संसार की सभ्य जातियों के समुदाय में आर्यावर्त (भारत) को सम्माननीय स्थान प्रदान करने के लिए यह अनिवार्य है कि मेरे देशवासियों को पूर्ण स्वाधीनता प्राप्त हो। सर्वशक्तिशाली परमात्मा के समक्ष प्रतिदिन मैं यही प्रार्थना करता हूं कि मेरे देशवासी विदेशी सत्ता के जुए से शीघ्रातिशीघ्र मुक्त हों।[१२] गवर्नर जनरल को स्वामी जी से इस प्रकार के तीखे उत्तर की आशा नहीं थी। मुलाकात तत्काल समाप्त कर दी गई और स्वामी जी वहां से लौट आए। इसके उपरान्त सरकार के गुप्तचर विभाग की स्वामी जी पर तथा उनकी संस्था आर्य-समाज पर गहरी दृष्टि रही। उनकी प्रत्येक गतिविधि और उनके द्वारा बोले गए प्रत्येक शब्द का रिकार्ड रखा जाने लगा। आम जनता पर उनके प्रभाव से सरकार को अहसास होने लगा कि यह बागी फकीर और आर्यसमाज किसी भी दिन सरकार के लिए खतरा बन सकते हैं। इसलिए स्वामी जी को समाप्त करने के लिए भी तरह-तरह के षडयन्त्र रचे जाने लगे।

स्वामी विरजानन्द जी द्वारा तीन वर्षों में आर्ष, अनार्ष साहित्य का ज्ञान प्राप्त करके रण क्षेत्र में उतर पड़े। ऋषि दयानन्द समझते थे कि हिन्दू समाज का सम्पूर्ण ढ़ांचा बिगड़ा हुआ है। वेदों और उपनिषदों के अर्थ का अनर्थ करके और पुराणों के कल्पित कथाओं व साहित्य से चारों ओर अन्धविश्वास फैल गया है।

इसीलिए उन्होंने सबसे पहला प्रहार वेदों के अर्थों पर किया और सायणाचार्य, महीधार, मेक्समूलर आदि ने जो वेदों के अर्थ किये थे उन्हें नकार दिया क्योंकि वे इतिहासपरक अर्थ थे महर्षि जी ने ईश्वर परक अर्थ करके वेदों का सत्य स्वरूप सामने रखकर एक नई हलचल मचा दी। धर्म के ठेकेदारों की चूलें हिला दी। सम्पूर्ण भारतवासी पाँच हजार साल से चली आ रही धाार्मिक विचारधाराओं से बंधे हुए थे भारतीयों को सत्य विचारधारा ने अत्यन्त प्रभावित किया। सब आश्चर्य चकित थे कि एक देवदूत अकेला सम्पूर्ण, धार्मिक, सामाजिक, राजनैतिक कुरूतियों पर कैसे निर्भीकता से प्रहार कर रहा है। एक नया आन्दोलन खड़ा हो गया। महर्षि दयानन्द जी ने वेदों के रूढ़ी अर्थों को बदल दिया, तथा धार्मिक क्षेत्र में रूढ़ीवाद पर प्रहार, राजनैतिक क्षेत्र में रूढ़ीवाद पर प्रहार सामाजिक क्षेत्र में रूढ़ी वाद पर प्रहार, जाति व्यवस्था, अन्ध पूजा पद्धति पर प्रहार किया, भारतवर्ष अंग्रेजों का गुलाम था, उससे मुक्ति हेतु स्वराज्य शब्द का दीप जलाया, स्वतन्त्रा का पाठ पढ़ाया।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने अमर ग्रन्थ सत्यार्थ प्रकाश, ऋग्वेवादि भाष्य भूमिका, वेदों का आर्ष भाष्य व जीवन निर्माण के सोलह संस्कारों के लिये संस्कार विधि तथा पंच यज्ञ महाविधि, गौकरूणानिधि व्यवहारभानु व अन्य साहित्य रचकर और इनका निरन्तर प्रचार-प्रसार करने हेतु आर्य समाज का संगठन बनाया।

समाज सुधारक, धर्मोद्धारक, स्वराज्य व नवचेतना के प्रतीक महर्षि दयानन्द के विचारों एवं सिद्धांतों ने न केवल भारतवासियों को ही, अपितु विदेशी विचारकों एवं विद्वानों को भी पूर्ण प्रभावित किया। नोबेल पुरस्कार विजेता रोमां रोल्या 'द लाइफ ऑफ रामकृष्ण' में लिखते हैं- ''महर्षि दयानन्द भारतीय जनता के उद्धारक एवं राष्ट्रीय चेतना आन्दोलन के शक्ति-पुंज थे।''

वस्तुतः महर्षि ने अपना पूरा जीवन समाज व राष्ट्र के उत्थान हेतु समर्पित किया, अपने रसोईया जिसने जहर दिया था उसको भी माफ कर दिया। महर्षि दयानन्द सरस्वती ने वेदों का भाष्य किया और सत्यार्थ प्रकाश के रूप में एक ऐसे अमर ग्रन्थ की रचना की जिसे पढ़कर मनुष्य जीवन के यथार्थ को आसानी से जानकर अपना जीवन व समाज का उद्धार कर सकता है।

सामाजिक सुधार के संबंध में भी ऋषि दयानन्द का हृदय बड़ा विशाल था। उन्होंने कुरीतियों को समाज से निकाल देने का प्रशंसनीय यत्न किया। उदाहरण के लिए कतिपय सुधारों का यहाँ उल्लेख किया जाता है-

(क) बालविवाह का प्रचार और ब्रह्मचर्य का लोप हो जाने से शारीरिक बल का ह्रास हो रहा था, इसीलिए दूसरों की अपेक्षा हिन्दू जाति निर्बल समझी जाने लगी थी, इसी कारण उसे समय-समय पर अपमानित भी होना पड़ा था। स्वामी दयानन्द ने इसके विरूद्ध प्रबल आवाज उठाई और ब्रह्मचर्य की महिमा अपने उपदेशों और अपने क्रियात्मक जीवन से प्रकट कर ब्रह्मचर्य का सिक्का लोगों के हृदय में जमा दिया। उसी का फल है कि देश में जगह-जगह ब्रह्मचर्याश्रम खुले, सरकारी विश्व-विद्यालयों में भी अनेक जगह नियम बना दिए कि स्कूलों में विवाहित विद्यार्थियों को प्रवेश न हो और शारदा एक्ट भी बना।[१३]

(ख) इसी बाल-विवाह में वृद्ध-विवाह ने भी योग दे रखा था और दोनों का दुष्परिणाम यह था कि जाति में करोड़ों विधवाएँ हो गई थीं, जिनमें लाखों बाल विधवाएँ भी थीं और उनमें हजारों ऐसी भी विधवाएं थी जिनकी आयु एक-एक, दो-दो वर्ष थी। भ्रूण-हत्या, गर्भपात, नवजात-बालवध आदि अनेक पातक हिन्दू जाति के लिए कलंक का टीका बना रहे थे। इन दुःखित विधवाओं का दुःख ऋषि दयानन्द का दयालु हृदय किस प्रकार सह सकता था, इसीलिए विधवा विवाह को प्रचलित करके इनके दुःखों को दूर करने की भी चेष्टा की।[१४]

(ग) मातृशक्ति होते हुए भी स्त्रियों का जाति में अपमान था, वे शिक्षा से वंचित करके परदे में रखी जाती थीं, उनके लिए वेद का द्वार बन्द था। उनको यदि श्रीमत् शंकराचार्य ने नरक का द्वार बतला रखा था, तो दूसरी ओर गोस्वामी तुलसीदास जी 'ढोल, गवॉर-शूद्र,

पशु-नारी, ये सब ताड़न के अधिकारी' का ढोल पीट रहे थे, परन्तु ऋषि दयानन्द ने उनके लिए भी वेद का द्वार खोला, इन्हें शिक्षा की अधिकारिणी ठहराया, पर्दे से निकाला, उन्हें मातृशक्ति के रूप में देखा और उनका इतना अधिक मान किया कि हम ऋषि दयानन्द को एक छोटी बालिका के आगे उदयपुर में नतमस्तक देखते हैं।[१५] उसी का फल है कि आज कन्याओं की ऊँची से ऊँची शिक्षा का प्रबंध हो रहा है।

(घ) जन्म का जाति प्रचलन हो जाने से चार वर्णों की जगह हिन्दू जाति हजारों कल्पित जातियों और उपजातियों में विभक्त हो रही थी। प्रत्येक का खान-पान, शादी-ब्याह पृथक-पृथक था। इन मामलों में जाति उपजाति का पारस्परिक संबंध न होने से हिन्दू जाति एक नहीं थी और न उसका कोई सम्मिलित उद्देश्य बाकी रहा था, न उस उद्देश्य की पूर्ति के सम्मिलित साधन उसके अधिकार में थे। ऋषि दयानन्द ने इस जन्म की जाति को समूल नष्ट करने की शिक्षा दी थी, क्योंकि ये सर्वथा वेद विरूद्ध थी। उसी के फलस्वरूप अब हिन्दुओं में अन्तर्जातीय सहभोज और अन्तर्जातीय विवाह होने लगे और इनके प्रचारार्थ अनेक संस्थाएँ बन गयीं।

(च) दलित जातियों के साथ उच्च जातियों का व्यवहार अत्यंत आक्षेप के योग्य और उनके लिए असहय भी था, उसी के दुष्परिणाम स्वरूप बहुसंख्या में दलित भाई ईसाई और मुसलमान बन रहे थे। ऋषि दयानन्द ने इसके भी विरूद्ध आवाज उठाई और उन्हें खान-पान आदि सहित उन सभी अधिकारों को देने का निर्देश दिया जो उच्च जातियों को प्राप्त हैं। देश भर में ऋषि के इस निर्देश की पूर्ति के लिए जद्दोजहद हो रहा है और हिन्दुओं के मध्य से छूत-अछूत का भेद तथा छुआछूत का विचार ढीला पढ़ रहा है।

(छ) दान की व्यवस्था की ओर स्वामी दयानन्द ने ध्यान दिया, मनुष्य को निकम्मा बनाने के लिए दान देने की कुप्रथा प्रचलित थी, उसका बलपूर्वक खंडन किया और उसके स्थान पर देश काल तथा पात्र को देखकर सात्विक दान देने की प्रथा प्रचलित की।

राजनैतिक सुधार की ओर भी ऋषि दयानन्द ने देशवासियों का ध्यान खींचा और उस समय जब देश में किसी राजनैतिक संस्था का अस्तित्व तक नहीं था ऋषि दयानन्द का इस संबंध में दृष्टिकोण क्या था, वह बतलाने के लिए उनके जगत्-प्रसिद्ध ग्रंथ 'सत्यार्थ प्रकाश' से कुछ वाक्य यहाँ उद्धृत किए जाते हैं-[१६]

(क) ''अब अभाग्योदय से और आर्यों के आलस्य, प्रमाद, परस्पर, के विरोध से अन्य देशों के राज्य करने की तो कथा ही क्या कहनी, किन्तु आर्यवर्त में भी आर्यों का अखंड, स्वतंत्र स्वाधीन, निर्भय राज्य इस समय नहीं है जो कुछ है सो भी विदेशियों के पादाक्रांत हो रहा है।'' (सत्यार्थ प्रकाश, अष्टम समुल्लास)

(ख) हिन्दुओं में प्रचलित छूतछात का खंडन करते हुए ऋषि दयानन्द ने लिखा है कि ''इसी मूढ़ता से इन लोगों ने चौका लगाते-लगाते, विरोध करते-करते सब स्वातंत्र्य, आनन्द धन, राज्य, विद्या और पुरूषार्थ पर चौका लगाकर हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं।'' (सत्यार्थ प्रकाश, दशम समुल्लास)

(ग) '' उसी दुष्ट दुर्योधन गोत्र हत्यारे, स्वदेश विनाशक, नीच के दुष्ट मार्ग में आर्य लोग अब तक भी चलकर दु:ख बढ़ा रहे हैं। परमेश्वर कृपा करें कि यह राज रोग हम आर्यो में से नष्ट हो जाए।'' (सत्यार्थ प्रकाश, दशम समुल्लास)

(घ) ''सृष्टि से लेकर महाभारत पर्यन्त चक्रवर्ती सार्वभौम राजा आर्य कुल ही में पैदा हुए थे। अब इनके सन्तानों का अभाग्योदय होने से राज्य भ्रष्ट होकर विदेशियों से पादाक्रांत हो रहा है'' (सत्यार्थ प्रकाश, एकादश समुल्लास)

(च) ''कोई कितना ही करें परन्तु जो स्वदेशीय राज्य होता है। वह सर्वोपरि तथा उत्तम सर्वा होता है। मतमतान्तर के आग्रह रहित पक्षपात शून्य होकर प्रजा पर पिता-माता के समान कृपा, न्याय और दया के साथ विदेशियों का राज्य भी पूर्ण सुखदायक नहीं है।'' (सत्यार्थ प्रकाश, अष्टम् समुल्लास)

देश के नवयुवक मातृभाषा को अँग्रेजी की वेदी पर बलिदान कर चुके थे और हिन्दी गन्दी कहलाने लगी थी, हिन्दी पुस्तक या हिन्दी अखबार पढ़ना फैशन के विरूद्ध समझा जाने लगा था, परन्तु स्वामी दयानन्द ने

अपने जगत् प्रसिद्ध ग्रंथों को हिन्दी में लिख, जबकि उनकी मातृभाषा गुजराती थी, इस बेढंगी चाल को भी बदल दिया। अब सभी जानते हैं कि हिन्दी राष्ट्रभाषा समझी और मानी जाने लगी है और उसका प्रचार तथा साहित्य दिनदूनी और रात चौगुनी उन्नति कर रहा है। विश्वविद्यालयों में भी उसका मान नित्यप्रति बढ़ रहा है।

स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग की भी ऋषि दयानन्द ने अपने ग्रंथों में जगह-जगह शिक्षा दी है। उसी का फल यह है कि वर्तमान आंदोलन के बहुत पहले से आर्यसमाज के अनेक सदस्य नियम से देशी वस्त्रादि का प्रयोग करते हैं।

ऋषि दयानन्द का दृष्टिकोण वेद की शिक्षानुकूल जातीयता-पूर्ण नहीं था, किन्तु विश्वप्रेम पूर्ण था, इसीलिए उनके ग्रंथों में जगह-जगह यही भावना आदर्श रूप में मिलती है। वास्तव में वर्तमान संकुचित जातीयता का विचार संसार में शान्ति स्थापित नहीं कर सकता।

महर्षि दयानन्द सरस्वती ने मनुष्य ही नहीं बल्कि पशु जगत सहित समग्र के कल्याण की बात की। उन्होंने हिंसा, मांसाहार तथा पशुबलि को निशृंसता की संज्ञा देते हुए उसका प्रबल विरोध किया। उन्होंने गऊ रक्षा के लिए सशक्त आन्दोलन का सूत्रपात किया। उनका कहना था कि गाय सबकी माता है।[१७]

महर्षि दयानन्द ने ईश्वर, धर्म, अधर्म, स्वर्ग नरक, विद्या, अविद्या, पूजा, अपूजा, वेद, वेदांग, पुराण आदि के विषय में आर्योद्देश्यरत्नमाला में सूक्ष्म दृष्टि डाली है।[१८]

महर्षि दयानन्द के दर्शन को जहां उनके ग्रन्थों तथा उनके द्वारा प्रतिपादित आर्य समाजों के नियमों में देखा जा सकता है। वहीं उनके व्याख्यानों से विस्तृत ज्ञान प्राप्त होता है। उन्होंने राष्ट्र तथा विश्व के समग्र कल्याण हेतु वेदाधारित शिक्षा संबंधी मौलिक चिन्तन भी प्रस्तुत किया।[१९]

महर्षि दयानन्द द्वारा स्थापित आर्यसमाज ने आध्यात्मिक, सामाजिक, राजनैतिक तथा आर्थिक आदि विभिन्न क्षेत्रों में अपनी सम्यक् दृष्टि डाल विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया। निश्चय ही महर्षि दयानन्द ने अपनी ओर से किसी भी विषय में कोई नवीन मत या सम्प्रदाय की स्थापना नहीं की, बल्कि वेद प्रतिपादित सिद्धान्तों को ही बुद्धि संगत ढंग से उजागर करने का प्रयत्न किया है।[२०]

आत्म निरीक्षण ऋषि दयानन्द के दैनिक कार्यक्रम में सम्मिलित था। हरिद्वार में कुम्भ के मेले के अवसर पर जब उन्होंने 'पाखंड-खंडिनी पताका' लगाकर धर्म-प्रचार किया, तो उन्हें ज्ञात हुआ कि प्रचार का जितना प्रभाव होना चाहिए था, उतना नहीं हुआ। उन्हें इसका कारण अपने तप की न्यूनता जान पड़ी। तभी से उन्होंने सर्वमेध यज्ञ करके केवल एक लंगोटी पहनकर गंगा के तट पर विचरना शुरू किया और अनेक वर्ष इसी प्रकार व्यतीत किए।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. स्वामी जगदीश्वानन्द सरस्वती, देवऋषि दयानन्द चरित, सार्वदेशिक सभा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000, पृष्ठ-18
2. खुशहाल चन्द्र आर्य, खुशहाल लेखावली, श्री खुशहाल चन्द्र आर्य, कोलकाता, 2015, पृष्ठ-188
3. पं. लेखराम, महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र, सार्वदेशिक सभा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ-108
4. आर्य समाज का नियम संख्या-3
5. यजुर्वेद-2/62, महर्षि दयानन्द कृत भाष्य, दयानन्द संस्थान, दिल्ली, 1980
6. महर्षि दयानन्द सरस्वती, स्वमन्तव्यामन्तव्य प्रकाश, सार्वदेशिक सभा प्रकाशन, नई दिल्ली, 2000, पृष्ठ-5
7. महर्षि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा, 2015, पृष्ठ-105
8. प्रा. डॉ0 चन्द्रशेखर लोखंडे, नये युग की ओर आर्यसमाज, विजय कुमार गोविन्दराम हासानन्द, दिल्ली-2002, पृष्ठ-125
9. महर्षि दयानन्द सरस्वती, दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह (आर्याभिविनय), आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा-2016, पृष्ठ-129

10. पं. लेखराम, महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र, सार्वदेशिक सभा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ-188
11. महर्षि दयानन्द सरस्वती, आर्यसमाज की मान्यताएं, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा, 2016, पृष्ठ-03
12. महर्षि दयानन्द सरस्वती, दयानन्द लघुग्रन्थ संग्रह (आर्याभिविनय), आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा-2016, पृष्ठ-135
13. डॉ. अशोक कुमार आर्य/डॉ. बीना आर्या, प्रखर राष्ट्रचेता महर्षि दयानन्द सरस्वती, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा-2015, पृष्ठ-06
14. डॉ. अशोक कुमार आर्य/डॉ. बीना आर्या, महर्षि दयानन्द की विशेषताएं, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा-2015, पृष्ठ-05
15. पं. लेखराम, महर्षि दयानन्द सरस्वती का जीवन चरित्र, सार्वदेशिक सभा प्रकाशन, नई दिल्ली, 1987, पृष्ठ-197
16. महर्षि दयानन्द सरस्वती, सत्यार्थ प्रकाश, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा, 2015, (विभिन्न समुल्लास-8, 10 एवं 11)
17. महर्षि दयानन्द सरस्वती, अथ गोकरूणानिधि, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा, 2015, पृष्ठ-03
18. महर्षि दयानन्द सरस्वती, आर्योद्देश्यरत्नमाला, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा, 2015, पृष्ठ-3-11
19. प्रदीप कुमार शास्त्री, सत्यार्थ प्रकाश दर्शन, शताब्दी स्मृति ग्रन्थमाला प्रकाशन समिति, सोनीपत (हरियाणा)-2014 से उद्धृत आचार्य पं. प्रियव्रत वेदवाचस्पति का आलेख महर्षि दयानन्द के शिक्षा संबंधी मौलिक विचार, पृष्ठ-28 से 33
20. आचार्य क्षितीश वेदालंकार, आर्य समाज की विचारधारा, आर्यावर्त प्रकाशन, अमरोहा-2016, पृष्ठ-2 से 16

Samaj Vigyan Shodh Patrika

Vol. 2 No. XXXXI (2017-18)
ISSN 0973-7626
RNI: UPBIL/2005/16107
OCTOBER 2017 - MARCH 2018

TECHNOLOGICAL UPGRADATION NEEDS AND COST COMPETITIVENESS AND CAPITAL STRUCTURE OF SMALL SCALE INDUSTRY

Dr. Raj Kumar
Assistant Prof. (Economics)
Home No. 78, Kashiram Nagar
Moradabad (U.P.)

The capital structure of small scale industrial units built on the feeble capacity of resource mobilisation of the entrepreneur is inherently weak. The malady of weakness is reflected in the entrepreneur's perpetual worry to meet the day-to-day obligations of the factory and in devoting most of his time and energy in maneurering and adjusting to find ways and means to meet the day's bill. This time could have been better utilised in the discharge of managerial and supervisory functions. The degree of severity of a week capital structure is also felt more by smaller among the smass scale units.

This chapter is largely based on the study of 181 small units of the state employing five or more persons. Out of these units. 150 units belong to proprietary or partnership firms and the remaining 31 to corporate sector. It is interesting to point out that units have depicted wide variations in the pattern of their investments ranging from Rs. 10,000 to Rs. 69 lakhs. Thus to study the pattern of investments and capacity of resource mobilisation in units with different sizes of capital, the classification of the units has been made on the basis of investment in fixed assets and the units have been put in seven groups for this purpose. These groups have been designated as A.B.C.D.E.F. and G on the basis given below :

Gross Value of investment in fixed assets Rs.	Designated Group
Upto 24,999	A
25,000 to 49,999	B
50,000 to 99,999	C
1,00,000 to 2,49,999	D
2,50,000 to 4,99,999	E
5,00,000 to 9,99,999	F
10,00,000 and above	G

The industry-wise analysis in this study has been confined to 166 units representing the groups form A to E. The units falling in groups F and G numbering fifteen have been concluded from the industry-wise analysis as the these units are disproportionately large, as is evident from the fact that the total investment in these units constitutes as high as 83 percent of the aggregate investment in 166 units. The quantum of institutions credit received by these units

is about 1.4 times the aggregate amount of credit received by the remaining units falling in groups from A to E.

PATTERN OF INVESTMENT :

The resources of units under review have been employed in fixed assets and working capital. Fixed assets for the study mean the depreciated value of assets having a life of more than one year while working capital represents the value of current assets after deducting trade creditors and other liabilities maturing within less than twelve months but excluding bank loans. The total capital employed per unit in small scale industrial sector and its break-up in fixed and working capital per unit capital structure-wise and industry-wise are presented in tables I and II respectively.

PATTERN OF INVESTMENT

SMALL SCALE INDUSTRIES IN UTTAR PRADESH

COMPOSITION OF TOTAL CAPITAL INDUSTRY-WISE

S.No.	Name of the Industry Group	No. of	Fixed Capital	Working Capital	Total Capital
1.	Food Manufacturing	19	0.71	0.77	1.48
2.	Manufacture of Textiles	37	0.55	1.27	1.28
3.	Manufacture of Wood and cork Except Manufacture of Furniture	07	0.16	0.31	0.46
4.	Printing Publishing & Allied Industries	13	0.32	0.52	0.84
5.	Manufacture of Chemical Products	12	0.81	0.90	1.71
6.	Manufacture of Non-Metalik Mineral Products	16	0.70	0.74	1.44
7.	Basic Metal Industries	17	1.11	2.05	3.16
8.	Manufacture of Metal Products	26	0.97	1.35	2.32
9.	Manufacture of Machinery Except Electrical Machinery	12	0.93	1.59	2.52
10.	Manufacture of Electrical Machinery Apparatun & Appliance	07	1.38	2.89	4.27
11.	All Groups 1 to 10	166	0.75	1.22	1.97

TOTAL CAPITAL PER UNIT :

Table 1 showing the structure-wise position of capital reveals that the average capital employed per unit amounts to Rs. 0.53 lakh in Group 'A' steadily increasing to Rs. 6.37 lakhs in group 'E' and further to Rs. 32.85 lakh in group 'G' thus, the disparity in capital employed per unit in the smallest capital size group 'A' and the largest capital size group 'G' has been as wide as 62 times.

Industry-wise position as given in table 11 indicates that the average capital employed per unit amounts to Rs. 1.97 lakhs in all the ten groups put together. Looking to the group-wise position, the average amount of capital employed per unit is of the order of Rs. 0.46 lakh and Rs. 0.84 lakh in industry group "Manufacture of wood and cork except Manufacture of Furniture" and printing publishing and Allied Industries respectively. The average amount of capital employed ranges between Rs. One Lakh to two lakhs for four industry groups. Viz., Food Manufacturing, Manufacture of Textiles. Manufacture of Chemical products and Manufacture of Non-metalling Mineral Products between Rs. 2 lakh to Rs. 3 lakhs in respect of two other industry groups viz., Manufacture of Metal Products and Manufacture of Machinery except Electrical Machinery and above Rs. 3 lakh in remaining two groups viz., Basis Metal Industries and Manufacture of Electrical Machinery, Apparatus and Appliances.

FIXED ASSETS :

It is evident from table 1 that the average amount of capital invested in fixed assets is of the order of Rs. 0.10 lakh in group 'A' steadily increasing to Rs. 2.80 lakhs in group 'F' and further to Rs. 9.84 lakhs in group 'G'. It may be pointed out that with the increase in size, a larger proportion of total capital has been invested by a unit in the purchase of fixed assets, thus creating a still wider gap between the units of different capital sizes. It is interesting to note that on the basis of investment in fixed assets, the variation in investment in smallest capital size group 'A' and the largest capital size group 'G' is more than 98 times as against a disparity of 62 times on the basis of total capital employed.

TOTAL CAPITAL PER UNIT

TABLE-I

Small Scale Industries in Uttar Pradesh

Composition of Total Capital Structure-Wise

Code no. of the Group	No. of Units	Fixed Assets Per	Working Capital Per	Total Capital Per Unit
A	50	0.10	0.43	0.53
B	34	0.31	0.68	0.99
C	33	0.56	1.04	1.60
D	32	1.34	1.96	3.30
E	17	2.80	3.57	6.37
F	11	4.45	4.74	9.19
G	04	9.84	23.01	32.85

Sources : Secondary Data

Similarly, the industry-wise table II reveals that the average amount of capital employed in fixed assets as in low Rs. 0.25 lakh in "Manufature of wood and cork except Manufature of furniture and Rs. 0.32 lakh in Printing Publishing and Allied Industries". It varies between Rs. 0.50 lakh to Rs. 1 lakh in six groups, viz., Food Manufaturing, Manufature of Textiles. Manufature of Chemical and Chemical Products, Manufature of Chemical and Chemical Products, Manufature of non-merallic Mineral Products, Manufature of Metal Products and Manufature of Machinery except Electrical Machinery and Rs. 1.11 lakhs and Rs. 1.38 lakhs per unit respectively for the remaining two groups, viz., Basic Metal Industries and Manufature of Electrical Machinery. Apparatus and Appliances and Supplies. The average of all the ten groups stood at Rs. 0.75 lakh per unit.

COMPOSITION OF FIXED ASSETS :

The depreciated value of land and building, plant and machinery and other fixed assets such as furniture; vehicles etc. Constitutes fixed assets. Table 34 and 35 presenting the break-up of fixed assets capital structure-wise and industry-wise respectively indicate the pattern on investment in fixed assets.

A class-wise analysis of investment in fixed assets would be helpful in understanding the priorities accorded by the smass scale entrepreneurs in designing fixed capital structure. Hence it is presented in the lines that follow.

LAND AND BUILDING

From column No. 2 of capital structure-wise table III, it is evident that the pattern of investment in land and building bears close proximity with the resource mobilisation power of the entrepreneur. Group 'A' which has scantly resources and thin capital base would hardly mobiles funds what it has invested only assets. Majority of the units belonging to this group are situated in rented premises. Units larger resources at their disposal have evinced greater interest in owning land and building. It may be pointed out that the proportianate share of land and building works at about one-third of the total resources employed in fixed assets in groups E and F whereas in group 'G' it stands as high as 44.7 percent. The proportionate share in the later groups would have been still higher but for the establishment of several units in the industrial estates where the sheds have been allowed to them on rented basis, thus assisting them to save expenditure on land and buildings.

LAND & BUILDING

Small Scale Industries in Uttar Pradesh Break Up of Fixed Assets (Capital Structure-Wise)

Group	Land and Building	Plant and Machinery	Other fixed Assets	Total
1	2	3	4	5
A	8.4	77.3	14.3	100
B	17.7	71.6	10.7	100
C	19.7	67.8	12.5	100
D	29.8	59.7	10.5	100
E	31.4	54.2	14.5	100
F	36.4	50.4	13.2	100
G	41.7	39.2	19.1	100

Sources : Secondary Data

Column 3 of industry-wise table IV points out that of the total expenditure in fixed assets, about 27 percent has been invested in land and buildings in all the industry groups taken together. It is interesting to point out that the proportionate share of land and building to total fixed assets stands the lowest (0.7 percent) in industry group Printing Publishing and Allied Industries bacause all the 13 units of this group i.e. printing presses, regardless of their size are operating in rented premises.

The proportionate share of land and building to total fixed assets stands lower at 7.5 in industry group "Manufacture of Electrical Machinery, Apparatus, Appliances and Supplies" as most of the units of this group are situated in industrial estates. It ranges between 20 and 30 percent in five industry groups viz., Manufacture of Chemical and Chemical Products, Manufacture of Machinery other than Electrical Machinery, Manufacturing of Wood and Cork and Manufacture of Non-metallic Mineral Products. A number of units of the former three industry groups are situated in industrial estates whereas the reason for low proportion in case of last two groups the units of which are mostly situated outside industrial estates is the requirement of enough open land with simple and modest 5 building structure. It would be relevant to point out that amount the industry group "Manufacture of Chemical and Chemical Products" the units manufacturing drugs and pharmaceuticals have spent proportionately higher amounts on this head in comparison to their counterparts as these units need special type of building are not available on rent. In remaining three groups viz Food Manufacturing, Manufacture of Textiles and Basis Metal Industries, the share in land and building to total assets ranges between 30 to 40 percent. Most of the units of these groups have built up semi- permanent structure on leasehold land to

suit their requirements.

REFERENCES :

1. Business Organisations - M. Motihar
2. Federal Financial in India & Abroad- Praboth Kumar
3. Arthik Jagat - 2000 to 2006
4. Public Finance and International Trade a - Jhigam, M.L.
5. The Economic Times - News Paper
6. Time of India - News Paper
7. Capital for medium and smass scale Industries by society for social and economic Studies - Published from Bombay
8. Finance for smass - scale Industry in India - Ram Krishna K.T.
9. Industrial Finance in India - Jain P.C.
10. Yojna.